C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. VI, Second Session, 2019/1941 (Saka)
No.17, Tuesday, December 10, 2019/Agrahayana 19, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 301 to 305	11-45
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 306 to 320	46-122
Unstarred Question Nos. 3451 to 3680	123-662

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 664-672

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
1st to 4th Reports 673

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
1st to 5th Reports 673

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
1st and 2nd Reports 674

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
Statement 674

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 234 DATED 19.11.2019 REGARDING "DETENTION CAMP FOR FOREIGNERS" AND GIVING REASONS FOR DELAY
Shri Nityanand Rai 675-676

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a)Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Rural Development on 'National Institute of Rural Development and Panchayati Raj' pertaining to the Ministry of Rural Development.

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Rural Development on 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana' pertaining to the Ministry of Rural Development

Sadhvi Niranjan Jyoti 677

MATTERS UNDER RULE 377 701-731

(i) Regarding augmentation of railway services in Araria district, Bihar
Shri Pradeep Kumar Singh 702

(ii) Regarding pilot project for production of electricity and high-speed diesel from plastic waste
Shri Manoj Kotak 703

(iii) Need to enhance the amount provided to beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) at par with PMAY (Urban)
Shri Ramdas Tadas 704

(iv) Regarding inclusion of Bhojpuri, Bhoti and Rajasthani in the Eighth Schedule to the Constitution
Shri Jagdambika Pal 705

(v) Need to augment railway services in North 24 Pargana district in West Bengal
Shri Shantanu Thakur 706

(vi) Need to introduce high speed train service from Indore to Mumbai and Delhi.
Shri Shankar Lalwani 707

(vii) Need to make adequate arrangement for issuance of Golden card under Ayushman Bharat Yojana in Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar
Shri Ajay Nishad 708

(viii) Need to provide a special package for farmers who suffered loss of their paddy crops due to unseasonal rains and hailstorms in Jammu Parliamentary Constituency, J&K.

Shri Jugal Kishore Sharma 709

(ix) Regarding alleged negligence in construction of NH-74 in Udham Singh Nagar district, Uttarakhand

Adv. Ajay Bhatt 710

(x) Need to organize armed forces recruitment rallies in Latur Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Sudhakar Tukaram Shrangre 711

(xi) Need to expedite doubling of Botad-Sabarmati and Dhasa-Jetalsar-Junagarh railway lines in Gujarat

Dr. Bharatiben D. Shyal 712

(xii) Regarding problems being faced by residents residing in Leh and Kargil districts of Ladakh

Shri Jamyang Tsering Namgyal 713

(xiii) Need to provide employment to all land oustees in railways and make it a policy decision

Shri Ganesh Singh 714

(xiv) Need to set up industries in Kanker and Bastar in Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 715

(xv) Need to remove CSAT paper from Civil Services Examination

Shri Ram Kripal Yadav 716

(xvi)	Need to establish Kendriya Vidyalayas in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat Shrimati Gitaben V. Rathva	717
(xvii)	Need to provide funds for development of Satkosia wildlife Sanctuary in Odisha Shri Nitesh Ganga Deb	718
(xviii)	Need to provide free public education to all Shri T. N. Prathapan	719
(xix)	Need to check crime against women and children Shri H. Vasantha Kumar	720
(xx)	Need to extend visa-on-arrival facility to Kozhikode International Airport in Kerala Shri M. K. Raghavan	721
(xxi)	Need to provide funds for construction of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) in Chennai Metropolitan Area under South Chennai Parliamentary Constituency, Tamil Nadu Dr. T. Sumathy (a) Thamizhachi Thangapandian	722
(xxii)	Regarding revival of Nanguneri SEZ in Tirunelveli district of Tamil Nadu Shri S. Gnanathiraviam	723
(xxiii)	Need to repair 50 km stretch of National Highway 26 in Andhra Pradesh Shri Bellana Chandra Sekhar	724

(xxiv) Regarding RBI monetary policy
Prof. Sougata Ray 725

(xxv) Regarding the issue of final Eco-sensitive Notification of Western Ghats
Shri Vinayak Bhaurao Raut 726

(xxvi) Need to construct a permanent building for Kendriya Vidyalaya, Gopalganj, Bihar
Dr. Alok Kumar Suman 727

(xxvii) Need to set up special centre of Aligarh Muslim University in Ramanathapuram, Tamil Nadu
Shri K. Navaskani 728

(xxviii) Need to set up Indian Institute of Science Education and Research (IISER) in Madurai, Tamil Nadu
Shri S. Venkatesan 729

(xxix) Regarding expeditious CBI investigation in a murder case in Hanumangarh district, Rajasthan
Shri Hanuman Beniwal 730

(xxx) Need to review the order of ESIC regarding Super Speciality treatment
Shri N. K. Premachandran 731

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL , 2019 741-910

Motion to Consider 741

Shri Ravi Shankar Prasad 741-744,

816-824

Shri Hibi Eden	745-750
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	753-758
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	759-761
Prof. Sougata Ray	762-764
Shrimati Goddeti Madhavi	765-766
Shri Krupal Balaji Tumane	767-768
Shri Sunil Kumar Pintu	769-770
Shri Bhartruhari Mahtab	771-774
Shri Girish Bhalchandra Bapat	775-776
Shri Nama Nageswara Rao	777
Shrimati Supriya Sadanand Sule	778-780
Shri Kodikunnil Suresh	781-783
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	784-786
Shri P.R. Natarajan	787
Shri M. Selvaraj	788-789
Shrimati Anupriya Patel	790-791
Dr. Bharati Pravin Pawar	792
Shri N.K. Premachandran	793-795
Shri P. Raveendranath Kumar	796
Dr. Sanghamitra Maurya	797-798
Dr. D. Ravikumar	799
Shri Sunil Kumar Mondal	800
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	801-802

Shrimati Chinta Anuradha	803-804
Shrimati Sarmistha Sethi	805-806
Shrimati Jaskaur Meena	807-808
Shrimati Sangeeta Azad	809
Shri Benny Behanan	810-811
Shri Ramulu Pothuganti	813
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	814
Clauses 2 and 1	826-909
Motion to Pass	910

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	912
Member-wise Index to Unstarred Questions	913-918

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	919
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	920

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 10, 2019/Agrahayana 19, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Question No. 301, Shri Hemant Tukaram Godse.

(Q.301)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो निधि वितरित होती है, एक तो राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर और उसी के साथ ही उसके कोर नेटवर्क की जो लम्बाई होती है, उसके आधार पर होनी चाहिए । लेकिन वर्ष 2015 से 2018 तक बिहार के लिए लगभग 15260 और मध्य प्रदेश के लिए 15600 की लम्बाई को पूरा करने का उनको अवसर मिला, लेकिन इनके कम्पैरिज़न में महाराष्ट्र का अगर देखें तो केवल 3459 किलोमीटर लम्बाई ही उनको पूरी करने के लिए मिली ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि इतना बड़ा फर्क साढ़े तीन हजार महाराष्ट्र के लिए और साढ़े पन्द्रह हजार बिहार और एमपी के लिए, इसमें इतना फर्क क्यों है? अब जो थर्ड फेज़ शुरू होगा, उसमें क्या स्टेट के पुअर नेटवर्क के आधार पर और लम्बाई के आधार पर निधि वितरित होगी?

माननीय अध्यक्ष : कल देर रात्रि तक सदन चलने के कारण, आज सुबह संख्या कुछ कम नजर आ रही है ।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: सर, जो लोग आए हैं, वे आपके आकर्षण के कारण आए हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आज सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा ।

मंत्री जी, अगर आप संक्षिप्त में जवाब देंगी तो सभी को प्रश्न पूछने का मौका मिल जाएगा ।

साध्वी निरंजन ज्योति: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के बारे में है । माननीय सदस्य ने बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सड़क के बारे में पूछा है । मूल प्रश्न गढ़चिरौली की सड़कों के लिए है कि केन्द्र सरकार ने उस जनपद के लिए जो सड़कें दी हैं, उसमें तीन केटेगिरी हैं, एक सामान्य क्षेत्र के लिए है जो पांच सौ की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए होती है ।

दूसरी है ढाई सौ और तीसरी है गृह मंत्रालय द्वारा जो सूचित की जाती हैं और जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने के लिए हैं । मैं माननीय सदस्य को पूरी सूची से अवगत करा दूंगी, लेकिन गढ़चिरौली में जो 62 सड़कें हैं, जहां समस्या आ रही है, वहां की जमीनों का या तो अधिग्रहण नहीं किया गया है या फिर नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहां दिक्कत आ रही है । यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं उस बारे में अवगत करा दूंगी ।

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि वर्ष 2015 से 2018 तक महाराष्ट्र के लिए जो निधि वितरित हुई है वह सिर्फ साढ़े तीन हजार है, जबकि मध्य प्रदेश और बिहार के लिए वह साढ़े पन्द्रह हजार है, इतना फर्क क्यों है, यह मेरा मूल प्रश्न था । मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां कनेक्टिविटी दी जाए और उसमें प्रायोरिटी पर ट्राइबल एरिया, जहां ढाई सौ की पॉपुलेशन बाइंडिंग था और उसके बाद नॉन-ट्राइबल एरिया के लिए पांच सौ का पॉपुलेशन बाइंडिंग था, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश में इससे कम की पॉपुलेशन वाले हेबिटेशंस के लिए कनेक्टिविटी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ट्राइबल पापुलेशन 100 से 250 और नॉन ट्राइबल पापुलेशन 250 से 500 तक के हैबिटेशन को जोड़ने का क्या कोई नियोजन किया गया है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सड़कों के किलोमीटर के बारे में चिंता व्यक्त की है । मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री सड़क योजना आरंभ हुई थी, तो यह पहल केन्द्र सरकार की तरफ से इसलिए की गई थी कि देश की लाखों बसाहटें जो सड़क से नहीं जुड़ी थीं, वे कम से कम डामरीकृत सड़कों से जुड़ जाएं । इसलिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस योजना को बनाया था और इस योजना का लक्ष्य किलोमीटर नहीं था । अगर सड़क बनेगी, तो किलोमीटर होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो केन्द्र बिन्दु रखा गया था, वह बसाहट रखा गया था । जब प्रारंभिक कोर नेटवर्क बना था, उस समय 1,78,184 बसाहटें जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया था । जब उनमें से जांच-पड़ताल हुई,

तो 1,71,679 बसाहटें व्यावहारिक रूप से बनाने के योग्य पाई गई थीं । अगर आज हम पहले चरण में देखेंगे, तो 1,66,874 बसाहटों को सड़क से जोड़ दिया गया है । जहां तक थर्ड फेस का सवाल है, तो हम लोगों ने थर्ड फेस में यह तय किया है कि सेकेंड फेस में जिस राज्य को जितनी सड़क मिली है, उसकी ढाई गुना सड़क थर्ड फेस में मिलेगी । जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो महाराष्ट्र को 6,550 किलोमीटर सड़क मिलेगी और बिहार को 6,162.50 किलोमीटर सड़क मिलेगी ।

माननीय अध्यक्ष : कोडिकुन्नील सुरेश जी, यह आपका प्रश्न पूछने का आखिरी मौका है । आपके माननीय सदस्यों के नाम कट जाते हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, the guidelines of PMGSY are not applicable in many areas of Kerala. Urban and village areas are almost similar in Kerala. The guidelines framed for PMGSY at the national level are not applicable in the State of Kerala. So, the Members of Parliament from Kerala as well as the State Government of Kerala have submitted a request to the Central Government to change the guidelines as far as Kerala is concerned but they have not been changed. As a result, as far as Kerala is concerned, we have lost the benefits on account of the estimates which you are making every year for the respective States. Kerala is not being benefited vis-à-vis the roads under PMGSY. I would like to ask the hon. Minister through you as to whether the Government of India will consider Kerala as a special case as regards the allocation of roads under PMGSY.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोडिकुन्निल सुरेश जी ने केरल की बात की है । केरल में पहले भी सड़कें बनाई गई हैं और अच्छे से बनाई गई हैं । जब आने वाले कल में

थर्ड फेस शुरू होगा, तो 1,425 किलोमीटर सड़क केरल को देने का प्रावधान किया गया है । जहां तक गाइडलाइंस की बात है, तो स्वाभाविक रूप से जब केन्द्र सरकार कोई भी कार्यक्रम बनाती है, तो उसकी निश्चित रूप से यह कोशिश रहती है कि एक गाइडलाइन रहे, जिससे हर चीज की मानीटरिंग ठीक प्रकार से हो सके । हर क्षेत्र की प्रकृति अलग-अलग होती है । कहीं पर सड़क ज्यादा मिलती है और कहीं पर सड़क कम मिलती है । केरल की जो स्थिति है, उसमें अधिकांश जगहों पर सड़कें बनी हुई हैं, इसलिए निश्चित रूप से वहां पर कम आती हैं ।

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, यह जो प्रोग्राम है, वाजपेयी जी के टाइम पर शुरू हुआ था । यह इतना अच्छा प्रोग्राम है, स्वतंत्रता आने के बाद गांवों को कनैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। प्रधान मंत्री सड़क योजना में हम एमपीज़ के लिए भी काफी कुछ रहता है । जब भी हम लोग जाते हैं, हरेक गांवों में यह कनैक्ट करता है । आपके माध्यम से मंत्री साहब से हमारी रिक्वेस्ट यह है कि जो भी ट्राइबल एरिया है, उसको लिमिटेशंस में मत रखिए और ट्राइबल एरियाज़ का मैक्सिमम प्रापोजल्स ले लीजिए । दूसरा, राज्य के लिए दो हजार किलोमीटर, तीन हजार किलोमीटर की जो लिमिटेशंस हैं, उसको न कर के हम लोगों की तरफ से मैक्सिमम लेना चाहिए। एमपीज़ की तरफ से जितने भी प्रपोजल्स आते हैं, उनको थोड़ा कंसीडर करने से हम लोगों की फेस वैल्यू लोगों के सामने रहेगी ।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । क्योंकि बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में लोगों ने अभी तक रेलगाड़ी नहीं देखी है और बस भी नहीं देखी है । ऐसे ट्राइबल एरियाज़ बहुत सारे हैं । इसलिए ट्राइबल एरियाज़ को अनलिमिटेड कर के जितना भी है, उसको कंसीडर करने के लिए आपके माध्यम से मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ । इसके बारे में मंत्री साहब का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, नागेश्वर राव जी भी सांसद हैं और मैं भी सांसद हूँ। अगर सांसद की नजर से देखें तो ऐसा लगता है कि जो वे कह रहे हैं, वह अपने आप में ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर जब पूरे देश भर में कोई योजना बनाते हैं, तो कोई न कोई मानदंड तो

फिक्स करना ही पड़ता है । दूसरा, जो मानदंड होते हैं, उनके लिए फंड्स की व्यवस्था भी पहले से ही करनी पड़ती है । इसलिए सांसद जी जो चाहें, वह सड़क बन जाए, ऐसा तो सामान्य तौर पर मुमकिन नहीं है । लेकिन इस विभाग में आने के बाद, प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सड़क की गति बढ़ाने का काम किया और उस समय कई सांसदों ने इस बात की रज़ा की थी कि हम लोगों को इस मामले में पूछा नहीं जाता है। लेकिन आज हम लोगों ने यह सुनिश्चत कर दिया है कि प्रधान मंत्री सड़क का कोई भी प्रस्ताव अगर सांसद के द्वारा अनुशंसित नहीं होगा, तो केन्द्र सरकार उसको मंजूर नहीं करती है । इसलिए अगर आपके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो मेरे यहां से किसी भी राज्य का प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा । दूसरा, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक ट्राइबल क्षेत्र का विषय है तो पहले से भी इस योजना में प्रावधान था। क्योंकि पहला चरण था हजार प्लस की सड़कों को जोड़ना, उसके बाद पांच सौ प्लस की सड़कों को जोड़ना था । जो पवर्तीय और जन-जनजातीय इलाके थे, उनमें ढाई सौ प्लस की सड़कों को जोड़ना था । वह लक्ष्य इसमें शामिल है । वे बसावटें इसमें शामिल हैं ।

दूसरा, कुछ दिन पहले ही प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जब यह बात आई कि ट्राइबल क्षेत्र भी है और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र भी है और इस एरिया में सड़क बनाना थोड़ा कठिन भी है तथा उस क्षेत्र को पूरी तरह से आच्छादित सड़क से नहीं किया गया है तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह योजना बनाई गई, जिसको पीएमजीएसवाई के थ्रू हम लोग रूट कर रहे हैं। इसमें नौ राज्य हैं और 44 जिले हैं, और कैबिनेट ने 5412 किलोमीटर सड़क इन नौ राज्यों के 44 जिलों के लिए अलग से मंजूर की हैं, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है । मैं समझता हूं कि जनजातीय इलाकों की जो आपकी चिंता है, वह अधिकांश इसमें समाहित हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि आपने जो कहा कि संसद सदस्यों की अनुमति इसमें आवश्यक है, पुन: एक बार लोक सभा के नए गठन के बाद सभी राज्यों को निर्देश दें कि इसकी शत प्रतिशत पालना करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर की जाएगी ।

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं आभारी हूँ कि पीएमजीएसवाई फेज़-3 शुरू होने जा रहा है, विभिन्न राज्यों को बजट दिए जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें ऑन गोइंग प्रोसैस और प्लानिंग से ही वे गांव विस्तारित किए जा रहे हैं और रोड्स बनाए जा रहे हैं। क्या इस पीएमजीएसवाई फेज़-3 में, जिसमें जीओ टैगिंग चल रही है और यह हुआ कि अब जो सड़के बनेंगी साढ़े पांच मीटर की बनेंगी, लंबी सड़के बनेंगी। सिद्धार्थनगर भी एक आंकाक्षी जनपद है। वहाँ मात्र 42 किलोमीटर का प्रपोजल मिला है, जबकि स्कूल, अस्पताल और ब्लॉक को जोड़ने की आपकी योजना है। योजना फेज थर्ड के लिए बहुत अच्छी बन रही है। आपने कहा है कि हम ट्राइबल्स, हिली एरियाज के लिए करेंगे। क्या आप देश के इन 112 आकांक्षा जनपदों में इस योजना के तहत सड़कों के अधिक प्रस्ताव लेने की कृपा करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, जो आकांक्षी जिले हैं, उनके लिए अलग से कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आकांक्षी जिले पूरी योजना में पहले से ही सम्मिलित हैं और उनमें जो बसावटें हैं, वे निश्चित रूप से नेटवर्क में हैं और उनमें काम चल रहा है । जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जो थर्ड फेज आ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में सड़कें भी चौड़ी बनेंगी और उनसे कनेक्टिविटी में बहुत सुविधा आने वाले कल में होगी। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है**,** इसलिए 18, 937.5 किलोमीटर सड़क उत्तर प्रदेश को इस योजना के थर्ड फेज में मिलेगी ।

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: My colleague has rightly said that in Maharashtra, during the last 4-5 years, not even a single kilometre of road was constructed under the scheme. I would like to urge and request the hon. Minister that at least from this year, Maharashtra should be given more projects. As the hon. Minister has said, it is about 6500 kilometres, but keeping in mind the work done during the last 4-5 years, nothing has been done. So, at least it can be doubled and this can be started from this year.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदय, महाराष्ट्र में सड़क नहीं मिली, ऐसा नहीं है । महाराष्ट्र में पहले चरण में भी सड़क मिली, दूसरे चरण में भी सड़क मिली और तीसरे चरण के बारे में भी मैंने बता दिया है कि सड़क मिलने ही वाली है। पिछली बार महाराष्ट्र में सीएमजीएसवाई राज्य सरकार ने शुरू कर दी थी तो उनका बल सीएमजीएसवाई पर ज्यादा था । इसके कारण इसका काम उन लोगों ने थोड़ा सा उपेक्षित किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की कि पीएमजीएसवाई को भी बनाएं और पीएमजीएसवाई का जो लक्ष्य है, वह महाराष्ट्र में भी वैसा ही है। आप बिल्कुल चिंता न करें ।

(Q. 302)

DR. SUBHAS SARKAR: Sir, it is an irony that the State Government of West Bengal has introduced a Bangla Shasya Bima scheme as their own scheme copying the Centre's PMFBY. I would like to know about the share of West Bengal Government at the time of payment of premium.

Secondly, you have mentioned that claims of 2018-19 which is Rs. 173.89 crore has not been paid because of non-receipt of State Government's share of the premium. I would like to know as to what is the latest communication from the West Bengal Government in this regard.

Thirdly, in West Bengal, the common farmers are not being allowed to become an applicant for the PMFBY. This is to be taken care of, so that the farmers can apply online.

श्री परषोत्तम रूपाला : महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा पश्चिम बंगाल के किसानों के पाक बीमा संबंधी सवाल पूछा गया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह खरीफ 2019 से ही पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य की सरकार की ओर से 'शस्य बीमा योजना' करके नया कार्यक्रम चालू किया है । खरीफ 2019 के पहले तक हमारी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान उसमें सम्मिलित थे । मैं आपको पश्चिम बंगाल की फिगर बताता हूँ। 54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 133 लाख किसान बीमा में शामिल किए गए थे । उनमें से कुल 1016 करोड़ रुपये के दावे भुगतान योग्य हैं । उसमें पश्चिम बंगाल के लिए 812 करोड़ रुपये के दावे के भुगतान कर दिए गए हैं । खरीफ 2019 से राज्य सरकार की ओर से स्वयं योजना चला रहे हैं । उनमें और हमारी योजना में साम्यता इतनी ही है कि सारे नार्म्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही चला रहे

हैं । मगर धान और तिलहन के किसान के प्रिमियम का जिम्मा राज्य सरकार उठाती है । इसके आगे की बकाया राशि के लिए राज्य सरकार और किसानों के बीच बातचीत चलेगी, उसके फिगर्स हमारे पास नहीं आएंगे। 2019 के खरीफ के पहले के दावे या बकाया राशि है, उसके लिए हम निश्चित रूप से राज्य सरकार के साथ बैठ कर निस्तारण करने में लगे हुए हैं।

डॉ. सुभाष सरकार : अध्यक्ष महोदय, क्या किसानों को ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई करने की सुविधा मिलेगी?

श्री परषोत्तम रूपाला: अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने स्वत: योजना चलाने का निर्णय कर लिया है। उसमें उन्होंने ऑनलाइन का प्रावधान नहीं किया है ।

श्री सुनील कुमार मंडल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू होने के बाद 2 परसेंट या 5 परसेंट किसानों को फायदा मिला है । आजकल किसान कौन होता है? कंट्रैक्ट फार्मिंग भागचासी होता है। कंट्रैक्ट फार्मिंग और भागचासी को सुविधा नहीं मिलती है । किसान खेत में वही काम करता है, जो भागचासी होता है, किसी के पास जमीन लेकर खेती करता है, उसको कुछ फायदा नहीं मिलता है, क्या इसके लिए गवर्नमेंट कोई योजना बनाना चाहती है? आप अगले दिन बनाएंगे नहीं ।

श्री परषोत्तम रूपाला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड सवाल है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो रिमार्क्स दिया है, उसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि दो से पांच प्रतिशत किसानों को ही किसान सम्मान निधि का बेनिफिट मिलता है । मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि से हिन्दुस्तान के सात करोड़ किसानों को पैसा डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचा दिए गए हैं । बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से डाटा भारत सरकार को भेजना चाहिए, उसे नहीं भेजने से वहां के किसानों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है ।

(Q. 303)

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की संख्या काफी है । वर्ष 2011 के बाद लक्षित जन वितरण प्रणाली का पुनर्रीक्षण कार्य किया गया था उसके बाद अब तक नहीं हुआ है । लेकिन हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं और देखते हैं कि अनेकों ऐसे परिवार हैं जो अभी लक्षित जन वितरण प्रणाली की सूची से बाहर हैं ।

श्री रामविलास पासवान: माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले भी एपीएल था, बीपीएल था । बीपीएल को गेहूं 4 रुपये और चावल रुपये और एपीएल को गेहूं 6 रुपये और चावल 8 रुपये में मिलता था। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट बना तो देश में 81 करोड़ लोगों के लिए 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की व्यवस्था की गई थी । योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, ने योजना बनाई थी कि रूरल एरिया में 75 फीसदी और अर्बन एरिया में 50 फीसदी लोगों को लाभ मिलेगा।

जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में रूरल एरिया में 85.12 परसेंट और शहरों में 74.5 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिल रहा है । इस तरह से करीब 15 परसेंट लोग ही बच जाते हैं। यह सब वर्ष 2011 सेंसेज़ के मुताबिक ही चल रहा है। यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दस साल बाद रिवीजन होता है । हमने जरूर कहा है कि रिवीजन की अवधि दस साल से कम की जाए जिससे बीच में बढ़ने वाली जनसंख्या को लाभ मिल सके ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कौन लाभार्थी होगा, यह राज्य सरकार देखती है । पूरे देश में हमने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा है। इसके मुताबिक करीब 12 करोड़ लाभार्थी फर्जी निकले हैं । जिस राज्य में जितने राशन कार्ड फर्जी निकले हैं, आप कहेंगे तो मैं आंकड़ा दे दूंगा । इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की है । राज्य सरकार इसके बदले में नए

लोगों को जोड़ने का काम करे । एक्ट के मुताबिक इन्होंने बिहार के बारे में पूछा है, मैंने कहा कि 85 और 74 परसेंट ग्रामीण और शहरी इलाकों में लाभार्थी हैं ।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत ही संतोषजनक है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो छूट गए हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि नीतिगत निर्णय में एक प्रतिशत तय कर दिया गया है, जिसके कारण राज्य सरकारें जब तक वह राशन कार्ड कैंसल नहीं होता है, नए राशन कार्ड नहीं बनाती हैं ।

मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकारों को निर्देशित करेंगे कि ऐसे पात्र परिवारों की मांग पर उनकी पात्रता जांच कराकर राशन कार्ड उपलब्ध कराए ।

श्री रामविलास पासवान: माननीय अध्यक्ष जी, जब फूड सिक्योरिटी एक्ट बन रहा था, उस समय बहुत डिसकशन हुई थी । चूंकि हम 90 परसेंट सब्सिडी सैंट्रल गवर्नमेंट से देते हैं । मैंने उस दिन भी कहा था कि हम गेहूं 20 रुपये किलो खरीदते हैं और 2 रुपये किलो में देते हैं, चावल 30 रुपये किलो में खरीदते हैं और 3 रुपये किलो में देते हैं । केंद्र सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए कहा था । उस समय सारे राज्यों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारे अधिकार हमें दीजिए । जैसा कि मैंने अभी कहा कि बिहार राज्य में 85 परसेंट है । यदि सही ढंग से गरीब लोगों का चयन किया जाए तो यह बहुत हो जाता है । अब इसमें भी लोग छूट जाते हैं और शिकायत आती है, तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की है कि किसे रखना है, कौन लाभार्थी होगा, कौन नहीं होगा । हम इसमें इन्टरफियर नहीं करते हैं । इसके लिए पूरी जवाबदेही राज्य सरकार की है ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, in our country, 22 essential commodities have been demarcated for distribution through Public Distribution System.

My question to the hon. Minister is this. It has come out in the newspaper that out of 75,000 metric tonnes of onions which were kept under the control of the Ministry, 50 per cent have been damaged. It is the most unfortunate issue. Out of these 22 essential items, onion and potato are the two most important items. I am concerned to know whether the Government is now able to deliver these items regularly through the Public Distribution System to the people who are holding ration cards and if so, at what price.

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष जी, फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक केवल चावल और गेहूं हम देते हैं । राज्यों में अलग-अलग सरकारें हैं । पश्चिम बंगाल की सरकार है, दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं, वह भी हम देते हैं । अलग-अलग राज्य सरकारें हैं, कहीं कोई राज्य सरकार दो रुपए में देती है, कोई सरकार एक रुपए में देती है। कहीं तमिलनाडु में मुफ्त में देती है। उनके डिस्क्रिशन पर है, वे कर सकती हैं ।

जहां तक जो 22 खाद्य पदार्थ हमारे पास हैं, उनके मूल्य की हम मॉनीटरिंग करते हैं, लेकिन जहां तक पी.डी.एस. के तहत जो चावल और गेहूं का मामला है और जहां तक आपने जो ओनियन का सवाल कहा है, वह इससे हटकर है । आप जानते हैं कि ओनियन की लाइफ बहुत कम होती है । हम उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि सरकार क्या कर रही है? 57000 टन ओनियन को सरकार ने बफर स्टॉक में रखा । हर राज्य सरकार को हमने कहा कि आप इसको 18 रुपए और 20 रुपए में खरीदिए । बहुत कम राज्य सरकारों ने इसको खरीदा । नतीजा यह हुआ कि ओनियन की लाइफ जो तीन महीने या चार महीने की होती है, वह खराब हो गई । लेकिन चावल और गेहूं की लाइफ ज्यादा होती है । लेकिन आपने जो सवाल किया, वह यह नहीं है । सवाल इतना ही है कि हम पी.डी.एस. में चावल और गेहूं देते हैं ।

(Q.304)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI : Speaker Sir, a majority of hon. Members in the House wholeheartedly supported the abrogation of Article 370 in Kashmir. However, there is no clarity on the situation on ground as of today. There is a lot of criticism both domestically and internationally. Even a few days ago, a resolution was passed in the US Senate demanding normalcy in Kashmir.

In the reply I see that there is a lot of violence still going on. I would like to know from the Minister the actual situation on the ground, especially with regard to basic needs like education, hospital, access to administration, and other things.

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने पूछा है कि घुसपैठ कितनी हुई और क्या हुआ?

श्री जी.किशन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष जी, सही बात है । कुछ देशों में खासकर पड़ौसी देश, दुनिया भर में एक गलत प्रचार जम्मू-कश्मीर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद, इमर्जेन्सी स्थिति है, ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं । मगर आज जम्मू-कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ठीक है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है । जो भी सरकार हो, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए । शांति रहनी चाहिए, पीसफुल तरीके से काम होना चाहिए । इसी दृष्टि से हम कदम उठाएं । अभी जो इंफिल्ट्रेशन की बात है, the Government, therefore, had taken best possible legal measures and steps in national interest. अभी मैं बताना चाहता हूं जैसे आज माननीय सांसद ने पूछा है, 5 अगस्त के बाद एक व्यक्ति भी पुलिस फायरिंग में नहीं मारा गया । आज 195 पुलिस स्टेशंस में Section 144 has been removed.

अध्यक्ष जी, मैं आज गर्व के साथ यह बता सकता हूं कि 190 पुलिस स्टेशनों में धारा 144 नहीं है । कुछ जगहों पर रात के समय धारा 144 इम्पोज़ की जाती है । दूसरा, पिछले वर्ष 2018 में पत्थर फेंकने की लगभग 802 घटनाएं हुई थीं । लेकिन इस वर्ष 2019 में पत्थर फेंकने की सिर्फ 545 घटनाएं हुई हैं । मैं आज यह बताना चाहता हूं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 5 अगस्त के बाद जम्मू-कश्मीर में पत्थर फेंकने की केवल 190 घटनाएं हुई हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि आज 20,411 स्कूल्स खुल गए हैं। यह सुनकर आपको खुशी होगी कि 11वीं के एग्जाम्स हुए हैं । उसमें कश्मीर वैली के 50,537 विद्यार्थियों ने एग्जाम्स लिखा है । आज जम्मू-कश्मीर में 99.48 प्रतिशत बच्चों ने 11वीं का एग्जाम दिया है । मैं बताना चाहता हूं कि सांसद जी ने अस्पतालों की बात की है । All the hospitals and medical stores are open in the valley. मैं उदाहरण के रूप में यह बताना चाहता हूं कि श्रीनगर में 7,67,470 OPD patients were treated in September this year. अक्टूबर में 7,91,470 मेडिसिन्स और फूड चिल्ड्रेन्स अस्पतालों में दिए गए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि लोग आज 20,05,293 पोस्टपेड मोबाइल फोन्स का यूज़ कर रहे हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि लोगों के लिए कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा को रोका गया है, क्योंकि आप सब लोगों को यह मालूम है कि पड़ोसी देश भारत के बारे में कितना गलत प्रचार कर रहा है। कुछ घटनाएं होनी चाहिए, लॉ एंड आर्डर सिचुएशन ठीक नहीं रहनी चाहिए, वे यह प्रयास कर रहे हैं। मगर यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू-कश्मीर में लॉ एंड आर्डर को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए जो कदम उठाने चाहिए, सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए, उसे हमारी सरकार उठाती रहेगी और हम बाद में भी उठाएंगे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए 280 ई-टर्मिनल्स शुरू किए हैं। …(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इंटरनेट की सुविधा दी गई है, उसका 2,50,000 लोग सुविधा उठा रहे हैं। …(व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं कि ऑल लीडिंग इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज पेपर्स, ऑल टीवी चैनल्स, आज जम्मू-कश्मीर में चल रहे हैं, वे काम कर रहे हैं । There is no shortage of essential supplies and

banking services. आज सभी बैंको में काम हो रहा है । सभी दुकानें और मार्केट्स वैली में काम कर रही हैं । मैं आज यह बताना चाहता हूं कि आज पूरे कोर्ट्स में काम हो रहे हैं । …(व्यवधान) 5 अगस्त से 36,182 कोर्ट केसेज़ पर काम हो रहे है । मैं 5 अगस्त के बाद डिस्पोज़ल के बारे में बताता हूं कि आज कोर्ट के अंदर 52,000 केसेज़ डिस्पोज़ हो गए हैं। …(व्यवधान) मैं आज यह बताना चाहता हूं कि 316 ब्लाक डेवलेपमेंटल काउंसिल का चुनाव हुआ है । उसमें लगभग 26,629 प्रतिनिधियों ने वोट दिया है । 98 प्रतिशत लोगों ने ब्लाक डेवलेपमेंटल काउंसिल के चुनाव में भाग लिया है । आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि आज एंप्लॉएज़ के लिए 4800 करोड़ रुपये हमने रिलीज़ किए हैं। …(व्यवधान) जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए 4800 करोड़ रुपये हमने रिलीज़ किए है । …(व्यवधान) चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस दिया है । …(व्यवधान) हॉस्पिटल अलाउंस दिए है । …(व्यवधान) ट्रांस्पोर्ट अलाउंस दिए हैं । …(व्यवधान) लीव ट्रैवल अलाउंस दिया है । …(व्यवधान) फिक्स्ड मैडिकल अलाउंस दिया है । …(व्यवधान) आज मैं बताना चाहता हूँ कि वहां जो एप्पल ग्रोअर्स किसान रहते हैं, उनके 15.49 लाख मीट्रिक टन एप्पल्स कश्मीर से ट्रांस्पोर्ट हुए हैं। …(व्यवधान) इसी साल से सिर्फ 70 हजार कम हो गए हैं। …(व्यवधान) आज जम्मू कश्मीर में इस साल एप्पल का ट्रांस्पोर्ट 15.49 लाख मीट्रिक टंस का हुआ है । …(व्यवधान) अध्यक्ष जी, आज मैं एक और विषय बताना चाहता हूँ । …(व्यवधान) हमारी सरकार …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूँ। …(व्यवधान) लास्ट ईयर में प्रिवेंट टु अरेस्ट 356 थे, इस साल पिछले साल से 103 ज्यादा हैं । …(व्यवधान) जो भी सवाल आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछिए । …(व्यवधान) उसका जवाब हमारी सरकार देने को तैयार है । …(व्यवधान) सरकार की तरफ से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी

आर्मी मिल जुल कर काम कर रहे हैं । …(व्यवधान) प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अधीर रंजन जी ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, उनके जवाब में लगता है कि जम्मू कश्मीर में राम राज्य की प्रतिष्ठा हो चुकी है । …(व्यवधान) मेरा सवाल यह है । …(व्यवधान) अमित शाह जी यहां पर हैं । …(व्यवधान) हम उनसे जानना चाहते हैं कि इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे । …(व्यवधान) कुछ ही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा । …(व्यवधान) सर, नॉर्मलसी के मानदंड क्या हैं, मुझे पता नहीं है । …(व्यवधान) नॉर्मलसी का पैरामीटर क्या है? …(व्यवधान) ट्रेडर्स कहते हैं कि दस हजार करोड़ रुपये का हमें घाटा हो गया । …(व्यवधान) दस हजार हजार करोड़ रुपये का हमें लॉस हो गया है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): कौन से ट्रेडर ने कहा है, जरा नाम बता दीजिए। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मुझे पूछने दीजिए। …(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : कौन से ट्रेडर ने कहा है, कौन सी ऑर्गनाइजेशन ने कहा है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : महोदय, क्या ऐसे संसद में बात होती है? …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वहां सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया है । …(व्यवधान) वहां पर यूरोप से एमपीज़ को़ आने की इजाज़त है, लेकिन हमारे देश के एमपीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है । …(व्यवधान) राहुल जी को जाने की इजाज़त नहीं है । …(व्यवधान) आप कहते हैं कि नॉर्मलसी आ गई है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, इनको कुछ जवाब दे दो ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : नॉर्मलसी आ गई है तो इनफ्लो क्या है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आप जवाब दे दो और सारी नॉर्मलसी इनको बता दो।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष जी, आज बहुत नॉर्मलसी है । …(व्यवधान) हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अमित शाह जी, आप बताइए कि नॉर्मलसी कब आएगी? …(व्यवधान) वहां बहुत सारी पार्टीज़ के लीडर्स हिरासत में हैं । …(व्यवधान) उनको कब छोड़ा जाएगा? …(व्यवधान) उसके साथ-साथ आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है? …(व्यवधान) यह सारा ब्यौरा हमारे पास रखिए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इनको एक ही जवाब दे दीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है । कांग्रेस की स्थिति मैं नॉर्मल नहीं कर सकता हूँ। …(व्यवधान) क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि धारा - 370 हटने के बाद वहां रक्तपात हो

जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे । मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ । एक भी गोली नहीं चली । एक भी जगह पर गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । मैं बताता हूँ कि किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताईं कि परीक्षा के अंदर 99.5 प्रतिशत उपस्थिति रही है । …(व्यवधान) अरे, आप बैठिए और सुनिए आप, मुझे जवाब देने दीजिए। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए । …(व्यवधान)

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया ना।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : पॉलिटिकल एक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए । यह हमारा सवाल है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज । आप भाषण क्यों दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछें । आप प्रश्न काल में प्रश्न पूछें, भाषण मत दें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा है, मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए । ठीक है, इन्होंने नॉर्मल्सी की बहुत अच्छी व्याख्या कांग्रेस पार्टी की बताई । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह कांग्रेस पार्टी की नहीं है । यह इंडिविजुअल है । …(व्यवधान)

श्री अमित शाह : यह अधीर रंजन जी की बताई है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी । चलिए भईया, समाज में सारे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वह नॉर्मल परिस्थिति नहीं है । बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या वह आप नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते हैं?…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : फिर आप गुमराह कर रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, इनको अब बैठा दीजिए । यह सदन में बात करने की पद्धति नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अमित शाह : अगर आपको ही सवाल का जवाब देना है, तो पूछते क्यों हो भाई?…(व्यवधान) मैं नॉर्मल स्थिति का ही जवाब दे रहा हूं । जरा धैर्य रखिए । अधीर रंजन जी मानते हैं कि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वह नॉर्मल स्थिति नहीं है। …(व्यवधान) 99.5 परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज ।

श्री अमित शाह : मान्यवर, अगर इसी प्रकार से बात करनी है तो, या तो मुझे संरक्षण दीजिए या तो मैं जवाब नहीं दे सकता। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए । आपका रिकॉर्ड में आ रहा है । इनका रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

…(व्यवधान) *

श्री अमित शाह : मान्यवर, ऐसे नहीं होगा । ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज इनको नहीं मिलता है । मेरे जवाब के बीच में हर बार खड़े हो जाते हैं। यह पद्धति ठीक नहीं है, यह उनको बताना चाहिए । …(व्यवधान) मान्यवर, 99.5 परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिया है, वह उनको ठीक नहीं लगता है । सिर्फ श्रीनगर में सात लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट्स आएं,

---

* Not recorded.

वह ठीक नहीं लगता है । सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, यह नॉर्मल नहीं लगता है । सारे स्थानों से धारा 144 हटा ली गई, वह नॉर्मल नहीं लगता है । पुलिस फायरिंग में एक भी मृत्यु नहीं हुई, वह भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाजाही ठीक ढंग से हो रही है, वह भी नॉर्मल नहीं लगता है । उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी? वही उनकी नॉर्मल्सी की व्याख्या है । सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की यह है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज । आपका कुछ भी नोटेड नहीं होगा । आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

…(व्यवधान)*

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, तब मैं मानता था कि जम्मू कश्मीर की जनता की कोई चिंता करेगा? खैर, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता की, मैं इसमें भी बताऊँ कि सारे पंचायत के चुनाव नरेन्द्र मोदी सरकार की पहली टर्म में 40 हजार पंच-सरपंच के चुनाव हमने सम्पन्न किए । जो आज तक नहीं किए गए। सालों-सालों तक इनके शासन में नहीं हुए । इसके बाद में तालुका पंचायत की सीटों के…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कांग्रेस दल के नेता हैं । आप थोड़ी प्रतिष्ठा बना कर रखो । ऐसा क्यों करते हो?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट । आप सदन में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, गरिमा बना कर रखो । आपने प्रश्न पूछा, माननीय गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब नहीं आ रहा है । …(व्यवधान) अमित शाह जी भी कभी-कभी खड़े होकर इंटरवीन करते हैं । …(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री अमित शाह : मैं कभी नहीं करता ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपने कल किया है । …(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं अध्यक्ष जी की परमिशन के बिना कभी खड़ा नहीं होता । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमें आपने सिखाया है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ।

श्री अमित शाह : मान्यवर, इसके बाद ब्लॉक के चुनाव हुए । सारे के सारे तहसील पंचायत, ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए । लगभग-लगभग 95 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई है । कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई । यह पॉलिटिकल नहीं है क्या? यह भी पॉलिटिकल है । जहाँ तक प्रतिबंधित आदेशों के तहत राजनीतिक नेताओं का जेल में रहने का सवाल है । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है और न ही हमारी ऐसी इच्छा है । जब वहाँ का प्रशासन निर्णय करेगा, तब उनकी रिहाई हो जाएगी । …(व्यवधान) अरे सुनो तो सही । …(व्यवधान) आप सुनो ना भई । …(व्यवधान) आप सुनो ना । …(व्यवधान) आप सुनो । …(व्यवधान) आप इतना जोर-जोर से बोल रहे हैं । अभी ये सब 5-6 महीने से जेल में हैं। फारूख अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने 11 साल तक जेल में रखा था। …(व्यवधान) उन्हें 11 साल तक जेल में रखा था । …(व्यवधान) 11 साल तक रखा था । …(व्यवधान) श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधान मंत्री थीं । …(व्यवधान) मगर हम उनके नक्शे-कदम पर चलना नहीं चाहते हैं । …(व्यवधान) जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा, उन्हें छोड़ देगा । …(व्यवधान) हमारी कोई इंटरफेयरेंस नहीं होगी। यह आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहाँ से फोन करके इंटरफेयरेंस करना । हम ऐसा नहीं करते हैं । …(व्यवधान) जब प्रशासन चाहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगेगी, तब होगा । …(व्यवधान) मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि जो कुछ नेता जेल में हैं, उनकी चिंता सबको करनी चाहिए, वे भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मगर ज्यादा चिंता घाटी की जनता की करकर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि

कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर रही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर, 305 श्री एकनाथ शिंदे ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी नोटिड नहीं हो रहा है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है, डिबेट का काल नहीं है । आप यह एक बात समझ लें । मैंने अगला प्रश्न बोल दिया है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर इतनी बड़ी डिबेट हो गई है।

(Q.305)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Sir, the Government aims to double farmers' income but we have seen doubling of farmers' suicides in Maharashtra. As per an RTI reply, in October 2019, out of a total of 15,356 farmers' suicides from 2013 till 2019, 396 cases were reported between 1st January, 2019 to 20th February, 2019.

NABARD is All India Rural Financial Inclusion Survey released in August 2018 shows that the average agricultural household income was a mere Rs.8,931 per month in 2016-17. The income of farm household has increased by just Rs. 2,505 per month which is calculated by comparing the NABARD report with a 2012-13 study by National Sample Survey Organisation. Another government body estimated the average monthly income of farm household at Rs.6,426.

The ambitious scheme of doubling farmers' income by 2022 requires innovative thinking. One of the focus areas of report on doubling income talks about shift of farm to non-farm occupation. One such way of implementing it is to turn farm waste into fuel instead of burning it. This farm waste had an adverse impact on Delhi's pollution recently. According to the Ministry of Earth Sciences, 44 per cent of Delhi pollution was because of stubble burning. So, we have to think about converting this waste into bio-fuel which will bring commercial farming to low income rural household and encourage small

enterprises to collect, process and extract bio-fuel. Has the Government thought about such a method? If yes, what has been done to achieve this?

श्री कैलाश चौधरी : महोदय, माननीय सदस्य जी ने किसानों की डबल इनकम विषय से संबंधित प्रश्न पूछा है । मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के द्वारा वर्ष 2013 के अंदर जो सर्वे किया गया था, उसके अनुसार किसान की आमदनी प्रति परिवार 6,426 रुपये थी । उसके बाद हमारे विभाग के द्वारा जो अंतर-मंत्रालयी कमेटी बनी, उस कमेटी के अनुसार, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दोगुना करना है, उसको लेकर हमने उस समय एक सर्वे किया । उसके आधार पर किसानों की फार्मिंग इनकम और नॉन फार्मिंग इनकम को जिस तरह से माना है, उसमें प्रति परिवार 8,166 रुपये प्रति माह माना गया । इस लक्ष्य को हम आगे पूरा करने वाले हैं । किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे हो, उसके लिए सरकार ने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने टारगेट्स तय किए । जो सात महत्वपूर्ण टारगेट्स तय किए गए, उनमें यह था कि उनके फसल की उत्पादकता कैसे बढ़े, पशुधन की उत्पादकता कैसे बढ़े, लागत में कमी कैसे आए, उसमें बचत कैसे हो, क्रॉप इंटेन्सिटी में वृद्धि कैसे हो, हाई वैल्यू क्रॉप्स के साथ-साथ वास्तविक मूल्यों में सुधार कैसे हो । साथ ही कृषि व्यवसायों का गैर कृषि व्यवसायों में परिवर्तन कैसे हो, इसके ऊपर सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं । इसके लिए हमारी सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें किसानों की आमदनी बढ़ानी है । उसके लिए सरकार की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के ऊपर निरन्तर मॉनीटरिंग हो रही है । उस मॉनीटरिंग कमेटी के माध्यम से सरकार की तरफ से आगे की जो प्लानिंग की गई है, उसके अन्दर हमारी सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि किसानों की आमदनी बढ़े । उसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड्स बना रहे हैं । इसके साथ ही पर-ड्रॉप-मोर-क्रॉप के अनुसार इसे किया गया है । साथ ही, हमारी परम्परागत कृषि विकास योजनाएं हैं । इसके साथ ही ई-एन.ए.एम. पोर्टल भी तैयार किया गया है, ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य मिल सकें । सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना भी की गई है,

'हर मेड़ पर पेड़' योजना भी की गई है । इस तरह से सरकार ने 'प्रधान मंत्री अन्नदाता संरक्षण योजना' बनाई । साथ ही, हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 'बी कीपिंग मिशन' भी स्टार्ट किया गया । संस्थागत ऋण प्रदान करने की योजना है, ताकि किसानों को ऋण उपलब्ध हो । …(व्यवधान) मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप सुनिए । …(व्यवधान) हमने आपको 55 सालों तक सुना, आज आपके सुनने का समय है, इसलिए आप सुनिए । …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया है । जब यू.पी.ए. की सरकार थी, उन्होंने वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक किसानों के लिए जो बजट दिया था, उसमें 1,21,000 करोड़ रुपये पाँच सालों के अन्दर दिए गए । हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच 2,11,000 करोड़ रुपये दिए । उससे भी आगे जाकर इस साल हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो बजट दिया, आप सुनिए, आपने पाँच सालों के अन्दर मात्र 1,21,000 करोड़ रुपये दिए और हमारी सरकार ने इस एक साल में किसानों के लिए जो बजट दिया है, वह 1,38,000 करोड़ रुपये दिया है । इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था । मंत्री महोदय ने यह सब जो उत्तर दिया है, यह उनके लिखित उत्तर में आ गया है ।

मेरा प्रश्न यह था कि बायो-फ्यूएल के लिए जो फार्म-वेस्ट है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न है ।

माननीय अध्यक्ष: आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : अध्यक्ष महोदय, वह मेरा पहला प्रश्न था ।

माननीय अध्यक्ष: आपको दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहिए था ।

माननीय मंत्री जी, जवाब दे दीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने प्रश्न पूछा है, हमारे आई.सी.ए.आर. विभाग के द्वारा ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं, जिससे कि किसानों के द्वारा फर्टिलाइज़र और बायोगैस का उपयोग हो । इसके लिए हमारे आई.सी.ए.आर. विभाग के द्वारा निरन्तर प्रयोग किए जा रहे हैं और किसानों को उनके घर तक जाकर, उनके खेतों में जाकर हमारे आई.सी.ए.आर. के वैज्ञानिक उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं । उन्हें जानकारी भी दी जा रही है । इसलिए इसका परिणाम निश्चित रूप से किसानों के खेतों में दिखता है और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को होगा ।

12.00 hrs

SHRI JAYADEV GALLA : Sir, this question was about doubling the farmers' income but I was really disappointed to see the written response in the very first paragraph which says:

> "Since the last survey was conducted in 2013, the farm incomes earned by rural households in real terms, during the last three years, are not available."

So, how do we get to know as to what is the real impact? The Minister has spent a long time answering all the fifteen different initiatives that the Government has taken. But how do we get to understand the impact of these initiatives in terms of how much have they improved the income, when we do not have the data beyond 2013? What is the number of beneficiaries; what is the impact; and how much has the income actually improved by the State? If you do not have that information, how do you measure the effectiveness of all of these policies?

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप टाइम देख लें एवं एक मिनट में जवाब दे दीजिए ।

श्री कैलाश चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए हमारे विभाग की ओर से निरंतर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है । किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया है कि किस तरह से मेरे ऊपर कल व्हिप …(व्यवधान) मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, कृपया कर उस पर कार्रवाई की जाए ।…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I am moving a Privilege Motion under Rule 222. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आपके द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को दी गई विशेषाधिकार मामले संबंधित सूचना प्राप्त हुई है । यह विषय मेरे विचाराधीन है ।

…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN : Sir, I am moving a Privilege Motion under Rule 222. …(*Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपको अवगत करा दूं कि आप नए सदस्य हैं, इस विषय के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है । मैं आपके सदन के नेता से भी आग्रह करूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों को इसका प्रशिक्षण देने की कोशिश करें ।

…(व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सभी बैठिए ।

श्री मनसुख एल. मांडविया।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394:-

(i) Review by the Government of the working of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1284/17/19]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1285/17/19]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 1286/17/19]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1287/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1288/17/19]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1289/17/19]

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1290/17/19]

(2) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 18 of 2019)(Compliance Audit)-General purpose Financial Reports of Central Public Sector Enterprises for the year ended March, 2018 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 1291/17/19]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. स्वर्गीय अन्नासाव नारायण पाटील बहुउद्देश्यीय संस्था, जलगांव के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
2. स्वर्गीय अन्नासाव नारायण पाटील बहुउद्देश्यीय संस्था, जलगांव के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1292/17/19]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1293/17/19]

(2) (एक) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1294/17/19]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा(6) के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019, जो 19 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4149(अ)/ आव.वस्तु/गन्ना में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1295/17/19]

(4) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 3 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 627(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1296/17/19]

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) विनियम, 2019 जो 4 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या बीएस/11/09/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1297/17/19]

(6) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3546 (अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों के लिए चावल हेतु 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं हेतु 2 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज हेतु 1 रुपए प्रति किलो के राजसहायता प्राप्त मूल्यों को 30 जून, 2019 से आगे तथा अगले आदेशों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1298/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Cooperative Union of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Union of India, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Cooperative Union of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1299/17/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019.

(iv) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation (Employees Provident Fund), New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1300/17/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1301/17/19]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1302/17/19]

(5) A copy of the Raisins Grading and Marking Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.517(E) in Gazette of India dated 22nd July, 2019 under sub-section (3) of Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.

[Placed in Library, See No. LT 1303/17/19]

(6) A copy of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.863(E) in Gazette of India dated 20th November, 2019 under Section 97 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

[Placed in Library, See No. LT 1304/17/19]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 4274(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुसूची- 1 के पैरा 4 उप-पैरा 1 मद (एक) (1) में 'सरकारी या पंचायत भवनों में छत के ऊपर वर्षा जल संचयन ढांचे' वाक्यांश शामिल करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 1305/17/19]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान): अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1306/17/19]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 23 नवम्बर, 2019 की उद्घोषणा, जो 23 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में 12 नवम्बर, 2019 को उनके द्वारा जारी पूववर्ती उद्घोषणा का भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत प्रतिसंग्रहण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1307/17/19]

(2) राष्ट्रपति को प्रस्तुत महाराष्ट्र के राज्यपाल के 22 नवम्बर, 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1308/17/19]

(3) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3259(अ) जो 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ई-एफआरआरओ को प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप आव्रजन ब्यूरो में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1309/17/19]

(4) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3260(अ) जो 12 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एफआरआरओ मॉड्यूल को प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप आव्रजन ब्यूरो में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1310/17/19]

(5) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1858(अ), जो 28 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर विमानपत्तन को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत आप्रवास चैक पोस्ट घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1311/17/19]

(6) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1859(अ) जो 28 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवास अधिकारी, देवी अहिल्या बाई

होल्कर विमानपत्तन, इंदौर को विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 28.05.2019 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1312/17/19]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 1313/17/19]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आंट्रप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आंट्रप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **।**

[Placed in Library, See No. LT 1314/17/19]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1315/17/19]

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
1st to 4th Reports

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

1. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पहला प्रतिवेदन ।
2. संचार और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।
3. संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन ।
4. इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

____

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
1st to 5th Reports

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन ।

(4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन ।

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

Ist and 2nd Reports

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2019-20):-

1. First Report on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).
2. Second Report on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

12.05 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

Statement

श्री संजय काका पाटील (सांगली): महोदय, मैं 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की समीक्षा' विषय के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.06 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 234 DATED 19 NOVEMBER, 2019 REGARDING 'DETENTION CAMP FOR FOREIGNERS' ALONG WITH REASON FOR DELAY*

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा (एक) "विदेशियों के लिए निरूद्ध शिविर " के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के 19 नवम्बर, 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाले वक्तव्य को सभापटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1316/17/19.

NITYANAND RAI
Minister of State for Home Affairs
Government of India
North Block, New Delhi

I intend to correct the reply of part (a) and (b) to the Lok Sabha Unstarred Question No. 234 answered on 19.11.2019 regarding "Detention Camp for Foreigners".

Reference	For	Read as
(a) and (b)	(a) and (b) Detention Centres are set up by State Governments/UT Administrations as per their requirement to detain illegal migrants/foreigners who have completed their sentence pending their deportation to their native country. At present, detention centres have been setup only in the state of Assam.	(a) and (b) **Yes Sir. There are Detention Centres for Foreigners in a few States other than Assam.** They are set up by State Governments and UT Administrations as per their requirement to detain illegal migrants or foreigners who have completed their sentence pending their deportation to their native country.

The reason for delay:

The mistake came to the notice of the Ministry at a later stage as the focus of establishing Detention Centre was only in the state of Assam because NRC process is going on in Assam only. However, some other states have either set up Detention Centres in their states, as per their requirement, or are in the process of setting up Detention Centres. Processing for preparation of correction statement also took some time.

12.06 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a)Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Rural Development on 'National Institute of Rural Development and Panchayati Raj' pertaining to the Ministry of Rural Development.*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान' के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 36th Report of the Standing Committee on Rural Development on 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana' pertaining to the Ministry of Rural Development*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बंधित 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 1317/17/19 and 1318/17/19 respectively.

माननीय अध्यक्ष : सुश्री महुआ मोइत्रा ।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Mr. Speaker, Sir, I would like to bring to your notice a very disturbing fact related to our oil sector PSUs, as per my parliamentary question answered by the hon. Minister.

Sir, IOCL and GAIL, which are our public sector undertakings, have signed a User Pay Contract worth Rs. 46,500 crore for the LNG Terminal at Dhamra. User Pay means, whether they require it or not, whether they use it or not, whether the connecting pipeline is built or not, *…* * This is in complete violation of CVC Guidelines.

माननीय अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य, यह आपका विषय नहीं है ।

श्री अशोक कुमार यादव ।

…(<u>व्यवधान</u>)

सुश्री महुआ मोइत्रा: यही प्रश्न है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने दूसरा विषय दिया है ।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप बिना नोटिस के किसी पर आरोप नहीं लगा सकती हैं ।

श्री अशोक कुमार यादव ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): महोदय, मैं आपके माध्यम से मिथिलांचल की एक गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : आप पूरा विषय लिखकर दीजिए, उसके बाद देखेंगे ।

…(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार यादव : महोदय, वर्ष 2002 में जब श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी केंद्र सरकार में भूतल परिवहन और राज्य मंत्री थे, तो उस समय उत्तर बिहार में लगभग 700 किलोमीटर को एनएच सड़क में लिया गया था, जिसमें एक एनएच 104 सड़क भी थी । एनएच 104 सड़क के स्वीकृत होने से मिथिलांचल के लोगों में उमंग और उत्साह आया था, लेकिन खेद का विषय है कि अब वहां के लोग निराश होने लगे हैं ।

महोदय, एनएच 104 सड़क मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी और नरहिया बाजार को जोड़ती है, जिसमें अधिकांश भाग मधुबनी जिले का पड़ता है । वर्ष 2015 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा इस सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी भी यह सड़क अधूरी पड़ी है ।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है । यह सड़क अयोध्या, सीतामढ़ी और जनकपुर को भी जोड़ती है । यह सड़क सीमावर्ती क्षेत्र है और यह सड़क दो एन.एच. को भी जोड़ती है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस सड़क के निर्माण में जो दोषी अधिकारी हैं, कंसल्टेंट हैं, ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए इस सड़क के निर्माण को अतिशीघ्र कराया जाए । मैं सरकार से यह माँग करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में कठुआ से लेकर उन्नाव तक हर दिन एक के बाद एक सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, पीड़ितों को आग लगा कर मारने की घटनाएं घटती आ रही हैं । सारे सदन ने इस पर चिंता व्यक्त की है, पीड़ा व्यक्त की है । आज हिन्दुस्तान की हालत यह है कि रोजाना हिन्दुस्तान में 106 बलात्कार होते हैं और दस में से चार इसमें माइनर होते हैं । जो रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, उसमें से चार में से एक को सजा मिलती है । सदन में उन्नाव के बारे में चर्चा हुई है । उन्नाव की पचास फीसदी झुलसी हुई महिला की मौत हो गई है, जब हम उसको

देखते हैं तो हम सभी को शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है । हमें दुख लगता है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जो हर समय मुखर रहते हैं लेकिन उनका एक बयान नहीं आया है । हिन्दुस्तान मेक इन इंडिया की जगह धीरे-धीरे … * की ओर बढ़ रहे हैं । …(व्यवधान) हम मेक इन इंडिया की तरह हिन्दुस्तान को …* कहने को मजबूर हो रहे हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार ।

श्री विजय बघेल।

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ से कार्गो एयर चलाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है । छत्तीसगढ़ और खासकर दुर्ग लोक सभा क्षेत्र के बुजुर्ग,अनुभवी किसान एवं पढ़े लिखे युवा किसान आधुनिक तकनीक से जैविक खेती करके विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जी और फल अत्यधिक मात्रा में उम्दा गुणवत्ता की फसल का उपज करते हैं, जिसका भरपूर लाभ स्थानीय स्तर पर किसानों को नहीं मिल पाता है, जिससे उनके मन में निराशा उत्पन्न हो रही है । दूसरे राज्य में बड़े शहरों में सड़क और रेल मार्ग से समय पर फल और सब्जियां नहीं पहुंचने के कारण खराब हो जाती है इससे किसानों को हानि उठानी पड़ती है ।

मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र स्वामी विवेकानन्द रायपुर एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ से एयर कार्गो प्रारंभ की जाए ताकि मेहनतकश किसानों को उनकी फसल का उपयुक्त लाभ मिल सके । प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है, उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाएगी ।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल रमेश शेवाले। जब मैंने आपका नाम बोला था तब आप कहां थे? फिर दोबारा बोल देंगे । अभी राहुल शेवाले । सदन में अटेंशन देनी चाहिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है । वर्तमान सरकार किसानों और मजदूरों की हितैषी है । राजस्थान का झुन्झुनू जिला कृषि जिन्स जैसे गेहूं, तिलहन और दलहन इत्यादि के उत्पादन में अग्रणी है ।

---

* Not recorded.

अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि किसानों के हित में सुचारू वितरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए झुन्झुनू में भारतीय खाद्य निगम का मंडल कार्यालय खोला जाए, जिससे किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और फसलों का रखरखाव ठीक ढंग से हो सके ।

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Sir, India's one of the oldest universities, Punjab University, had started South Indian Regional Language Department in 1966 to teach the Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada to the students. They had appointed Assistant Professor as a permanent staff for Tamil alone in 1967.

In 2001, Dr. Ramakrishnan, Tamil Professor, had retired from his service. For the last 18 years, nobody has been appointed in that position. For other languages also, classes were not conducted properly. Sir, the Chief Minister of Tamil Nadu has announced in his Budget Speech to provide an aid of Rs. 12 lakh per year to support the Punjab University to appoint Tamil professors; and he also wrote a letter to the University in this regard.

I would, therefore, humbly request the Minister of Human Resource Development to intervene in the matter and find a solution to develop Tamil language, which is the oldest global language. The Government also has to extend its support for development of Tamil language and other regional languages like Telugu, Malayalam, Kannada etc. in other parts of India. Learning other regional languages and cultures will help strengthen secular India.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Speaker, Sir, several MPs including myself are getting a lot of applications from poor patients to get financial assistance under the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF). We all know that diseases relating to kidney and heart are increasing day by day. The poor patients are not in a position to meet the huge expenditure for their treatment. Unfortunately, the amount sanctioned under the PMNRF is very meagre. I have gone through the applications. Three applications are allowed for an MP in a month, and that too as per the lot. Unfortunately, it is a very difficult situation for the patients.

I would, therefore, humbly request that the allotment to PMNRF may kindly be increased so that the poor patients will get relief up to maximum possible extent. Thank you.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्री जी का ध्यान बहुत ही गंभीर मसले की ओर दिलाना चाहता हूं । सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों लाखों एकड़ जमीन बासमती चावलों के लिए मशहूर है । जम्मू-कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का बासमती चावल देश और विदेश में भेजा जाता है । इसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और खाने में पाचक होते हैं ।

इस बार बासमती फसल तैयार हुई, विशेषकर जम्मू सीमावर्ती क्षेत्र जैसे सांबा, कठुआ, आरएस पुरा, अखनूर, सुंदरबणी, नौशेरा और पुलशोर और राजौरी क्षेत्र में बिन मौसम बरसात हुई और साथ ही ओलावृष्टि भी हुई । इसके कारण बासमती चावल की सारी फसल तबाह हो गई ।

मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि इसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए ताकि किसानों का नुकसान न हो, उनके नुकसान की भरपाई हो सके और आने वाले दिनों में वे बासमती चावल की फसल उगा सकें ।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान संसदीय क्षेत्र सीतापुर में रेल समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर लखनऊ से मात्र 85 किलोमीटर दूरी पर है । देश की आजादी के 70 साल बाद यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह लाइन मीटरगेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित हुई है, लेकिन इस रूट पर लखनऊ से वाया सीतापुर, शाहजहांपुर कोई नई रेल लाइन नहीं चलाई गई है ।

मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रेल मंत्री जी इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें और लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर होते हुए नई दिल्ली तक ट्रेन चलाने की कृपा करें । धन्यवाद ।

*** SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE) :** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. The Government has been continuously announcing that they will be doubling the income of farmers. But the Government of the day has not understood the plight of farmers. Particularly, in Tamil Nadu agricultural activities are affected. Farmers do not get remunerative price for their produce. There are some shortcomings in the direct procurement of farm produce due to which farmers are affected. In my Erode constituency, turmeric is cultivated in an area of 8000 hectares of land. Since turmeric is not included in the list of direct procurement of products by the Union Government, farmers are at a loss.

Therefore the Union Government should procure turmeric through NAFED. Gloriosa Superba is grown in large area in Tiruppur and Dindigul districts of Tamil Nadu. Government should directly procure these flowers and seeds. The livelihood of farmers are affected due to several programmes of the Union. Delta district is the granary of Tamil Nadu. This region is affected due to exploration of hydrocarbon and methane. This region should be declared as

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

agricultural zone and such exploration activities should be stopped. In the western side of Tamil Nadu, GAIL gas pipeline, IDPL oil pipeline and high voltage towers for transmission of electricity are some of the Union Government's programmes that are implemented. Because of these programmes farming is affected. Instead of high voltage towers there should be underground cabling for transmission of power. The magnetic field on both the sides of high voltage towers affect the people living in that area. Due to underground cabling transmission losses could be averted. I urge upon the Union Government to provide compensation to already affected farmers by removing the bottlenecks. Instead of providing one time compensation amount, they can be given a monthly or yearly rent for the land occupied by these high voltage towers and the area which is covered through the transmission lines of power. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, I would like to draw your attention to an important matter regarding MGNREGS. It is very painful that the workers under MGNREGS of Kerala did not get the wages for eight months after Onam celebration. Most of the families are sticking upon this income. They became helpless and hopeless. The Government should interfere in this matter immediately to issue the necessary funds to distribute wages of the workers.

Sir, hundred working days for a family is inadequate nowadays. The price hike of commodities made the life of people miserable. So, I request the Government to think about increasing the working days from 100 to 125 with an immediate effect.

In Kerala, the standard of living and living cost is very high in comparison to other States. Therefore, I request the Government to take initiative to increase the wage in Kerala from Rs. 271 to Rs. 300.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को कुमारी राम्या हरिदास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): Thank you hon. Speaker, Sir. I consider myself fortunate to represent a constituency like Shirur where – birthplace of Shivaji Maharaj – Fort Shivneri is located. As we all know, Chhatrapati Shivaji Maharaj was the only king who was not born as a king, who never betrayed anyone to become a king, who sworn himself as a king and when he passed away, till that time, he was a king. None of the great seventeen in the world stand on this criterion. इसलिए न सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे देश, बल्कि विश्व के शिव भक्तों के लिए किला शिवनेरी एक तीर्थस्थल से कम नहीं है । मेरी विनती है कि टूरिज्म सर्किट के तहत शिवनेरी के तले एक शिव सृष्टि का निर्माण किया जाए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक हो, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को महाराष्ट्र की लोक परम्परा और लोक संस्कृति को दर्शाया जाए । बूढ़े-बच्चे सभी इस शक्ति स्थल का दर्शन कर सकें, इसलिए शिवनेरी पर रोपवे की मांग पूरी की जाए । यही मेरी विनती है । जय शिवराय । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को डॉ.अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, 'आयुष्मान भारत योजना' स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधान मंत्री जी का एक क्रांतिकारी कदम है । इससे देश के निर्धन और वंचित लोगों को कैंसर तथा हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज कराने में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का बहुत बड़ा सम्बल प्राप्त हुआ है । लेकिन, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश के जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लेकर जाने वाले जो मरीज हैं, उनको कीमो थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे महंगे उपचार से वंचित किया जा रहा है । अगर इस तरह के पैनल में शामिल जो अस्पताल हैं, यदि उनमें गरीब लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा तो इससे गरीबों के मन में निराशा और हताशा का भाव उत्पन्न होगा ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री 'आयुष्मान भारत योजना' में देश भर के जितने निजी अस्पताल हैं, जिनको इस पैनल में शामिल किया गया है, उनमें आयुष्मान योजना का कार्ड लेकर जाने वाले गरीब लोगों को चिकित्सा लाभ दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए अन्यथा इन पर एमसीआई द्वारा गंभीर कदम उठाया जाना चाहिए ताकि 'आयुष्मान भारत योजना' से गरीब और वंचित वर्ग के लोग चिकित्सा का लाभ ले सकें ।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री गणेश सिंह और श्री उदय प्रताप सिंह को डॉ.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Thank you, Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak in 'zero hour'. I would like to draw the attention of the Government towards the four laning of Ahmednagar-Karmala-Solapur section on National Highway 516A.

The Ministry of Road Transport and Highways implementing Bharatmala Project to improve road connectivity across the country. As a part of Bharatmala, the National Highways Authority of India has taken the project of four-laning of 143 kilometers. It passes through Ahmednagar and Solapur Districts. Approval for acquiring 3.5 hectares land of Armoured Corps Centre and School and 1.63 hectare land of Mechanised Infantry Regiment Centre, belonging to the Ministry of Defence, is affecting the construction of this four-lane project.

I request the Government, through you, Sir, to kindly instruct the Ministry of Defence to accord approval for acquisition of Defence land in order to expedite and complete the four-laning of Ahmednagar-Karmala-Tembhurni in Maharashtra under Bharatmala Project at the earliest so that it gives a fillip to the development of my Lok Sabha constituency.

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रिंस राज ।

श्री प्रिंस राज नए सदस्य हैं, चुनकर आए हैं, सदन के अन्दर यह उनका पहला भाषण है ।

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया ।

सबसे पहले, मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । जब से मैं सांसद निर्वाचित हुआ हूं, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, जब आप सदन में बैठते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? मैं उन्हें यही कहता हूं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं वापस अपने बचपन में, उस कक्षा में वापस आ गया हूं, जहां पर अध्यापक हमारे सामने बैठे होते हैं । कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टिप्पणियां करते हैं, कुछ अव्वल दर्जे के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बैकबेंचर्स - होते हैं और कुछ सदस्य शान्त बैठते हैं। साथ ही , वह भी डर रहता है, जो डर एक स्टूडेंट को तब

होता था, जब पैरेंट्सटीचर मीटिंग के समय उनके गार्जियन्स- स्कूल में आते थे, उनको रिपोर्ट कार्ड देते थे । वह डर हमें रोज होता है, क्योंकि जब मैं इस सदन में बैठता हूं, तो मेरे समक्ष मेरे भैया, बड़े पापा और मझले पापा यहां रहते हैं कि कहीं गलती या चूक न हो जाए । सर, मैं आपसे और सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मैं सदन में पहली बार बोल रहा हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करें और उस गलती को नजरअंदाज करें ।

सर, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या आपके समक्ष रखना चाहता हूं । यह समस्या, जब मैंने वर्ष 2015 में विधान सभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भी हमारे समक्ष आई थी और मेरे पिताजी के प्रयासों से उस समस्या से निदान भी मिला था । मेरे लोक सभा क्षेत्र समस्तीपुर में जूट मिल कारखाने से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है । वह कारखाना काफी समय से कुछ कारणवश बन्द पड़ा है । वर्ष 2015 में जब यह समस्या सामने आई थी, तब मेरे पिताजी के प्रयास से इस कारखाने को खोला गया था, लेकिन पिछले तीन सालों से यह कारखाना बन्द है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कारखाने में लगभग पांच हजार वर्कर्स काम करते थे, जो इस कारखाने के बन्द होने की वजह से दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह मामला केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है, यह सिविल सप्लाईज का मामला है । जब इस कंपनी ने अपना प्रोडक्शन करके राज्य सरकार को दिया था, तब उसमें से कुछ राशि बकाया रह गई थी, जो इस कंपनी को नहीं मिली थी । उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था । मेरे पास कोर्ट की जजमेंट है । यह 10 अक्टूबर की माननीय पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें साफ लिखा गया है :

> “..clearly stating that the claimant has not violated any condition of the Agreement and there is no cause for blacklisting the claimant.”

इसमें साफ लिखा गया है कि जिस आधार पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, वह वाजिब नहीं है । कोर्ट की जजमेंट है कि the amount is payable by the Corporation

to the claimant forthwith along with the interest of 12 per cent, half-yearly compoundable. इसका मतलब है कि जो राशि बकाया है, उसे देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है ।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस राशि को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए, ताकि वे 5000 मजदूर, जो अन्य प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, वे वापस आकर, वहां अपने परिवार के साथ रहकर, उनका पालनपोषण करें-, उनका ध्यान रखें और अपने प्रदेश में ही वे काम कर सकें । बहुतबहुत शुक्रिया- ।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव जाधव ।

…(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा : सर, मैंने एक विषय दिया था । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका विषय देख रहा हूं । देखने के बाद बताऊंगा ।

सुश्री महुआ मोइत्रा : सर, तब तो अभी एक घण्टा लगेगा, उसे देख लीजिए ।

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका विषय दोबारा पढ़ लेता हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका विषय पढ़कर कल आपको सब्जेक्ट दूंगा ।

…(व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सर, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि मेरे बुलढाणा लोक सभा क्षेत्र से नेशनल हाइवे संख्या-6 गुजरता है । नेशनल हाइवे संख्या-6 को बनाने का काम आईएलएफएस कंपनी को वर्ष 2016 में दिया गया था, लेकिन वर्ष 2018 से, दो साल से वह काम बन्द है, पूरी रोड उखड़कर रखी हुई है । अभी तक उस रोड पर हजारों एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, सैकड़ों लोग वहां पर मृत्युमुखी हो गए और सैकड़ों लोग घायल भी हो चुके हैं । आपके माध्यम से, मेरी विनती है कि इस नेशनल हाइवे संख्या-6 का काम जल्द से जल्द दूसरी किसी कंपनी के माध्यम से शुरू किया जाए । मेरे क्षेत्र में नेशनल हाईवे के जो दूसरे

काम हैं, उन पर निगरानी करने के लिए जो भी कम्पनियां रखी गई हैं, उनके साथ-साथ वहां के कांट्रेक्टर्स की मिलीभगत से सड़कों का निर्माण कार्य बहुत ही निचले दर्जे का हो रहा है । यदि उन्होंने गलत काम किया है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे होने वाले सभी काम सही ढंग से हों, यह सुनिश्चित किया जाए । किसानों को इससे जो तकलीफ हो रही है, वह न हो, इसकी भी जिम्मेदारी विभाग को लेनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लॉकेट चटर्जी ।

आप कृपया राज्य का विषय मत उठाएं ।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): महोदय, मैं आज एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर बोलना चाहती हूं । पश्चिम बंगाल में मालदा के अंदर जो घटना घटी है । अधीर रंजन चौधरी जी ने जो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, नहीं । यह सदन आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं है । मैंने उन्हें भी टोक दिया । आप बैठ जाएं । मैंने सदन के नेता को भी मना कर दिया है ।

संजय भाटिया जी । संजय भाटिया जी पहली बार सदन में बोल रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें मौका दिया है ।

श्री संजय भाटिया (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार इस सदन में अपनी बात रख रहा हूं । मैंने पासवान जी को देखा । वे पहली बार यहां आए, मेरे बाद आए और सदन में बोले । मैं आपके माध्यम से रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त राजमार्ग यदि कोई है, तो वह एनएच-1 है जिसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है । पिछले डेढ़-दो वर्षों से उसका काम बिलकुल बंद पड़ा है । जिस कम्पनी को उसे आठ लेन करने का ठेका दिया गया, किन्हीं कारणों से उन्होंने काम बंद कर रखा है लेकिन फिर भी उस रोड पर टोल वसूला जा रहा है । मैंने जब यह बात अधिकारियों के संज्ञान में लाई तो उन्होंने मुझे बताया कि यह हमारे रूल्स में है । यदि काम शुरू हो जाता है, तो हम टोल टैक्स ले सकते हैं । मैंने कहा कि जो काम डेढ़-दो साल से बंद है, तो वहां टोल लेना आपको बंद करना चाहिए । यह हाईवे मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है, वहां एलिवेटेड हाईवे बना । यह यूपीए की सरकार के समय बना,

लेकिन यह दुनिया का पहला एलिवेटेड हाईवे है, जिसे बिना यूज किए पानीपत के लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है । मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के बाद ही दूसरा टोल शुरू होना चाहिए, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर के बाद ही दो टोल एक बस्ताड़ा का है, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र पानीपत और करनाल को दो हिस्सों में बांटता है । मैं आपके माध्यम से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और नितिन गडकरी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने यमुना एक्सप्रेस हाईवे, जो काफी समय से बंद था, उस पर भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश किया है ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री संजय भाटिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष जी, मैं जिस इलाके से आता हूं, मेरे लोक सभा क्षेत्र से दो नदियां मयूराक्षी और चानन निकलती हैं । मैं यह एग्रीमेंट लेकर आया हूं । यह 19 जुलाई, 1978 का है जो तत्कालीन बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु और बिहार के मुख्य मंत्री कर्पुरी ठाकुर जी के बीच हुआ था । जो नदी हमारे यहां से निकलती है, उसका पूरा का पूरा डैम मेरे यहां है, लेकिन उसका पूरा पानी बंगाल यूज करता है । मेरे यहां मैथंड डैम है, मेरे यहां पंचेत डैम है । ये झारखंड की जमीन पर बने हुए हैं लेकिन इनका पूरा पानी और पूरी बिजली पूरी की पूरी बंगाल यूज करता है । बंगाल ने वर्ष 1978 में एक एग्रीमेंट साइन किया और उसने कहा कि इसके बदले वह तीन डैम बनाएगा । अजय नदी के बदले वह काली पहाड़ी में डैम बनाएगा । मयूराक्षी नदी पर सिद्वेश्वरी प्रोजेक्ट बनाएगा और एक बाराकर नदी पर डैम बनाएगा । बंगाल सरकार ने कहा कि तीन डैम अपने खर्चे पर हमें बनाकर देगा। 1978 से 40-41 साल हो गए हैं । आज तक बंगाल सरकार ने उसके बारे में कोई मीटिंग नहीं की । जमीन हमारी है, पानी हमारा है और उसका सारा उपयोग बंगाल कर रहा है । उसी तरह से दूसरी नदी चानन है जो मेरे लोक सभा क्षेत्र देवघर से निकलती है

और उसका पूरा पानी बिहार सरकार यूज करती है । उसका पानी गोड्डा जिले को देना था और उस डैम को बने हुए 50 साल हो गए? 1966 में वह डैम बना और आज 52 साल बाद मैं इस बात को कह रहा हूं । मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह के जो इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें सरकारें एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रही हैं । मेरा आग्रह है कि या तो भारत सरकार इसमें इंटरविन करे, बंगाल का पानी रोके, …(व्यवधान) झारखंड को पानी दे । यदि झारखंड को पानी नहीं मिलेगा तो यहां के किसान मर जाएंगे और संथाल परगना में एक साल पानी पड़ता है, दो साल सुखाड़ होता है । हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं । पानी हमारा है, ज़मीन हमारी है, डैम हमारा है, लेकिन बंगाल सरकार इसका पालन नहीं कर रही है । इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र चंद्रपुर की एक भयंकर प्रदूषण की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों का 'सेपी' स्कोर प्रकाशित किया गया ।

इसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चंद्रपुर शहर 76.41 स्कोर के साथ दूसरे क्रमांक पर है । चंद्रपुर टाइगर रिजर्व, हरे-भरे जंगलों और सुंदर नदियों के लिए जाना जाता है । पर अब कुछ वर्षो से इसे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण के लिए भी जाना जाता है । वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान कोयला, सीमेंट, चूना पत्थर, पेपर मिल, राईस मिल, थर्मल पॉवर स्टेशन से निकलने वाले ज़हरीले धुएं, डस्ट और कैमिकल्स का है । एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रपुर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, भारी भरकम डीजल के वाहनों द्वारा कोयले की खदानों से कोयला लाने में जो धूल उड़ती है और उस कोयले को शहर और गांव के पास खुले स्थान पर डम्पिंग किया जाना ।

दूसरा, एक और बड़ा प्रदूषण का कारण है- चंद्रपुर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन जो पिछले कई वर्षो से प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और चंद्रपुर और आसपास के वातावरण को ज़हरीला बना रखा है । एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्लांट की यूनिट नम्बर 1 और 2 बहुत पुरानी हैं जो क्रमश: 1983 और 1984 में बनी थीं और उनमें से सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर (एसपीएम) क्रमश: 381 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर और 643 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर रेगुलरली निकलता रहता था जो सामान्य मानक से कहीं ज्यादा था । सामान्यत: यह 100 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए और उनकी ऊंचाई भी केवल 90 मीटर थी , जो मानक के अनुरूप नहीं थी । मानक के अनुसार ऊंचाई लगभग 275 मीटर होनी चाहिए ।

अंत में, मेरा अनुरोध है कि चंद्रपुर वासियों को इस ज़हरीले प्रदूषण से बचाइए । इसके लिए सबसे पहले जो कोयला शहरों और गांवों के पास खुले में डम्प किया जाता है, उसके लिए कहीं दूर डंपिंग स्थान बनाया जाना चाहिए ।

दूसरे, चंद्रपुर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन सहित और जो दूसरी कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मानक के अनुसार चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब मेरे लिए माननीय हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि सामने आपका नाम भी लगा हुआ है । घड़ी भी लगी हुई है । एक मिनट में अपनी बात को कह दें और कुछ बचा हुआ हो तो 15 सैकेंड और ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय न लें ।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, जब सोमनाथ चटर्जी जी अध्यक्ष थे, तब से अपनी सीट से बात करने का उन्होंने एक नियम लागू किया था । टी.वी. स्क्रीन के ऊपर नाम आता है । अगर कोई अपनी सीट से नहीं बोलते हैं तो और किसी का नाम आता है । इसीलिए स्ट्रिक्टली वह नियम आप इंपलीमेंट करिए, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

माननीय अध्यक्ष : सदन भी यही चाहता है । यहां सदन सहमति से चलता है ।

आज के बाद माननीय मंत्रिगण भी अपनी जगह से जवाब देंगे ।

…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में हजारों की संख्या में गड़रिया समाज यानी पाल समाज के लोग रहते हैं । वर्ष 2005 में इनका ऊन 40-45 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता था, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से चीन से सस्ता सिंथेटिक फाइबर इम्पोर्ट होने के कारण, अब इन लोगों का ऊन किसी भी दाम पर नहीं बिक रहा है । अब इन लोगों की यह स्थिति हो गई है कि एक समय इनका ऊन इनको सम्मानित आय देता था, आज वह फेंका जाता है या जलाया जाता है ।

मान्यवर, यह स्थिति सिर्फ मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र की भी है । मेरा आपके माध्यम से वस्त्र मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले की तह तक जाएं और इन गड़रिया, पाल समाज के लोगों के ऊन का उचित दाम मिले, इसके लिए पूरा सहयोग करने का काम करें ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से उद्यमशील मंत्री से अनुरोध है कि गड़ेरिया समाज, यानी पाल समाज के लोगों को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किसी एक दिशा में कार्य करने का काम करें, पॉलिसी बनाने का काम करें ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली बागमती नदी के तटबंध का चौथे चरण का निर्माण वर्ष 2012 में ही पूरा होना था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिसका खामियाज़ा बागमती नदी में आने वाली बाढ़ की विभिषिका वर्षों से झेल रहे गायघाट के पूर्वी भाग में रह रहे एक बड़ी आबादी को भुगतना पड़ रहा है ।

महोदय, उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सीडब्ल्यूजे-13555/2017 के आश्वासन के बावजूद भी बांध का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है । इस कारण गायघाट प्रखंड तेहवारा, शिवदाहा, बरूआरी समेत दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा, उत्तरी-दक्षिणी एवं रामपुर पंचायत के लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड एवं दरभंगा जिले के लाखों लोगों को बागमती नदी की बाढ़ की विभिषिका से निजात दिलाने हेतु बागमती नदी के बायें तटबंध के चतुर्थ चरण का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु बिहार सरकार को निदेर्शित करें ।

***SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):** Hon. Speaker Sir, I thank you for giving this opportunity to speak.

Sir, in Andhra Pradesh, Beda & Budaga Jangam Communities which comes under SC category, are fighting for their rights. As per constitution of India, in 1950 these communities were included in the list of Scheduled Castes. In 1976 also they were included in SC list of United Andhra Pradesh and were provided with privileges meant for SCs.

Beda, Budaga Jangam Communities are very poor and earn their livelihood by performing arts like 'Burna Katha' (an art of rendering story in a dramatized manner). Their progress is not much and are going through hard times. They are finding it difficult to avail reservation benefits. They are running from pillar to post to get SC certificate. In this context, I would like to mention that, though these communities were originally in the list of SCs as notified in the Constitution of India, in 2014 after bifurcation of Andhra Pradesh, these communities were excluded from the list without proper justification or examination.

I request Union Government, on behalf of Beda, Budaga Jangam Communities to consider demands of these communities and include them in the list of Scheduled Castes as recommended by one man committee of JC Sharma. Therefore, I once again request the Government to include Beda and Budaga Jangam Communities in the list of Scheduled Castes. Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति गंभीर विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूँ ।

वाजपेयी जी का सम्पूर्ण संथाल समाज आज भी शुक्रगुजार है । उस समय 22 दिसम्बर, 2003 में प्रधान मंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में संथाली भाषा को मान्यता मिली । आज आपके माध्यम से मैं सम्पूर्ण संथाल समाज की तरफ से उनको विनम्रतापूर्वक याद करते हुए बधाई देता हूँ ।

विश्व की सबसे पुरानी भाषा संथाली के संरक्षण और विकास के विषय पर इस सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ । किसी भी सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए उसकी अपनी भाषा का होना अनिवार्य है । सभ्यता के विकास के क्रम में आदिकालीन युग में जब संवाद सम्प्रेषण के लिए भाषा अपेक्षित विकास नहीं कर पाई, आज भी आदिवासी समाज में अधिकांशत: यही भाषा बोली जाती है । पूरे देश में लगभग 76 लाख लोगों द्वारा बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी बोली जाने वाली इस भाषा के विकास की आवश्यकता है । यह संविधान की 22 भाषाओं में से एक है और आदिवासी स्वाभिमान से जुड़ी हुई है । किसी भी भाषा के लिए उसकी लिपि का होना अनिवार्य है । इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है, जिसके जनक स्व. पं. रघुनाथ मुर्मू जी हैं ।

माननीय अध्यक्ष: आप घड़ी देख लें, आपके बोलने का समय पूरा हो गया ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री खगेन मुर्मू द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

SHRI G.M. SIDDESHWAR (DAVANGERE): Hon. Speaker, Sir, thank you. I would like to draw the attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways, through you, towards the need for taking up the National Highway projects related to Davangere Parliamentary Constitutency in Karnataka.

The State Highway NH 13, connecting Mariyamanahalli – Harpanahalli – Harihar – Honnalli and Shomoga has been declared as National Highway and the DPR for this project has already been completed. But no work has yet been started as the Central Government has not released any funds for this project.

Another project at NH 48 near Davangere and terminating at its junction with NH 369 near Channagiri has been declared in-principle as National Highway in January 2016. But even after nearly four years, no survey has been done for this proposal. The DPR and the tender process has also not been started. Due to the absence of these basic works, the project has not been started till now.

The State Government of Karnataka has already sent the proposal to the Union Government for these projects. I personally met the hon. Minister of Road Transport and Highways several times and he had promised me that he could take action immediately. But no progress has been made so far in these two projects.

These two proposals are very important for the development of Davangere Parliamentary Constituency in Karnataka.

Keeping the above in view, I urge upon the Union Government to take up the above two National Highway projects at Davangere in Karnataka at the earliest for the benefit of the people. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर कोई माननीय सदस्य पढ़कर बोलना चाहते हैं, तो वे अपने घर पर प्रैक्टिस करके आ जाएं कि उनका भाषण कितनी देर में समाप्त हो रहा है ।

***SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR) :** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Union Government has planned to conduct NEET-PG for admission to the Post Graduate courses of Medicine in the country. A notification in this regard was issued on 1st November 2019 by the Government. Out of the 30,774 seats, 50 percent seats i.e. 15,387 seats will be filled by the Union Government through counseling. As per the reservation scheme 50 % should be provided for General category; 22.5 % for SC/ST and 27 % for OBC and Most Backward communities. But the Union Government in its Notification has stated that the OBC Reservation will be provided only in the Medical colleges under the Control of Union Government and there is no need for providing reservation to OBC students in PG medical seats meant for State-run medical colleges. Notifications also mentions that EWS sections of the upper castes should be provided 10 percent reservation in the total of 15387 PG medical seats. As a result, upper caste people will be getting 1538 seats and OBC/MBC with a 27 % reservation will be getting only 300 seats. This is gross injustice. Tamil Nadu has the maximum number of Medical colleges in the country. A medical aspirant named Anitha who could not clear NEET committed suicide. NEET had created turmoil in Tamil Nadu as it shattered the dreams of medical aspirants of Tamil Nadu. In this scenario, the recent Notification for NEET-PG is another injustice to OBC/MBC students of Tamil Nadu. I therefore request that the current Notification for conducting NEET-PG should be withdrawn

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

immediately by the Union Government and justice should be provided to the OBC/MBC students of Tamil Nadu. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य पढ़कर बोलना चाहते हैं, वे घर से पढ़कर आएं ।

श्री कुलदीप राय शर्मा को सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक जनहित के मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की है । मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दिल्ली में जो एम्स है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है । वहां देश के विभिन्न इलाकों से लोग आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत लोग आते हैं । एम्स में एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं हैं । वहां डिपार्टमेंट के माध्यम से हर रोगों का इलाज होता है तथा किडनी जैसे महत्वपूर्ण रोग का इलाज होता है । वर्ष 1989 में किडनी की यूनिट शुरू हुई, लेकिन बेड और ऑपरेशन की व्यवस्था आज तक वही है । आपको पता है कि विगत वर्षों में जिस तरह से शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से शुगर के मरीज को किडनी की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है । मैं समझता हूं कि वहां बेड की जो उपलब्धता है, वह नाकाफी है । वहां लम्बे अर्से से किडनी के इलाज के लिए बेड की संख्या नहीं बढ़ पाई है । अब 450 ऐसे लोग हैं, जिनकी डायलिसिस तो हो चुकी है, मगर किडनी का प्रत्यारोपण नहीं हो रहा है । वहां खास तौर पर हमारे बिहार से बहुत गरीब लोग आते हैं । किडनी का प्रत्यारोपण न होने की वजह से …(व्यवधान) मैं अपनी बात अभी कंक्लूड कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष: आप कंक्लूड पहले किया कीजिए, बाद में भाषण दिया कीजिए ।

श्री राम कृपाल यादव: सर, आपकी कृपा के बगैर मैं इस बात को नहीं रख सकता हूं । मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1989 के बाद संख्या आपने नहीं बढ़ाई है । संस्थान और एम्स के डाक्टरों ने वहां के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को लिखा है कि आप बेड की संख्या बढ़ाइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी से ऑपरेशन कर सकें और जो किडनी की

बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनकी जान बचाई जा सके । प्राइवेट संस्थान में जाने पर 30 गुना अधिक पैसा देना पड़ता है, जिसे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this Government, through you, to the fact that BharatNet is being implemented in a phased manner to provide broadband/internet connectivity to all the gram panchayats in this country.

This visionary thought was initiated by UPA Government in 2012. As part of BharatNet project, the last-mile connectivity through WiFi or any other suitable broadband technology is to be provided to gram panchayats in the country to access broadband services under the Universal Service Obligation Fund Scheme. 25,000 public WiFi hotspots are being set up, using the infrastructure of telephone exchanges of BSNL in rural areas of the country.

As per available Government data, as on October, 2019, WiFi hotspots have been set up in 24,118 rural exchanges and out of them, WiFi services are being provided at 23,000 rural exchanges in different States.

In the modified strategy approved by the Union Government, Digital Communication Commission has approved the implementation of BharatNet Phase II in the State of Tamil Nadu. BharatNet Phase II was supposed to be completed by 31.03.2019. However, till date, not a single WiFi hotspot has been installed.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. ए. चैल्ला कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ को आकांक्षी जिले में चयनित करके क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का अवसर दिया है …(व्यवधान) जिसे साकार करते हुए हाल ही में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी का संपूर्ण लोक सभा क्षेत्र की ओर से मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में नरसिंहगढ़ में सभी मूलभूत अर्हताओं व आवश्यक संसाधनों को पूर्ण करते हुए, वह लम्बे समय से विचाराधीन है । नरसिंहगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय मानव संसाधन विभाग की स्वीकृति का आकांक्षी है । स्वीकृति के पश्चात उस क्षेत्र के आसपास के बच्चों और विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा । मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह वहां की कक्षाएं शीघ्र प्रारम्भ करवाएंगे ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा – उपस्थित नहीं ।

मैं सभी के साथ न्याय कर रहा हूं । जिन माननीय सदस्यों का नाम 09.12.19 को जीरो ऑवर में बोलने के लिए चयनित हुआ था, उनको बोलने का अवसर नहीं मिला है । मैं पहले उनकी लिस्ट को निबटा रहा हूं ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, आप दयावान हैं ।

माननीय अध्यक्ष : मैं दयावान नहीं हूं, लेकिन न्याय होना चाहिए ।

डॉ. मोहम्मद जावेद – उपस्थित नहीं ।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, अहमदाबाद (वाया पालनपुर, महेसाणा) से अमृतसर के बीच कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं होने के कारण उत्तर गुजरात क्षेत्र (बनासकांठा, महेसाणा और पाटन जिला) के यात्रियों को

काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । महोदय, इस विषय के लिए पूर्व खान एवं कोयला राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने भी पत्राचार किया था ।

अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र की जनता की इस वर्षों पुरानी मांग से अवगत कराते हुए हमारे क्षेत्र के कई संस्थानों ने पत्राचार के माध्यम से इस असुविधा के बारे में माननीय मंत्री जी को जानकारी प्रस्तुत की है । महोदय, यदि ट्रेन नंबर 19611 और 19612 अमृतसर से अहमदाबाद होते हुए चलाई जाए तो हमारे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ मेहसाणा और पाटन जिला के यात्रियों को भी अतिसुविधा होगी ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रेन नंबर 19611/19612 तथा 19613/19614 अजमेर से अमृतसर वाया अहमदाबाद होते हुए चलाई जाए ताकि उत्तर गुजरात क्षेत्र (बनासकांठा, महेसाणा और पाटन जिला) के यात्रियों को हो रही परेशानी दूर हो सके ।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अतिमहत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूं जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर के किसान भाई काफी त्रस्त हैं ।

महोदय, हमारी सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नयी पहल चालू की गई है, जिसके परिणास्वरूप देश में मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हो रही है । महोदय, देश में मत्स्य पालन की तरह ही सुअर पालन के लिए भी व्यवस्था बनायी जाए, क्योंकि सुअर खुले में रहने के कारण खेत खलिहान में आ जाते हैं और सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं । इसके कारण हमारे देश के किसान भाइयों को भारी नुकसान हो रहा है और वे त्राहिमाम कर रहे हैं । इसके कारण कई बार जान-माल की भी हानि होती है और आर्थिक क्षति भी होती है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि गुजरात सहित पूरे देश के हर जिले में सुअर फार्म बनाकर भटक रहे सुअरों को फार्म में रखा जाए साथ ही मत्स्य पालन की तर्ज पर सुअर पालन को भी बढ़ावा दिया जाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

***SHRIMATI QUEEN OJA (GAUHATI):** Hon. Speaker Sir, I will be speaking in the colloquial language which is spoken in my in-law's place, Barpeta. Assam Chief Minister Shri Sarbananda Sonowal ji also wants me to speak in the colloquial language spoken in Barpeta. Do you know that Assam's largest Kirtan Ghor exists in Barpeta? Around 550 years ago Mahapurush Shri Shri Sankardeva and Shri Shri Madhavdeva established this Kirtan Ghor. They lit the 'Akhshay Bonti', i.e. the Eternal flame. This flame is still burning. That's why the Assamese people compares Barpeta with Kashi, Mathura, and Puri.

The religious programmes continue in the Kirtan Ghor round the clock. Kirtan Ghors are also there in Patbausi, Ganakkusi, Sunetdia and Baradi. Sankardeva composed Gunamala overnight in this place and he gifted it to the King Naranarayana. This Kirton Ghor is being maintained by Bura Satrudhikar and Deka Satradhikar. The famous Vrindavani Vastra was woven under the guidance of Shri Shri Sankardeva in Barpeta. This Vrindarani Vastra is still very famous. It has been kept in the British museum. Barpeta is famous for its 'Doul' festival. Thousands of people visit Barpeta to take part in 'Doul'. Borgeet, Thiya naam of Barpeta are also very famous.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Assamese.

13.00 hrs

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the need of establishing two Kendriya Vidyalayas in my parliamentary constituency. The Indian Institute of Space Science and Technology is a Government-aided institute and a deemed university for the study of research and space science located at Valiamala, Nedumangad. The establishment of a new Kendriya Vidyalaya at IISST campus would be a great help for the employees of IISST and the people residing in the adjacent areas. The Institute has a vast campus and availability of sufficient land for establishing a Kendriya Vidyalaya.

Secondly, there is a long pending demand from the people of Chirayinkil in my constituency for establishment of a new Kendriya Vidyalaya.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I would like to bring to your notice that the number of days available under MGNREGA work in Tamil Nadu is being reduced to only twenty-five days in the year. MGNREGA Scheme was a flagship programme of the UPA when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi was the UPA Chairperson. The essence of the Scheme was that any able person who is ready to work in his village will be given work. That work is now under threat. This Government is campaigning with all other works, and material component is being added to the Budget and we have been told that the allocation under MGNREGA will

increase, but what really is happening is that instead of hundred days, only twenty-five or twenty-six days’ work is given. I found it in my inspection through the Gram Panchayats. I request the hon. Rural Development Minister to intervene particularly in Tamil Nadu to make this a hundred-day scheme, not just a twenty-five days’ scheme.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. JAYANT KUMAR ROY (JALPAIGURI): Sir, we all know that the development of Northeastern part of India including norther part of West Bengal was not at par with the other parts of the country for which our Central Government has taken several measures in order to develop the region and develop its connectivity with the rest of the country. The distance from other parts of the country is one of the important factors for keeping it away from development. If the distance is reduced, the activities which are being carried out for its development would be much faster.

I would like to request for construction of a flyover of four kms over Tentulia with the consent of the Bangladesh Government. If it is constructed, the distance from Chopra to Teesta Bridge on NH-31 will get reduced from 110 kms to 27 kms. We know that under the leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have been able to develop a warm relationship with our neighbouring countries including Bangladesh. We may take an advantage of it and build a flyover that I am requesting for.

In addition to North Bengal, the other Northeastern States will also be benefited if this plan is implemented. Further, the problem of regular traffic jam on the NH-31 which runs through Siliguri, which is the second largest city of West Bengal, can be avoided to a large extent. I would urge the hon. Minister of Road Transport and Highways, through you, Sir, to take cognisance of the matter and do the needful.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. जयंत कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): It is most unfortunate that lakhs of nurses who work in private hospitals across our country, the majority of whom work long hours and under challenging conditions, have had to repeatedly fight with the local State Governments, especially in Delhi, for implementation of minimum or basic wage benefits. Nurses professional associations across India are struggling for implementation of recommendations given by the Central Government's Expert Committee which was set up on the hon. Supreme Court Directions. The Committee endorsed minimum wages of Rs.20,000 a month at least for private nursing professionals, which varies depending upon the number of beds in the hospital and corresponding working conditions, as provided to their counterparts in government hospitals. The States were required to implement the panel's recommendations within three months but in most parts of the country this reasonable request has not merited a response.

Despite representing an indispensable component of India's healthcare infrastructure, despite their life-saving role which makes them a source of pride for our country for their domestic and international contributions, the legitimate concerns of our nurses to be offered decent benefits on par with their counterparts in government hospitals continues to be ignored.

As elected representatives, we have a moral duty to offer our wholehearted support to this community and to do our best to offer them better working conditions and financial support. No one here has not benefited in some way from nursing services. Therefore, I urge this Government to take strong cognizance of this long-pending demand and do a timebound implementation of minimum wages for them throughout the country. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को दो बजे के बाद बोलने का अवसर दूंगा । कुछ टैक्निकल प्रॉब्लम आ गई है ।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए, भोजन के लिए स्थगित की जाती है ।

13.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha reassembled after lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष :श्री हनुमान बेनीवाल ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि यह देश के अंदर बहुत हॉट इश्यू है । अभी हाल ही में हिन्दी फिल्म पानीपत जो रिलीज हुई है, इसके अंदर भरतपुर के अजेय महाराजा सूरज मल जी के संबंध में, उनसे जुड़े इतिहास व तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें न केवल जाट समाज, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की भावनाएँ आहत हुई हैं । महोदय, फिल्म निर्माताओं ने हमारे समाज के राजा के इतिहास से जुड़े साक्ष्यों में बदलाव करके पटकथा जो फिल्म में दर्शाई है, उसमें हमारी भावनाएँ आहत हुई हैं । आपसे अनुरोध है कि इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करने व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए 'पानीपत' फिल्म पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए, अन्यथा देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी । कल राजस्थान के अंदर भी बड़ा प्रदर्शन हुआ । कई सिनेमाघर टूटे, लोग सड़कों पर हैं । आज हरियाणा व वेस्टर्न यूपी के अंदर भी लोग आंदोलित हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ । पहले भी सेंसर बोर्ड ने जब-जब ऐसी फिल्में, जो किसी की भावना को आहत करने वाली थीं, 15 से ज्यादा फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने वापस मंगाकर उन सीन को निकाला, जिनकी वजह से ये आंदोलन हुए । महाराजा सूरज मल जी का शासन वर्ष 1755-1763 तक रहा । आगरा की लड़ाई लड़ी, फतेहपुर सीकरी पर कब्जा किया और दिल्ली से मुगलों के दरवाजे तोड़ कर ले आए । वे अजेय राजा था । पानीपत के युद्ध के अंदर मराठाओं का साथ दिया और जो मराठा युद्ध में घायल हो गए थे, उनको अपने यहां रखा । उनको छोड़ने के लिए अलग से व्यवस्थाएँ कीं । मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरे

समाज के साथ-साथ तमाम हिन्दू, जो एक हिन्दू राजा के नाम से महाराजा सूरज मल जी की ख्याति थी, उनकी भावनाओं को ठेस लगी है । मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी से, यहां जावड़ेकर जी नहीं हैं, सेंसर बोर्ड ने पहले जिस तरह 15 फिल्मों को बैन किया था । उसी तरह से इस फिल्म को बैन करें अन्यथा वे सीन जो दर्शाये गए हैं, जिनके अंदर सूरजमल जी को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है, उन दृश्यों को फिल्म से निकालें, नहीं तो बहुत बड़ा आन्दोलन इस देश के अंदर होगा ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन सरकार से करना चाहता हूँ । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, श्री गोपाल शेट्टी और श्री पी. पी. चौधरी को श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): महोदय, मैं इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महाराजा सूरजमल एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने पूरी जिन्दगी के अंदर एक भी युद्ध नहीं हारा । वे हिन्दुस्तान के पहले ऐसे राजा थे, जिसने कोई भी लड़ाई नहीं हारी । वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, जो भी उनके पास शरण में आया, उसे उन्होंने शरणागत भी किया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास अलीगढ़, मथुरा, आगरा, रोहतक तक का शासन रहा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराजा सूरजमल के चरित्र को जिस प्रकार से तोड़-मरोड़कर इस फिल्म में दिखाया गया है, जिस प्रकार से इतिहास को तोड़-मरोड़कर परोसा गया है, उन दृश्यों को इस फिल्म के अंदर से निकाला जाए । आज पूरे देश के अंदर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, पूरे हरियाणा और पूरी दिल्ली में आन्दोलन चल रहा है । …(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस फिल्म के अंदर से ऐसे दृश्यों को निकाला जाए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत सिंह, श्री कैलाश चौधरी, श्री भागीरथ चौधरी, श्री रामचरण बोहरा, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. संजीव बालियान, श्री बृजेन्द्र सिंह और श्री एस.सी. उदासी को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं । …(व्यवधान) हनुमान बैनीवाल जी ने जो विषय उठाया है, माननीय सदस्यों को उस विषय से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाए । …(व्यवधान)

14.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा । जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है, जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें । केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा और शेष को व्यपगत माना जाएगा ।

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding augmentation of railway services in Araria district, Bihar

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में अवस्थित अररिया जिला को शेष भारत और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद मात्र दो ही एक्सप्रेस यात्री ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस और जेबिएन एक्सप्रेस की सुविधा प्राप्त है जिसके अंदर पैंट्री कार भी नहीं है खाने पीने की व्यवस्था नहीं है । सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से मेरे क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र को और अधिक रेल सेवाओं, सुविधाओं से जोड़ना अति आवश्यक है जैसे कि 1 गाड़ी सप्ताह में 3 दिन कटिहार से कोलकाता के लिए चलती है, इस गाड़ी को अररिया के जोगबनी से रोजाना कोलकाता के लिए चलाया जाए, आम्रपाली एक्सप्रेस जो कि कटिहार से अमृतसर के लिए चलती है इस गाड़ी को जोगबनी से अमृतसर के लिए चलाया जाए । इंटर सिटी एक्सप्रेस जो कि कटिहार से पटना के लिए चलती है, इस गाड़ी को जोगबनी से पटना के लिए चलाया जाए तथा 1 नई गाड़ी जोगबनी से वाराणसी के लिए चलाई जाए । मेरे क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए जैसे कि कटिहार से जोगबनी रेललाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण, अररिया से गलगलिया और अररिया से सुपौल रेल लाइन छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य जल्दी से जल्द पूरा किया जाए ।

(ii) Regarding pilot project for production of electricity and high-speed diesel from plastic waste

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं सरकार का ध्यान प्लास्टिक के प्रयोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव को पहचानाऔर इस पर तुरंत अमल करते हुए इसके प्रयोग को बंद करने का निर्णय लिया । प्लाटिक 200 साल तक नष्ट नहीं होने वाली वस्तु है और जब हम इन्हें डम्पिंग ग्राउंड या जमीन पर फेंकते हैं तो विभिन्न माध्यमों से इसके जहरीले कण पुनः हमारे शरीर में वापस आ जाते हैं । यदि हम इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें नॉन-रिसाईकल और नॉ-रियूज के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा । अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें प्लास्टिक के कचरे से बिजली या हाई स्पीड डीजल बनाया जा सकता है । इस कार्य में अन्य सूखे कचरे का भी उपयोग किया जा सकता है । इस नई तकनीक के द्वारा 950 डिग्री से 1200 डिग्री तक तापमान पर प्लास्टिक को जाया जाता है । जिससे इसमें मौजूद जहरीले पदार्थ छोटे-छोटे कणों में टूट कर फैल जाते हैं और बिजली/हाई स्पीड डीजल का निर्माण करते हैं ।

मेरा माननीय पर्यावरण मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री से मांग है कि इस प्रकार के पाईटलेट प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे और महानगरपालिका और राज्य सरकार को भी निर्देशित करे कि प्लास्टिक से बिजली और हाईस्पीड डीजल बनाने के पाईलट प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया जाए ताकि स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो और इसके द्वारा बिजली और हाइस्पीड डीजल बनाया जा सके ।

(iii) Need to enhance the amount provided to beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) at par with PMAY (Urban)

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण कार्य के लिये, लाभार्थियों को रूपये 1.20 लाख प्रदान किये जाते हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को रूपये 2.50 लाख प्रदान करने का प्रावधान है ।

ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण कार्य का लागत मूल्य मार्केट को ध्यान में रखकर, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की तुलना में अत्यंत अल्प होने के कारण लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य में काफी असुविधा होती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के समान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के लिये एक समान निधि आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु उचित कार्यवाही करके ग्रामीण जनता को न्याय देने की कृपा करें ।

(iv) Regarding inclusion of Bhojpuri, Bhoti and Rajasthani in the Eighth Schedule to the Constitution

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): As Bhojpuri, Bhoti and Rajasthani are spoken by a large number of people both within India and abroad whereby Bhojpuri as a language has already been recognised by countries like Fiji, Guyana, Mauritius, Trinidad & Tobago etc., therefore, it is the need of the hour to include the above mentioned three languages in the Eighth Schedule to the Constitution.

(v) Need to augment railway services in North 24 Pargana district in West Bengal

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): मैं एक अतिमहत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का गंभीर मामला है । पश्चिम बंगाल राज्य में 24 नॉर्थ परगना जिला की आबादी सबसे अधिक है । यह जिला व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें प्रतिदिन 10 हजार यात्री एक दिन में एक ट्रेन से आते हैं । इसके अनुसार देखा जाये तो सुबह 3 बजे से रात 1 बजे तक प्रतिदिन 5 लाख से अधिक यात्री अपनी रोजी-रोटी के लिए यात्रा करते हैं ।

इतनी भारी संख्या में यातायात की वजह से आज तक बहुत तरह की दुर्घटना घट चुकी हैं, जो काफी चिंता का विषय है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में रेलगाड़ी और रेल लाईन बढ़ाया जाये ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और इसके साथ ही दम-दम जंक्शन में मेट्रो लाईन बढ़ाकर वनगांव तक लाया जाये जिससे क्षेत्र के लोगों को अपने रोजगार और व्यावसायिक रूप से लाभ मिले ।

(vi) Need to introduce high speed train service from Indore to Mumbai and Delhi

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई और दूसरी आर्थिक राजधानी इन्दौर है, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है । व्यापारिक दृष्टिकोण से इन दोनों शहरों के व्यापारियों को आवागमन हेतु मुम्बई से इन्दौर और इन्दौर से दिल्ली तक हाई स्पीड ट्रेन की काफी आवश्यकता है । यदि मुम्बई से इन्दौर और इन्दौर से दिल्ली तक हाईस्पीड ट्रेन चलाई जाती है तो राजस्व और व्यापार के दृष्टिकोण से दोनों राज्यों सहित सरकार को काफी लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त इन्दौर के साथ क्षेत्र भगवान महाकाल की नगरी है । धार्मिक श्रद्धालुओं का रोजाना देश के विभिन्न भागों से हजारों की संख्या में आवागमन इस क्षेत्र में होता है । यदि हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा इन्दौर को मिलेगी तो इससे इन्दौर आने वाले व्यापारी और महाकाल की नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ मिलेगा और रेलवे को अधिक राजस्व भी मिलेगा । अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इन्दौर-मुम्बई और इन्दौर-दिल्ली के लिए एक-एक हाई स्पीड ट्रेन की स्वीकृति जल्द से जल्द की जाये जिससे इन सभी क्षेत्रों को पूर्ण लाभ मिल सके ।

(vii) Need to make adequate arrangement for issuance of Golden card under Ayushman Bharat Yojana in Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): माननीय प्रधान मंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ । हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पूरे जिले में पहले चरण में 5 लाख 19 हजार लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करने का लक्ष्य तय किया गया है लेकिन अब तक केवल 1 लाख 22 हजार कार्ड ही वितरित हुए हैं । ऐसी परिस्थिति में लाखों लोग इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं ।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पूरे जिले के सभी अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्ड बनाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए साथ ही लोगों में भी इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि द्रुत गति से कार्ड बन सके एवं लक्षित समयावधि में लोगों को कार्ड मुहैया हो सके और लोग लाभान्वित हो सकें ।

(viii) Need to provide a special package for farmers who suffered loss of their paddy crops due to unseasonal rains and hailstorms in Jammu Parliamentary Constituency, J&K

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू की ओर दिलाना चाहता हूँ ।

जम्मू कश्मीर का अधिकतम क्षेत्र बासमती चावल की खेती के लिए उपजाऊ है और जम्मू कश्मीर की बासमती चावल देश विदेश भर में गुणवत्ता के लिए मानी जाती है ।

हर साल यहाँ के किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है । बेमौसम बारिश और बिन मौसम ओला वृष्टि होने से किसानों की फसल खराब हो जाती है ।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस बार बिन मौसम बरसात व ओले पड़ने से किसानों की 90 प्रतिशत फसल खराब हो गई है खेतों में पानी भर जाने से किसान की कटी हुई फसल भी नहीं उठा सका और ओले पड़ने से चावल के दाने काले पड़ गए और वह खाने के लायक नहीं बचे ।

मैं माननीय मंत्री जी से गुहार लगाना चाहता हूँ कि किसानों के नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए और वह समिति किसान संगठन के साथ बैठकर उनकी दशा पर चिंता करे ।

मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों के लिए मुआवजे का विशेष पैकेज घोषित किया जाए ताकि वह अपनी स्थिति सुधार कर सकें और आने वाले समय में नुकसान पूर्ति के लिए धान की खेती कर सकें ।

(ix) Regarding alleged negligence in construction of NH-74 in Udham Singh Nagar district, Uttarakhand

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : नैनीताल-ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा-पानीपत राष्ट्रीय राज मार्ग पर जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थित (एन.एच. 74) का निर्माण कार्य एक निर्माण कम्पनी को दिया गया था किन्तु कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों से एन.एच.में अनेक स्थानों पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

ऊधम सिंह नगर में जहां-2 भी इस निर्माण कम्पनी द्वारा काम किया गया है कहीं भी पैदल चलने अथवा दुपहिया वाहनों तक के लिए सर्विस लाईनों का निर्माण नहीं कराया है । साथ ही कहीं भी योजना बद्ध तरीके से नालों का निर्माण न होने से गढडों में पानी भरने के कारण कई बार छोटे वाहन उसमें डूब जाते हैं तथा दुर्घटना होती है । रूद्रपुर जिला मुख्यालय में ग्यारह नागरिकों की उक्त निर्माण कम्पनी की लापरवाही से मृत्यु हो चुकी है ।

एन0एच0 के अधिकारियों की अकर्यमण्यता के चलते व उक्त कम्पनी की घोर लापरवाही से एक दर्जन से अधिक नागरिक दुर्घटनाओं के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं व कई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं । कम्पनी द्वारा 50 प्रतिशत निर्माण कार्य भी पूरा न होने पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग किच्छा रोड पर टोल वसूला जा रहा है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने हेतु माननीय सड़क परिवहन व राजामार्ग को आदेश देने का कष्ट करें ।

(x) Need to organise armed forces recruitment rallies in Latur Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर) : मेरे लातूर संसदीय क्षेत्र में पिछले लगभग एक दशक से सूखा पड़ रहा है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी की कमी के कारण यहां से सभी बड़े उद्योग भी पलायन कर गए हैं। यहां युवाओं के लिए रोजगार के कोई अवसर मौजूद नहीं होने के कारण भारी बेरोजगारी व्याप्त है । दूसरे यहां के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है तथा वे सेना में भर्ती होकर देश की सेवा के लिए तत्पर हैं ।

अतः मेरा रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में मुख्य- मुख्य स्थानों पर थेल सेना, वायु सेना और नौ सेना में भर्ती हेतु रैलियों का आयोजन किया जाए ताकि यहां के नौजावान सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें ।

(xi) Need to expedite doubling of Botad-Sabarmati and Dhasa-Jetalsar-Junagarh railway lines in Gujarat

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): गुजरात राज्य में बोटाद जिले को अहमदाबाद से जोड़ने वाली लाइन बोटाद से साबरमती तथा सौराष्ट्र निवासियों के लिए महत्वपूर्ण रूट ढसा से जेतलसर जूनागढ़ रेलवे लाइन के ब्राडगेज का कार्य काफी धीमा तथा रुक-रुक कर चल रहा है । बोटाद से अहमदाबाद लगभग 12 से 14 गाड़ियाँ चलती हैं । एक लाइन होने के कारण इस रूट पर यात्री समय पर अपने गंतव्य नहीं पहुंच पाते हैं जिसके कारण यात्री रेल मार्ग की बजाय अन्य संसाधनों से राज्य की राजधानी जाना पसंद करते हैं ।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में उक्त दोनों लाइनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु विभाग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ।

(xii) Regarding problems being faced by residents residing in Leh and Kargil districts of Ladakh

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH): It is unfortunate that the families residing in Latoo, Hunderman, Thang, Teakshi, Turtuk and other villages and hamlets of Leh and Kargil districts of Union Territory of Ladakh region due to the ceasefire in 1947-48 and Indo-Pak war in 1971, have been divided because of the border division between India and Pakistan Occupied Ladakh; due to which the members of the same family are staying away from each other across the border. Today, decades of pain and grief have filled these families, Thus, I urge upon the Government to sympathetically take into consideration the needs of these divided families by setting up a meeting point at least once in three or six months.

(xiii) Need to provide employment to all land oustees in railways and make it a policy decision

श्री गणेश सिंह (सतना): रेल परियोजना के लिए रेल अधिनियम, 1989 के माध्यम से अथवा राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण जब करती है तो प्रभावित भूमि विस्थापितों को उक्त रेल परियोजना में नियुक्ति प्रदान करती है, परंतु दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को रेल मंत्रालय ने प्रभावित भूमि विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति प्रदान करने की नीति को समाप्त कर दिया है ।

यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची दो और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 दोनों का उल्लंघन है ।

रेल परियोजनाओं में कुछ प्रभावित भूमि विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है और कुछ नियुक्ति से वंचित रह गए हैं । सरकार से मेरी मांग है कि जितने लोग नौकरी से वंचित रह गए हैं उन्हें नौकरी दी जाय तथा रेल मंत्रालय जिस तरीके से पूर्व में प्रभावित भूमि विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति प्रदान करती थी, उसी नीति को पुनः बहाल किया जाय ताकि प्रभावित भूमि विस्थापितों को उक्त नीति का पूरा लाभ मिल सके ।

(xiv) Need to set up industries in Kanker and Bastar in Chhattisgarh

श्री मोहन मण्डावी (कांकेर): छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर संभाग में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा जैसे आयरन और बाक्साइट, कोरण्डम आदि पाये जाते हैं, वनोपज के मामले में बस्तर बहुत ही समृद्ध है, लेकिन यहां के लोग अन्य उद्योग कर रहे हैं । यहां ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतम आबादी स्थायी निवासी है । जो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ।

बस्तर संभाग में खनिज सम्पदा प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह धरती तो अमीर है, लेकिन यहां के लोग गरीब है । अगर सरकार लौह अयस्क और वनोपज से आधारित उद्योग धंधे का जिला कांकेर व बस्तर में सु-अवसर प्रदान करती है तो निश्चित ही यहां के स्थानीय निवासियों को अच्छा रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी । पलायन रूकेगा । इस क्षेत्र के साथ राज्य का भी विकास होगा । इस क्षेत्र में पर्यटन की भरपूर संभावना भी है ।

अतः मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए कांकेर और बस्तर में अलग-अलग उद्योग धंधे स्थापित कराए जाने की अतिशीघ्र आवश्यकता है ।

(xv) Need to remove CSAT paper from Civil Services Examination

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर जिसमें सामान्य अध्ययन और सी-सेट होते हैं । सी-सेट को सिविल सेवा अभिरूचि परीक्षा भी कहते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का जिसमें प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होता है जिसके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा मेधा सूची तैयार की जाती है परंतु 2011 से सी-सेट को इस परीक्षा में शामिल किया गया जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की है जिसमें प्रश्नों की संख्या 80 होती है । इसी के आधार पर मेधा सूची बनने लगी जिसमें एक खास समुदाय को विशेष फायदा होने लगा और गैर अंग्रेजी छात्र असफल होने लगे और उन्होंने शांतिपूर्ण मांग के माध्यम से 2015 में इसको क्वालीफाई प्रकृति का करवा लिया फिर भी जो विसंगतियाँ पहले थी वो आज भी है । 2011 से पहले जहां हिंदी माध्यम के लगभग 35 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते थे, वहीं 2011 से यह 2.16 प्रतिशत रह गया । 2018 में 758 कुल पदों में मात्र 18 हिंदी से तथा 721 अंग्रेजी से तथा अन्य भारतीय भाषाओं से 20 है ।

अतः सी सेट के आने के बाद गिरावट को देखते हुए सुझाव है कि सी-सेट को हटाने की कृपा की जाए ।

(xvi) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना चाहती हूं कि मेरे संसदीय लोकसभा क्षेत्र छोटा उदयपुर, गुजरात राज्य का आदिवासी क्षेत्र है । मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जिसके कारण हमारे संसदीय क्षेत्र के छात्र-छात्राएं इसके लाभ से वर्षों से वंचित हैं । संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं होने के कारण वडोदरा जो कि 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, वहां जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके कारण अभिभावक तथा बच्चों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । मुझे जो कूपन प्राप्त होता है उनका भी नामांकन मुझे दूसरे संसदीय क्षेत्र में कराना पड़ता है, इससे बच्चों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र 1. छोटा उदयपुर तथा 2. राजपीपला में जल्द से जल्द केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की कृपा करें, ताकि वहां के बच्चों को भी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने का लाभ मिल सके ।

(xvii) Need to provide funds for development of Satkosia wildlife Sanctuary in Odisha

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Satkosia Wild life Sanctuary is one of the best eco-systems in the country representing a diverse floral and faunal extravaganza, spread along the magnificent gorge over the mighty river of Mahanadi in Odisha. It was declared as wild life sanctuary in the year 1976. The Tiger Reserve has significant Elephant population and endangered species of Gharial and Mugger crocodiles. I have visited this wild life sanctuary recently. The hamlets located in this sanctuary are deprived of their basic requirements like ration, medicines, schools, health centres and communication. I urge the Government of India to ensure harmonious co-existence of these people and wild animals in this sanctuary and more Funds may be provided to make the said sanctuary as one of the best tourist destinations of the country.

(xviii) Need to provide free public education to all

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): For the last one month, the students of Jawaharlal Nehru University are on strike. I salute the spirits of students in JNU for resisting the fee hike. It is not the matter of JNU alone. Protests are going on in major universities, IITs and AIIMs against the fee hike. It is very important to ensure subsidized education in public educational sector in order to sustain social justice in our country. Students should not be denied their right to education at any cost.

Indian institute of Technology has proposed an increase in fees from Rs. 25,000 50,000 per year, to Rs. 2 lakh per year. The IIT fee hike shows how little the government supports research. Fellowships are not distributed for several months. Our research scholars are suffering due to lack of funds. This will lead to a huge intellectual crisis in our future.

The Government has allocated only 4.6% of the GDP for education last year in the budget. This is not sufficient for a better future. It is necessary that at least 6% of India's GDP should be spent on education.

I request to the Central Government to ensure free public education to all in the country. Government should consider the matter of access of Dalits and Minority students in our Higher Educational Institutions.

(xix) Need to check crime against women and children

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): I urge upon the Government to take steps to check the increasing incidents of crime against women and children.

(xx) Need to extend visa-on-arrival facility to Kozhikode International Airport in Kerala

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The Government have introduced Visa on arrival to the citizens of UAE. Only six airports have been designated for this facility in our country. Not one in Kerala. Kozhikode is the most visited place by the people of UAE for business, medical attendance and other matters.

Kozhikode is also the most connected city between the two countries. Kozhikode has an International Airport and canboast of good connectivity.

I, therefore, urge upon the Government to extend this facility to Kozhikode also.

(xxi) Need to provide funds for construction of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) in Chennai Metropolitan Area under South Chennai Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

DR. T. SUMATHY (A.) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): According to the 2011 slum population Survey of India, 31%of Chennaites live in slums. Chennai Metropolitan population has grown from 2.64 million in 1971 to 4.68 million in 2011; and now it is 6.5 Million. The expansion of the Chennai Metropolitan Development Area (CMDA) from 1,189 Sq. Kms. to 8,878 Sq. Kms. has increased Slum Population in CMDA eight fold.

Slums present the most unhygienic, ugliest, nauseating scene. During rainy season, it becomes a breeding place for mosquitoes, exposing the slum people to all sorts of diseases. During summer, the thatched huts are prone to fire accidents. Thus, the slum dwellers life is the most miserable one. The Slum dwellers of Chennai are the worst affected due to very heavy rains, frequent floods and cyclonic storms during Monsoons.

Our Visionary leader Dr. Kalaignarempowered the government to protect the rights of slum dwellers from eviction or relocation in 1971. The policy helped in created the Tamil Nadu Slum Clearance Board (TNSCB) in 1971. At present the CMDA has forgotten to address problems due to climate change, urbanisation, and Chennai's expansion. Development for the urban poor is

beyond the provision of social housing. This requires around 1.5 Lakh houses with all the associated infrastructure facilities for providing quality education to medical care to create Smart Slums in Chennai Metropolitan Area.

I, therefore, urge the Government to take appropriate steps to provide funds for the construction of 1.5 Lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana—Housing for All (Urban) and also initiate the Smart Slums programmeunder the Smart Cities Initiative in Chennai Metropolitan Area which covers my South Chennai Constituency.

(xxii) Regarding revival of Nanguneri SEZ in Tirunelveli district of Tamil Nadu

SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Nanguneri SEZ was the brainchild of former Union Minister Murasoli Maran, who conceived and proposed this project in 1997. The foundation for the project was laid shortly thereafter by the then CM Kalaignar Karunanidhi. Soon after changes in the state government led to the project being put on hold. Nanguneri SEZ is spread over an area of more than 2600 acres at par with international standards with abundant connectivity options by Road, Rail, Sea and Air. It is pertinent to note that India's 4th largest and Most efficient Sea Port, the Tuticorin Port is less than 2 hours by road from the SEZ.

The State Government of Tamil Nadu from the year 2011 has taken no steps to invite manufacturers to utilise the SEZ. The proposal by the Government of India in 2016 to open up Defence Manufacturing Industries is also pending with the State Government. The opening up of Nanguneri SEZ will create direct and indirect job opportunities and livelihood to more than 100000 families, easing the unemployment situation in the country. I request the Government of India to expedite the process so as to create more job opportunities for the residents of Tirunelveli District in Tamil Nadu.

(xxiii) Need to repair 50 km stretch of National Highway 26 in Andhra Pradesh

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): National Highway 26 is passing through my Parliamentary constituency of Vizianagaram. 50 Kms stretch from Gajapathinagaram to Bobbilli and Saluru road is in a very bad condition due to heavy traffic and stagnation of rain water. Around 500 accidents have taken place during last year with large number of deaths.

Hence, I would request the Hon'ble Minister for Road Transport and Highways to repair this stretch at the earliest.

(xxiv) Regarding RBI monetary policy

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Reserve Bank of India unexpectedly hit a pause button on cutting interest rates as it gave more importance to prevailing inflation pressure and rising food prices over a worrying slowdown in the economy of the country. This is a proof of the twin pressures felt by the economy. After five consecutive cuts in interest rates this year, the six-member Monetary Policy Committee (MPC) headed by RBI Governor, unanimously voted to hold the key repo rate at 5.15 per cent and reverse repo rate at 4.90 per cent Bankers and economists had widely expected the Central bank to cut rates for the sixth time to support a slowing economy to release more credit in the market.The growth rate slipped to a six-year low of 4.5 per cent in the September quarter from 7 per cent a year back and unemployment rose to 8.5% highest in 45 years. The RBI reiterated that it would maintain an accommodative stance as long as necessary to revive economic growth but cut its GDP growth forecast to 5 per cent for the 2019-20 fiscal from the earlier estimate of 6.1 per cent helping all that claims of the Government. This is when the Government has taken huge amount from the reserves of the RBI.

(xxv) Regarding the issue of final Eco-sensitive Notification of Western Ghats

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): The matter regarding issuance of final notification declaring Eco-Sensitive Area (ESA) of Western Ghats in Sindhudurg and Ratnagiri Districts of Maharashtra has been pending with the Ministry of Environment, Forest & Climate change for quite a long time.

People of my Constituency's Sindhudurg & Ratnagiri have been demanding for exclusion of certain villages from the final ESA Notification to be issued by Ministry of the MOEF&CC. Maharashtra Government has furnished their final suggestions/comments on the Draft Notification sought by the MOEF&CC and has also recommended these villages for exclusion from the final ESA notification to be issued by the Central Govt.

However, this matter has been pending with the Central Govt. since 2013. Due to inordinate delay in issuing the final ESA Notification, essential development works have been adversely affected and local people are unable to carry out even their routine work. This is causing huge loss of livelihood to the local people of my Constituency.

Hon'ble Bombay High Court in its judgement dated 19th July, 2019 delivered in response to a Writ Petition No. 12047 of 2017 filed by villagers of

my Constituency had directed the Union of India to issue the final notification latest within 6 months from the date of Judgement i.e. 19th July, 2019. The deadline of six months set by the Bombay High Court to the Central Govt. for issue of final notification is also expiring in one month's time.

I would, therefore, urge the Hon'ble Minister of Environment, Forest & Climate Change to kindly take necessary steps to issue the final ESA Notification before the deadline set by Hon’ble Bombay High Court expires.

(xxvi) Need to construct a permanent building for Kendriya Vidyalaya, Gopalganj, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, में सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय दिया गया है जो कि एक स्कूल के मकान में अस्थायी रूप से चल रहा है । मकान की स्थिति काफी जर्जर है । मैंने इसके बारे में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का अपने पत्र के माध्यम से एवं अतारांकित प्रश्न के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित किया है । विदित हो कि गोपालगंज में जमीन भी उपलब्ध है ।

मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे भारतवर्ष के भविष्य हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है जिसके कारण आज लड़कियां भी साईकिल पर सवार होकर स्कूल बिना भय के जा रही हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह कर रहा हूँ कि इस सम्बन्ध में उचित निर्देश दिया जाये ताकि अस्थायी रूप से एक मकान में चल रहा केन्द्रीय विद्यालय गोपालगंज को स्थायी भवन दिया जाये या बनाया जाये ।

(xxvii) Need to set up special centre of Aligarh Muslim University in Ramanathapuram, Tamil Nadu

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM) : Total population of Ramanathapuram district in Tamil Nadu is 1,353,445 as per census 2011. Out of the total population, the Muslim population is more than 25 percent but there are no Central Government sponsored institutions in Ramanathapuram. I would like to request to Hon'ble HRD Minister of Human Resource Development to set up a special centre of Aligarh Muslim University in Ramanathapuram.

(xxviii) Need to set up Indian Institute of Science Education and Research (IISER) in Madurai, Tamil Nadu

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Tamil Nadu is the tenth largest Indian State by area and sixth largest by population. Tamil Nadu has the sixth highest ranking among Indian States in Human Development Index. It was ranked as one of the top seven developed states in India based on “Multidimensional Development Index” in a 2013 report published by the Reserve Bank of India. The economy of Tamil Nadu is one of the largest state economies in India. Tamil Nadu has emerged as the leader in the country in terms of Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education. The All India Survey on higher education report (2016-17) released by the Minister of HRD, saw Tamil Nadu lead with a GER of 46.9%. Out of the 95 Institutes of National Importance, only a very few institutes are located in Tamil Nadu. Tamil Nadu deserves to get a new IISER.

Madurai is administered by the Municipal Corporation since 1971. It has a population of more than 15 lakh. Madurai has important educational institutions such as Madurai Medical College, Madurai Law College, Agricultural College and Research Institute. It has a bench of the Madras High Court. Madurai has an International Airport. It is also well connected by both road and railways.

Locating IISER in Madurai which has a long intellectual tradition, will provide varied experience and exposure to the students of IISER who would be admitted to the institution on an all India basis.

Hence, I request the Government to establish a new IISER in Madurai.

(xxix) Regarding expeditious CBI investigation in a murder case in Hanumangarh district, Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं एक गंभीर मामले की तरफ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के चक राजासर गांव में 21 जून, 2009 को एक दम्पति और 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मामले की जांच सीबीआई में दी गई जिसकी प्राथमिकी आरएस(5)(एस)2016, 28 सितम्बर, 2016 को सीबीआई ने दर्ज की । सीबीआई की टीम ने वहां 10 बार जाकर अपने हिसाब से जांच की परन्तु आज तक जांच बेनतीजा रही । मेरा अनुरोध है कि इस पीड़ित परिवार में एकमात्र छोटी बच्ची जीवित है और उसको न्याय कैसे त्वरित प्रभाव से मिले और आर्थिक सहयोग उसके जीवनयापन के लिए कैसे मिले, उसके लिए प्रयास कर निर्देश जारी करने की जरूरत है । केन्द्र सरकार सीबीआई, जिस पर पूरे देश को बहुत बड़ा भरोसा है, को निर्देशित करें कि इस हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने हेतु शीघ्रता से जांच करके मुलजिमों को सलाखों के पीछे डाला जाये ।

(xxx) Need to review the order of ESIC regarding Super Speciality treatment

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The ESIC imposed conditions such as two years with 156 attendance out of that two contribution period not less than 78 attendance and continuous remittance of four contribution periods for providing super speciality treatment for insured persons and their dependent vide order no. V14/11/5/2012/Med1 (policy) dated 07-11-2016 and letter no. V-14/11/5/2012/ Med1 dated 09-03-2017. Due to the implementation of the order most of the insured persons have been debarred from the benefit of super speciality treatment. The cashew workers and other weaker sections of the insured persons have been debarred from the benefit of Super speciality treatment. ESI is for the benefit of workers. The orders of the Corporation debarring the poor workers from the purview of Super specialty treatment are not justifiable.

Hence, I urge upon the Government to initiate immediate action to withdraw the said order and restore the earlier conditions.

माननीय अध्यक्ष : श्री राम शिरोमणि – उपस्थित नहीं ।

श्री संतोष पाण्डेय – उपस्थित नहीं ।

श्री हेमन्त पाटिल – उपस्थित नहीं ।

श्री असीत कुमार माल ।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to say that the problem of unemployment has become a matter of grave concern and it is getting more and more acute every year. Trade depression, workers' retrenchment and lock-outs are going on uninterruptedly. The country cannot prosper in this way. The effect of unemployment leads the youth to a path of doing improper and dishonest acts. The Government should sincerely think about this matter. I fervently pray to the hon. Prime Minister to take up steps to solve the problem of our country.

माननीय अध्यक्ष : आसन से एक बार व्यवस्था हो चुकी है । संसदीय कार्य मंत्री का भी आग्रह था कि जब कभी आपको बोलना है, तो आप अपनी सीट से बोलें, ताकि स्क्रीन पर आपका नाम आ जाए । यह व्यवस्था केवल माननीय सांसदों के लिए ही नहीं है, माननीय मंत्रीगण के लिए भी यह व्यवस्था दी गई है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, हम आपके आदेश की अनुपालना करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : आदेश की पालना तो करनी ही है । वह तो करना ही पड़ेगा ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, सारे मंत्रीगण आपके आदेश की पालना करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, देश भर में छावनी क्षेत्रों में अंग्रेजी शासनकाल में छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत लोगों को अपने मकान या दुकान के नक्शे पास कराने या उन पर अपना नाम जुड़वाने में कोई समस्या नहीं आती थी । यहाँ तक कि मूल मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसके वंशजों के नाम अलग-अलग चढ़ा दिए जाते थे और सब्सिडियरी नम्बर दे दिए जाते थे । परन्तु दिनांक 23.03.1968 को सरकार द्वारा देश में छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति जारी करके संपत्तियों के अलग सर्वे नंबर देने, नाम चढ़ाने, नक्शे पास करने तथा बेचने या गिरवी रखने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई और इस संबंध में छावनी बोर्डों के अधिकार समाप्त कर दिए गए । परिणामस्वरूप अपने बढ़ते हुए परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए निर्माण की अनुमति मिलती नहीं है तथा कर्मचारियों से मिलीभगत करके लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं । इसके कारण छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ।

छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति, जो अंतिम बार दिनांक 09.02.1995 में संशोधित हुई थी, वह संसद द्वारा पारित छावनी अनिधियम, 2006 का पूरी तरह से विरोधाभासी है । इसके साथ ही, आय के सुनिश्चित साधनों के अभाव में छावनी परिषद के अधिकारी छावनी क्षेत्र में मनमाने ढंग से टोल वसूलने की व्यवस्था लागू कर देते हैं, जिससे सामान्य नागरिकों का उत्पीड़न होता है । आज मेरठ के अन्दर 11 स्थानों पर टोल टैक्स के नाके लगा दिए गए हैं और उसके कारण पूरे मेरठ शहर में लोगों में नाराजगी है । इन विषयों के समाधान के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने पहल की तथा देश भर के छावनी परिषदों के उपाध्यक्षों तथा संबंधित सांसदों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई । व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात रक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया तथा सभी माननीय सांसदों सहित सभी पक्षों से विचार-विमर्श किया गया ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त समिति की रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाए, ताकि छावनी परिसरों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री एम.के. राघवन - उपस्थित नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा-भोगनीपुर से गुजरने वाला 4-लेन नेशनल हाईवे - 27 पर झाँसी से कानपुर के मध्य जो रोड है, उसमें भुजौंद, पिरौना और भोगनीपुर के ओवरब्रिजेज के नीचे कोई सर्विस रोड नहीं बनाया गया है जबकि ये सर्विस रोड्स पहले से स्वीकृत हैं । इसके कारण वहां सारे भारी वाहन गलत दिशा से सड़क पार करते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । पिरौना में तो गलत दिशा में चलने की वजह से दर्जनों एक्सीडेंट्स हुए हैं और वहां दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई है ।

महोदय, इसकी सूचना मैंने वहां दे दी है, पत्र भी दे दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि झाँसी जनपद में भुजौंद, जनपद जालौन में पिरौना और कानपुर देहात में भोगनीपुर में नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिजेज के नीचे सर्विस रोड्स बनवाने का कष्ट करें, जिससे इन स्थानों से गुजरने वाले लोगों की जान बचाई जा सके ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी - उपस्थित नहीं ।

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): Thank you, hon. Speaker Sir.

Tirupati is one of the world-famous heritage temples. Daily, around 1,50,000 pilgrims come to Tirumala for darshan of Lord Balaji not only from all parts of the country but also from abroad. Around one lakh devotees are taking food from the Annaprasadam complexes maintained by the Tirumala Tirupati

Devasthanam (TTD) without monetary benefits. This food is supplied only from 10 a.m. in the morning to 3 p.m. in the afternoon. With regard to the night dinner and morning breakfast, pilgrims are forced to depend on private restaurants in the vicinity of TTD.

With effective machinery, TTD is running Annaprasadam programme whereas the private restaurants are facing a lot of problems because of GST in running their businesses. GST paid by institutions are different compared to GST paid by private tenants and restaurants. Also, the charges inclusive of GST for choultries and rooms are high, which are maintained by TTD. It is difficult not only for the poor people but also for the middle-class people. If GST charges on choultries are relaxed, the pilgrims would be happy. Further, TTD can also extend more facilities with the available funds.

Keeping in view the prevailing situation and in the interest of the pilgrims, I request the hon. Minister of Finance, through you Sir, to kindly recommend this issue to the GST Council for giving GST exemption only at Tirumala, which would give great benefit to the pilgrims.

माननीय अध्यक्ष: श्री राजमोहन उन्नीथन - उपस्थित नहीं ।

श्री राहुल कस्वां - उपस्थित नहीं ।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान में वर्तमान पी.एम.-किसान स्कीम के जो पैसे हैं, उन्हें राजस्थान सरकार किसानों को पूरा नहीं पहुंचा रही है ।

आपसे मुझे इतना ही निवेदन है, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं । हमारे केन्द्रीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो पी.एम. किसान योजना है, माननीय मोदी जी का कहना है कि गरीब किसानों को छह हजार रुपये मिलना चाहिए । वर्तमान की राज्य सरकार, जो अशोक गहलोत की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, अब तक किसानों तक यह राशि नहीं पहुंचा रही है । मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि यह राशि हमारे किसानों तक पहुंचायी जाए, ताकि हमारे किसानों का भला हो ।

माननीय अध्यक्ष : श्री रामचरण बोहरा को श्री दुष्यंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलना चाहिए । देश के प्रधान मंत्री जी ने किसानों की समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनायी है । जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां की सरकार वहां के किसानों के खाते में वह राशि नहीं पहुंचा रही है । …(व्यवधान) आप बैठ जाइए । यह आपका विषय नहीं है । …(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से किसी तरह का कोई निर्देश होना चाहिए । …(व्यवधान)

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र अलीगढ़ की तरफ दिलाना चाहूंगा । वैसे तो रेल मंत्री जी द्वारा बहुत विकास का कार्य किया गया है । मेरे रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण भी किया गया है, लेकिन एक माल गोदाम होने की वजह से वह तीसरी लाइन से कनेक्ट नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह तीसरी लाइन से कनेक्ट हो जाए और माल गोदाम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए । इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा और ट्रेनों की आवाजाही में भी बहुत फायदा मिलेगा ।

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया । छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के ऊपर प्रदेश की जनता अब चिंता करने लगी है । प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगाँव में गैंगरेप हुआ और कल ही वहां किडनैप हुआ था । वह आदमी पकड़ा गया है । इसके साथ-साथ केवल राजनंदगाँव ही नहीं, बल्कि भिलाई, बिलासपुर और जसपुर में युवती के साथ गैंगरेप किया गया है । आज मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है, उसके ऊपर चिंता की जाए । आज प्रदेश में हत्या, लूट तथा बलात्कार की घटना बढ़ रही है, उनकी रोकथाम की जाए ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जिस हातकणंगले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां की जो प्रमुख वाहिनी नदी है, वह पंचगंगा नदी है । यह नदी प्रदूषण की वजह से बहुत ही त्रस्त है । वहां के लोगों की उपजीविका होने के कारण खेती और पीने के पानी के लिए इस नदी का काफी महत्व है । यह नदी आज बहुत प्रदूषित हो गई है । उसमें ज्यादा प्रदूषण होने के कारण उसका पानी खेती के लिए भी उपयुक्त नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उसके लिए एक विशेष प्राधिकरण बनाया जाए । एक योजना के तहत उसको साफ करने के लिए निश्चित रूप से कार्य करना जरूरी है । निश्चित रूप से हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए । इस हेतु केन्द्र सरकार वहां पर प्राधिकरण गठित करे और उस नदी को स्वच्छ करने का कार्यक्रम हाथ में ले ।

माननीय अध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल जी – उपस्थित नहीं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज इनका नंबर नहीं है ।

श्री राहुल रमेश शेवाले जी ।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन अनुदान के लिए 50 हजार रुपये के अनुदान को मंजूरी दी थी । जातिगत असमानता को मिटाने के लिए अगस्त 2004 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना शुरू की । इस योजना का उद्देश्य इस अनुदान राशि का केंद्र और राज्य सरकार से 50-50 प्रतिशत धन मुहैया कराना है, परंतु पिछले चार सालों से केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की 50 प्रतिशत रकम को रिलीज नहीं किया है । इसके कारण राज्य में लगभग 15,000 से अधिक अंतर्जातीय विवाहित जोड़े केंद्र सरकार से 50,000 रुपये की मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं । शुरूआत में, इसमें लगभग आधा पैसा शादीशुदा लड़की से शादी करने के नाम पर लगाया गया था । शेष धन का उपयोग सांसारिक रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए किया जाता था । राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए सब्सिडी में 15,000 रुपये की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है । इस योजना का कार्यान्वयन जिला परिषद का समाज कल्याण विभाग करता है । चूंकि चार वर्षों से केंद्र सरकार ने अपने आबंटन के बिलों को रोक दिया है, तो राज्य में अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को यह राशि नहीं मिल पा रही है । इसलिए अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राशि को फिर से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 50 हजार रुपये कर दिया है । यदि नियम और शर्तों का पालन करते हुए नवविवाहित जोड़े जिला परिषद के सामाजिक कल्याण विभाग में अपना आवेदन जमा करते हैं, तो उन्हें 50 हजार रुपये का चेक दिया जाएगा । राज्य सरकार ने चार साल, 2016, 2017, 2018 और 2019 में अपने स्वयं के धन का 50 प्रतिशत स्वीकृत किया है । उसी के लिए अधिसूचना जिला परिषदों को दी गई है । केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का 50 प्रतिशत हिस्सा वापस लेने के कारण, राज्य में अंतर-जातीय विवाहित जोड़ों को लगभग चार वर्षों के लिए समाज कल्याण विभाग को इसे स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है । महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अंतर-जातीय विवाह के लगभग 559 मामले अभी भी प्रलंबित हैं । इन 559 जोड़ों के लिए 2,79,50,000 रुपये की राशि लंबित है ।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु इस स्कीम के अंतर्गत अपने हिस्से का 50 प्रतिशत वर्ष 2016 से रिलीज करे । धन्यवाद ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity.

In Kolkata, there is a Stationary Department of the Ministry of Urban Development. Pre-2014, there was a move for transferring that office from Kolkata. But we protested against it and then it was not shifted. Now the problem is that although the budget allocation is there, no purchase order is placed with the Stationary Department situated in Kolkata. With the result, there is no work for the employees who are there.

So, I would request the Ministry of Urban Development to issue purchase order so that this Stationary Department of the Ministry of Urban Development is able to survive. In short, that is my point.

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं अति महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान लोक सभा क्षेत्र व जिला श्रावस्ती एवं जिला बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

महोदय, मदरसा आधुनिकीकरण योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है । केवल उत्तर प्रदेश के 8,584 आच्छादित मदरसों में लगभग 25,500 शिक्षक कार्य करते हैं । बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन आधुनिक शिक्षकों को कई वर्षों से केन्द्रांश मानदेय नहीं मिल रहा है । ग्रेजुएट शिक्षकों को 8 हजार रुपये एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जो इस महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है । इन तमाम शिक्षकों को 48 माह से अधिक बीत जाने और मानदेय न

मिलने से इनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । प्रदेश के लगभग 30 शिक्षक कर्ज और मुफलिसी की भेंट चढ़कर आत्महत्या कर चुके हैं । भारत सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दृढ़ निश्चय के साथ सत्ता प्राप्त की है, मगर इस योजना में कार्यरत शिक्षकों को 48 माह का वेतन न देकर योजना पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है ।

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मदरसे में कार्यरत शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए व बाकी बकाया मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाए ।

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Mr. Speaker, Sir, I thank you for permitting me to raise a matter concerning ostomates. The Ostomy Association of India has been functioning in India since 1975. In order to save the patients from this malignant disease, a person's normal passage for waste management is removed and permanently replaced by artificial appliances. The artificial system consists of a pouch like structure on their stomach. Due to this surgery, ostomates do not have control over their waste discharge and they are forced to live with limitations of daily routine resulting in tremendous trouble for their livelihood.

The appliances used for artificial waste management are very expensive and is an additional lifetime burden on the patients. Patients are under constant fear that a waste carrying bag may get leaked or may get burst. As the patient cannot be recognised by others, the chances of appliances getting damaged increases during rail journey. The Ministry of Railways was kind enough to provide concession for Ostomates in railway journeys.

I would like to earnestly request the hon. Minister, through you, to include Ostomates under the physically-disabled category and provide them all the facilities as is being provided to disabled people as this would help minimise physical, economical and mental problems.

Thank you.

श्रीमती नवनित रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, जी.वी.के कंपनी मुंबई एयरपोर्ट का पूरा कंट्रैक्ट लिए हुए है । मिनिस्ट्री और कारपोरेट अफेयर्स ने जी.वी.के कंपनी के अंतर्गत आने वाली ग्यारह फर्जी कंपनियों के खिलाफ इनक्वायरी की थी, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मुंबई से फंड ट्रान्सफर किया गया है । जी.वी.के को मुंबई एयरपोर्ट पर काम करते हुए बारह वर्ष हो गए हैं, जिसमें पहला टेंडर पांच सौ करोड़ रुपये से शुरूआत हुई, समय बीतने के बाद अब उसका टेंडर दो हजार करोड़ रुपये हो गया है ।

मैं आपके माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इनक्वायरी कराना चाहूंगी और जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि अमाउंट फर्जी कंपनियों में कैसे ट्रान्सफर किया गया है । इस फंड को उपयोग में कैसे लाया जाता है । मैं सदन और आपके माध्यम से विनती करूंगी, टोटल पार्किंग के रेवेन्यू से कितना जमा होता है और रोजाना मुंबई एयरपोर्ट से एक से डेढ़ लाख लोग ट्रैवलिंग ओला, उबेर, बस, ऑटो या प्राइवेट कार से करते हैं । उबेर और ओला की कार पार्किंग 120 रुपये होती है और प्राइवेट कार पार्किंग 250 रुपये होती है, यदि मिनिमम से मिनिमम रोज का लेते हैं तो एक लाख गाड़ियां एयरपोर्ट पर पार्क की जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है । आपको एक मिनट समय देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: गाइडलाइन बन चुकी है ।

प्रो. सौगत राय जी, आप अपनी बात कहें ।

श्रीमती नवनित रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में हम जैसे नए लोगों को बोलने देना चाहिए । अगर इसमें बात नहीं कर पाएंगे तो कन्कलूजन नहीं निकल पाएगा ।

माननीय अध्यक्ष: आपको शाम छह बजे या कल देखेंगे । अभी सौगत राय जी का नाम बुला लिया है ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter of public importance.

Sir, the bank employees from all over the country, led by the United Forum of bank unions, are sitting on a *dharna* in *Jantar Mantar* today. This *dharna* is against the consolidation of banks by which the total number of banks are sought to be reduced. All unions of employees and officers are participating in the *dharna.* I went there. They are saying that with the consolidation of banks, the number of bank branches will become less and people will lose jobs. The number of ATMs will become less and people will lose jobs. Our hon. Chief Minister of West Bengal has written to the hon. Finance Minister asking the Government to stop this process of merging banks.

Sir, I demand that this anti-people, anti-*grahak* conspiracy of the Government of reducing the number of banks should be stopped and also the decision to shift the Head offices of Allahabad Bank and United Bank of India should be withdrawn …(*Interruptions*)

Thank you.

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । मेरे लोक सभा क्षेत्र के रायपुर निवासी मर्चेंट नेवी इंजीनियर विजय तिवारी एवं उनकी पत्नी अंजू तिवारी को नाइजीरियाई समुद्री लुटेरों द्वारा जहाज से अपहरण कर लिया गया है । रायपुर निवासी तिवारी दम्पत्ति नेव कन्सटेलेशन के 19 क्रू मैम्बर्स का हिस्सा थे । प्राप्त जानकारी के अनुसार शिप नेव कन्स्टेलेशन 19 क्रू मैम्बर्स को भारतीय समयानुसार मंगलवार की रात 11.30 बजे अपहृत किया गया है । शिप कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि उनको छुड़वाने के लिए मदद करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, यह मुद्दा देश के 65 लाख कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है । ये कर्मचारी सैमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियां, कॉरपोरेशन और पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं ।

मैं लेबर मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वर्ष 1995 में एक एम्पलाइज़ पेंशन स्कीम शुरू की गई थी । इसे ईपीएस 95 स्कीम के नाम से जानते हैं । इसमें हर कर्मचारी को हर महीने अपनी पगार में से 541 रुपये जमा कराने होते थे और रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा पेंशन के रूप में दिया जाना था । आज हकीकत यह है कि 28 लाख कर्मचारी ऐसे हैं**,** जिन्हें महज़ 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है और बाकी कर्मचारियों को 200 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक ही पेंशन दी जा रही है । अभी माननीय प्रधान मंत्री जी के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है – प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना । इसमें अगर कोई कर्मचारी 100 रुपया महीना जमा करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि पुरानी स्कीम में 541 रुपये जमा करने के बावजूद भी महज़ 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक पेंशन मिल रही है । एक कर्मचारी को तो केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ 60 रुपये पेंशन ही दी जा रही है ।

जितने भी रिटायर्ड एम्पलाई हैं, करीब 65 लाख हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं । पिछले हफ्ते भी इन्होंने आंदोलन किया है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनकी समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए ।

माननीय अध्यक्ष: जिन सदस्यों का शून्य काल के लिए नोटिस मिला है**,** अगर बिल समाप्ति के बाद समय बचा तो नोटिस पर विचार करके बोलने का मौका दिया जाएगा ।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, on behalf of all the Members, may I thank you for giving an opportunity to many Members present here. You are expanding the scope of democracy.

____

14.34 hrs

CONSTITUTION (ONE HUNDRED TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 19 ली जाती है।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल लेकर माननीय सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं । जब संविधान बना था तो संविधान के निर्माता बहुत ही गुणी और अनुभवी थे । उन्होंनेभारत को कैसा बनाना है, इसके लिए मौलिक अधिकार दिए, नीति निर्देशक तत्व दिए, इसके साथ सामाजिक न्याय को भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। जैसा डॉ. अम्बेडकर ने कहा था –"This Constitution, apart from being a document of empowering India, is also a document of social justice." जहां हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में इक्वेलिटी की बात कही, अनुच्छेद 15 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात महिला, पिछड़े वर्ग, एससी एसटी के अगेंसट की बात कही, अनुच्छेद 16 में पब्लिक एम्पलाएमेंट में आरक्षण की बात कही। इसके अलावा उनको लगा कि इस देश के दो समुदायों को पोलिटिकल रिज़र्वेशन देना चाहिए। यह समझदारी बहुत जरूरी है, इस पर संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई कि पोलिटिकल रिज़र्वेशन किसे देना है। इसके बाद निर्णय किया कि संविधान की धारा 330 के अंतर्गत देश के शैड्यूल्ड कास्ट और धारा 332 के अंतर्गत शैड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण देंगे। यह आरक्षण कैसा होगा? यह आरक्षण उस राज्य में उनकी आबादी के अनुरूप के प्रतिशत पर होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, फिर यह भी सवाल उठा कि अनुसूचित जाति कौन सी होंगी और अनुसूचित जनजाति कौन सी होंगी? इसका भी संवैधानिक रास्ता निकाला गया। There will be a Constitutional Order for Scheduled Castes, 1950 and there will be a

Constitutional Order for Scheduled Tribes, 1950. उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि शैड्यूल कास्ट कौन है तो उन्होंने उनकी भी संवैधानिक व्याख्या की और मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं। The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. मैं क्लॉज-3 पढ़ रहा हूं-

> "Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu, the Sikh or the Buddhist religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste."

उसके बाद उन्होंने हर प्रदेश में कौन-कौन शैड्यूल कास्ट्स हैं, उसकी संवैधानिक व्याख्या की। उनके सामने यह दृष्टिकोण स्पष्ट था कि हिन्दू समाज के अंतर्गत जो कुरीतियां आईं, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके मुआवजे के रूप में हमें यह आरक्षण देना आवश्यक है । इसी प्रकार वन में रहने के कारण हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई-बंधु हैं, उनकी सूची भी अलग से बनाई गई । यह जो आरक्षण दिया गया है, वह पहली बार हर दस साल के लिए प्रासंगिक रहता है । It is relevant for 10 years. बार-बार इसको संवैधानिक संशोधनों से बढ़ाया गया । वर्ष 1959 में 20 साल, वर्ष 1969 में 30 साल और वर्ष 2009 में अंतिम बार 70 साल । यह 70 साल की अवधि 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही है । अभी हम ऐसा मानते हैं, हमारी सरकार मानती है और सदन भी मानता होगा कि हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बंधु हैं, हालांकि उनके जीवन में बहुत सुधार आया है, फिर भी और सुधार करने की आवश्यकता है । इसलिए, इस आरक्षण को आने वाले 10 सालों तक अर्थात् 25 जनवरी, 2030 तक चलाया जाए, यह संशोधन लेकर हम आपके समक्ष आए हैं । हमारी सरकार ने इनके लिए और क्या-क्या किया है, वह जब मैं उत्तर दूंगा, तो विस्तार से बोलूंगा । लेकिन, मुझे सदन को यह बताना आवश्यक है कि लोक सभा की 543 सीट्स हैं, जिनमें से 84 सीट्स शैड्यूल कास्ट्स के लिए आरक्षित हैं । विधान सभाओं में कुल 4120 सीट्स हैं, जिनमें से 614 सीटें शैड्यूल कास्ट्स के लिए आरक्षित

हैं । जहां तक शैड्यूल ट्राइब का सवाल है, लोक सभा में उनके लिए 47 सीट्स आरक्षित हैं और विभिन्न विधान सभाओं में 554 सीट्स आरक्षित हैं ।

मैं सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि इन दोनों कम्युनिटीज की पॉपुलेशन कितनी है । वर्ष 2011 के सेन्सस के मुताबिक देश के शैड्यूल कास्ट का पोपुलेशन 20 करोड़ 13 लाख 78 हजार 372 और जो शैड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी जनसंख्या 10 करोड़ 45 लाख 45 हजार 716 है । So, this is the number as per 2011 Census of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

सर, यह सवाल उठता है कि यह आरक्षण कैसे मिलता है, जनसंख्या का विचार कैसे करते हैं? यह विचार भी आया था कि देश में परिवार नियोजन हुआ है, उसके कारण जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश होती है । लेकिन, यह चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में चली थी, मैं उसमें मंत्री था, तो यह चर्चा आई कि कई प्रदेशों ने परिवार नियोजन को अच्छी तरह से लागू किया । माननीय राजनाथ जी यहां बैठे हैं, उनको भी स्मरण होगा, वे भी उस सरकार में मंत्री थे । दक्षिण और पश्चिम के कई प्रदेशों ने आपत्ति की कि हमने तो जनसंख्या नियंत्रण को अच्छी तरह से किया है, तो यदि आप जनसंख्या के आधार पर नम्बर तय करेंगे, तो हमारे यहां संख्या कम हो जाएगी और जिन प्रदेशों ने इसको बढ़िया से नियंत्रित नहीं किया, उनको पुरस्कार मिलेगा । तब हमने संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन किया कि वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही हाउस की संख्या चलेगी, जब तक वर्ष 2026 की दोबारा जनगणना नहीं हो जाती है । वहां पर यह फ्रीज है । …(व्यवधान) You are a very brilliant Professor. You know everything in advance. I know that. जहां तक डीलिमिटेशन का सवाल है तो हमारे यहां डीलिमिटेशन कमीशन है, उसके अनुसार इसको तय करते हैं । मेरे ख्याल में यह संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि है । मुझे लगता है कि पूरा सदन सर्वानुमति से इसको पारित करेगा ।

हम सभी का कमिटमेंट होना चाहिए, वे हमारे बन्धु हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारा परिवार हैं, अगर ऐतिहासिक कारणों से उनको डिसक्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा तो इस देश का नैतिक कर्त्तव्य है और इस सदन का वैधानिक कर्त्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाएं । इस दृष्टिकोण के साथ, मैं इस बिल को लेकर आपके सामने आया हूं । इस संशोधन विधेयक में मैं एक अन्य दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा और बाद में, इस पर जो प्रश्न उठेंगे, उनके उत्तर दूंगा । एंग्लो इंडियन के बारे में भी यह प्रावधान किया गया था, एंग्लो इंडियन को भी लोक सभा में दो और विधान सभाओं में एक-एक स्थान दिया जाएगा । इसको हम आज लेकर नहीं आए हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं । यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): आप आज अमेंडमेंट विधेयक लाए हैं, अब विचार क्या कर रहे हैं? …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : दादा, आप थोड़ा शान्ति रखिए । बोलने दीजिए । थोड़ा शान्त रहिए । …(व्यवधान) सर, मैं यहां दो चीजें बताना चाहूंगा । मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि सदन के सामने मुझे यह बताना जरूरी है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियन्स बचे हैं । …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : This is absolutely false.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं प्रोफसर राय से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि मेरे पास रजिस्ट्रार जनरल की इन्फार्मेशन है। Sir, the Law Minister never misleads. Please do not make such a statement.

PROF. SOUGATA RAY : Then, lay that report on the Table of the House.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Alright. I will lay it. सर, मैं संविधान के सामने बोल रहा हूं, देश का कानून मंत्री हूं। आपने इस तरह की बातें क्यों कर दी कि मैं मिसलीड कर रहा हूं । मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता हूं। …(व्यवधान) सर, यह संख्या है – 296, मेरे पास उनकी डिटेल्स हैं । एंग्लो इंडियन्स की संख्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ नौ है, ओडिशा में सिर्फ चार हैं,

छत्तीसगढ़ में तीन हैं, महाराष्ट्र में 16 हैं, आन्ध्र प्रदेश में 62 हैं, कर्नाटक में नौ हैं, केरल में 124 हैं, तमिलनाडु में 69 हैं । …(व्यवधान)सर, मैं बताना चाहता हूं कि …(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): यह एनआरसी की बानगी है। …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, आप जानते हैं कि जब सेंसस होता है, सेंसस में कैटेगरी होती है कि कौन शिड्यूल्ड कास्ट है, कौन शिड्यूल्ड ट्राइब है, कौन माइनॉरिटी है और कौन एंग्लो इंडियन है। मैं अपने विद्वान विपक्ष के मित्रों को बड़े आदर से बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 366 में लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन कौन है। एंग्लो इंडियन वह है, जिसके परिवार का कोई पैरेंटल लिंक, फादर की तरफ से यूरोपियन रहा हो। यह है उसकी संवैधानिक परिभाषा। …(व्यवधान) बहुत से लोग अलग परिवारों में चले गए, शादी करके चले गए, मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गए, उन लोगों ने सेंसस में अपने को एंग्लो इंडियन नहीं बताया। अच्छे कारणों से नहीं बताया। बहुत से लोग बाहर चले गए। …(व्यवधान) हमारा कहना है कि हम आज उनके लिए प्रावधान नहीं लाए हैं। …(व्यवधान) लेकिन यह जानना जरूरी है और वे बार-बार कह रहे हैं, संविधान के दो प्रावधान हैं, मैं उत्तर में कहूंगा कि आजादी के दस साल बाद तक इनको पोस्टल और रेलवे डिपार्टमेंट्स में सर्विस में रिजर्वेशन मिलता था, वह समाप्त हो गया। आजादी के दस साल बाद तक इनको एजुकेशन में एक ग्राण्ट मिलती थी, वह भी समाप्त हो गई। जिस समय वे समाप्त हुए, उस समय किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। अगर आप इस समाज की इतनी चिन्ता करते थे तो इसको क्यों समाप्त किया, क्यों नहीं आगे बढ़ाया, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। …(व्यवधान) कमाल कर देते हैं आप। …(व्यवधान)

सर, सामान्यत: मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह की बातें उठती हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं कि सवाल उठाने से पहले थोड़ा होमवर्क किया जाए। …(व्यवधान) जब मैं विस्तार से अपना उत्तर दूंगा, तब विस्तार से इसका प्रकटीकरण करूंगा। …(व्यवधान) लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन है, there shall be a reservation, लेकिन जहां तक एंग्लो इंडियन्स का सवाल है, संविधान में

लिखा है कि they will be nominated. यह रिजर्वेशन एक अधिकार के रूप में है और वहां परिस्थितियों के आलोक में नॉमिनेशन दिया गया था। सर, मैंने कहा कि हमने रास्ता बन्द नहीं किया है, लेकिन आज हम उसको नहीं लाए हैं। मैं फिर पूरे सदन से विनम्रता के साथ कहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसकी गंभीरता को देखते हुए, हम लोग इसे सर्वानुमति से पास करें, ताकि यह सदन एससी-एसटी के कल्याण के लिए समर्पित है, यह संदेश हम दे सकें। यही कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): It is with mixed feelings that I rise in this Parliament to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019. Article 334 provides for reservation of seats for a limited period of 70 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Anglo-Indians in view of their backwardness. Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 provides for further amendment of Article 334 of the Constitution, proposing to extend the reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament and the State Legislatures for another 10 years. I support the extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next ten years. I had given a breach of Privilege Motion under Rule 222 against the Law Minister this morning for misleading this Parliament. …(*Interruptions*).

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष जी, क्या यह बात ऐसे सदन में डिसकस हो सकती है?…(व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN : Let me just complete. It is my speech. I am on my legs …(*Interruptions*). Let me complete my speech. …(*Interruptions*).

DR. SANJAY JAISWAL : Who is he to stop me? …(*Interruptions*).

श्री हिबी इडन : आप मुझसे ऐसी बात मत कीजिए। …(व्यवधान). I am speaking on facts. I am speaking according to laws, rules and procedure. …(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब आप किसी बिल पर बोल रहे हैं, तो विशेषाधिकार हनन का विषय नहीं बोला जाता है। मैं सुबह आपको आसन से इस बारे में व्यवस्था दे चुका हूं।

SHRI HIBI EDEN: Yes, Sir. I accept you.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I would like to inform the hon. Member that he raised that issue and you stopped him. The matter ought to have rested there Now, in the course of this debate, taking my name and mentioning it is grossly unfair. If there is any reference, it must be deleted from the records. That is all I want to say.

माननीय अध्यक्ष : रिकार्ड मंगाकर देख लेंगे।

SHRI HIBI EDEN: Sir, yesterday, the hon. Minister for Law introduced the Bill. सर, यह बिल आपने ही इंट्रोड्यूज किया था। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप समझ लीजिए कि यह एंग्लो-इंडियन्स का बिल नहीं है।

श्री हिबी इडन : महोदय, मैं स्वागत करता हूं। अगले दस साल के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए है। मैं इसका स्वागत करता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा तो सीनियर व्यक्ति हैं। जिस बिल पर आप बोल रहे हैं, आप उस विषय को तो देखिए।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, इसमें मैंशन है। It relates to Anglo-Indians. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह इस बिल में नहीं है।

प्रो. सौगत राय : महोदय, यह इस बिल में है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, इसे मैं देख लूंगा। जब आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं बता रहा हूं कि 334 (B) का जो अमेंडमेंट है, वह एंग्लो इंडियन्स से संबंधित है। इसमें 'एंग्लो इंडियन्स' शब्द नहीं है, लेकिन उनका रेफरेंस है इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

SHRI HIBI EDEN : Sir, the hon. Minister has just now mentioned, after introducing the Bill, that there are only 296 Anglo-Indians across the country. He is misleading the House. That is my point because in my Parliamentary constituency alone, in Ernakulum, there are more than 20,000 Anglo-Indian people.

Sir, there is a Report of the Fact-Finding Team of the Ministry of Minority Affairs, which says: "To understand the social and economic problems as well as the aspirations of the Anglo-Indian Community in India, the Minister led the delegation to five cities, namely, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai and Kochi." Sir, there are pictures in this Fact-Finding Document and they have very clearly mentioned what exactly is the situation – the economic, social, educational – and the system, which prevails in this country about this particular community.

The Article 366(2) of our Constitution has defined an 'Anglo Indian', which says:

> "An Anglo Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only."

So, it is very clearly mentioned, who exactly is an Anglo Indian.

Sir, I studied in an Anglo-Indian school till my 10th standard. We have got a Higher Secondary School just five years back, which shows how educationally backward this community is. This community is an ethnic minority, which has historically contributed a lot to the growth of this country. You can check from the records of the Railway Ministry, for example, about the number of employees, who worked in the initial stages, right from the pre-Independent times and how much contribution this community has given to the country.

Sir, the Portuguese came to the Malabar in 1498 as a part of the spice trade in this country. The Dutch, French and British followed, and they all married to women from India. Their progenies later were categorised as Anglo Indians. When India became independent, the community was not included in Article 366(2). They contributed much in the field of education through hundreds of Anglo Indian schools all around the country. In nursing supports, defence services, and laying the railway lines and telegraphic lines, the Anglo Indians made immense sacrifices and contributions. Sir, the hon.

Defence Minister, Rajnath Singhji is sitting here. The Air Chief, the Naval Chief and several war heroes, who secured Gallantry Awards are sagas of sacrifice of the Anglo Indian community. The first Olympic medal winners and several distinguished police officers tell the story of the integrity and patriotism of this community.

In the Constituent Assembly Debates, we notice every community in the country confined to their own areas and formed language based States and leaders of every organised religion argued for the individual identity and existence. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who wanted to make sure of their voice heard in the law-making bodies in the country, were provided reserved Constituencies. Anglo-Indians, who were scattered all over the country in the operation of railway, had no particular area, the State to claim of their own. In these circumstances, the generous framers of our sacred Constitution, provided representation for them in the Parliament and in the State Legislatures by providing them Article 331 and 333. Sir, through Article 334(a), the reserved Constituencies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were reserved for stipulated years. Through Article 334(b), the reserved seats in Lok Sabha and State Legislative Assemblies were provided for stipulated terms for Anglo Indians. As such, Article 334(a) and Article 334(b) were extended up to 25th January, 2020 by the 95th Constitutional Amendment. But now, the present Government has brought the 126th Constitutional Amendment to extend only Article 334(a). The reasons mentioned by the hon. Minister for not extending Article 334(b) is that Anglo

Indians are well off, and they do not require reserved seats through nomination. This is strange.

Sir, in this Lok Sabha, there are around 543 elected Members. Is there any one elected as Anglo Indian Member in this august House? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक भी एंग्लो-इंडियन नहीं है। एक एंग्लो-इंडियन राज्य सभा में हैं- श्री डेरेक ओ ब्रायन। So, the reservation has to exist considering the social fabric, the economic situation and the educational backwardness. I urge upon the Government to continue the reservation.

If the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, the President may nominate more than two Anglo-Indians. The Anglo-Indians face several problems including unemployment, financial and educational backwardness and cultural erosion. Most of them are staying in rented houses. All of this is mentioned in the Report of the Ministry of Minority Affairs prepared in 2013.

One will wonder to see the statistics on the population figures mentioned in the Parliament by the responsible Ministers. I have the figure given by the All-India Anglo-Indian Association where in West Bengal, they have a population of 45,000. In Assam, they have a population of 8,000. In Chhattisgarh, they have a population of 5,000. In Uttarakhand, they have a population of 5,000. In Jharkhand, they have a population of 7,000. In Uttar Pradesh, they have a population of 15,000. In Delhi, they have a population of 7,000. In Haryana, they have a population of 5,000. In Punjab, they have a population of 3,000. In Madhya Pradesh, they have a population of 20,000. In

Maharashtra, they have a population of 25,000. In Andhra, they have a population of 15,000. In Telangana, they have a population of 20,000. In Karnataka, they have a population of 45,000. In Tamil Nadu, they have a population of 42,000. In Kerala, they have a population of 80,000. There are around 3, 47,000 Anglo-Indians spread across the country. About 50,000 are scattered all over the states and Union Territories including Goa.

Therefore, on the basis of these facts and figures, I request the Government to reconsider it. The Anglo-Indians, as I mentioned, are facing the cultural erosion. How can the Government deny, a weak and microscopic minority, a Constitutional guarantee, without studying the real population figures, the social, educational and financial situation, provided by the founding-fathers of our Constitution? It is just a step by the Government to extend the nomination of the Anglo-Indians. I urge the Government of India to appoint a Committee to study the socio-economic situation of this community and also understand the educational and employment status of this community.

सर, कल जब नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 इस सदन में आया था, तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री, अमित शाह जी ने बोला था कि माइनॉरिटीज को पूरा प्रोटेक्शन देंगे। All the minorities in the country would be protected. That was the baseline of the Bill which he has introduced yesterday. How can we deny a right which is existing in the Parliament? According to that right, they cannot be elected to this House. So, constitutionally, they have been given these rights considering their historical contributions to this country. So, I would like the Government to

again think on these lines to reconsider this very genuine demand of the Anglo-Indians brothers and sisters across the country. My specific question to the Minister is this: “You said that the law Minister cannot be wrong.”

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: You are misleading the House. I never said that. Do not misquote me.

SHRI HIBI EDEN : When you started your speech, you mentioned something like that. You can go through the records. What is the basis of a figure of 296? Article 366 (2) of the Constitution says about the ‘European descent’. It is also very clearly mentioned. Some people are trying to mislead the House by saying that there is only British descent but that is very unfortunate. The community cannot be elected through an electoral process. So, I would like the Government to understand the peculiar situation and continue the reservation for this community. You cannot take away the Anglo-Indian representation in the Assemblies also without considering the particular State. It is quite an unfortunate situation. There are many hon. Members who would be speaking after me who will, definitely, say their state-specific contribution. Therefore, I urge upon the Government to appoint a Committee and study their social, economic, educational and unemployment status in this country and continue the reservation as in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मैं सदन को स्पष्ट कर दूं, माननीय मंत्री जी प्रस्तावना को और डिटेल कर दें कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में नाम निर्देशन द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी बिल भी यहां पर रखा गया है।

15.00 hrs

मैंने आपको पहले कहा था कि यह विषय यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह विषय यहाँ पर है। यह बात चेयर की तरफ से क्लीयर होनी चाहिए। चेयर से कभी भी गलत बात नहीं जानी चाहिए। मंत्री जी, इसमें यह विषय है न?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं इसे एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसे इंट्रोड्यूस करते समय कल भी कहा था और आज भी अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा है कि यह प्रावधान है। लेकिन आज हम जो संशोधन लेकर आए हैं, वह सिर्फ शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को 10 साल विस्तारित करने के लिए लेकर आए हैं। यह मैंने कहा है।

माननीय अध्यक्ष: आज यह विषय नहीं है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, हमने सिर्फ यह कहा है कि अभी एंग्लो इंडियन के आरक्षण को विस्तारित करने का प्रस्ताव लेकर हम नहीं आए हैं। यह मैंने स्पष्ट कहा है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है**।**

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): रवि शंकर प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूँ कि बात यह है कि जब आप Statement of Objects and Reasons लिखते हैं, तो representation of the Anglo-Indian community by nomination in the House of the People, etc. लिखते हैं और आर्टिकल 334 का जिक्र करते हैं, ये सारी बातें लिखी हैं। मुझे लगता है कि यह इंट्रोड्यूस होने के बाद आपके ऊपर काफी दवाब आए हैं। आप अभी इससे भागना चाहते हैं**।** …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह विषय नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं कि भागना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको शब्दों को सही करना चाहिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, भागना मतलब वह नहीं है। मैंने उस संदर्भ में यह नहीं कहा। आप यह नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि काफी दवाब आ चुका है। लेकिन आप इसको संशोधन करके बोल सकते हैं। …(व्यवधान)आप एक अमेंडमेंट करके बोल सकते हैं। …(व्यवधान)सर, अच्छा होता अगर आप अमेंडमेंट करके बोल सकते कि Statement of Objects and Reasons में हमने जो डाला है, उससे हम इसको हटाना चाहते हैं। आप एक अमेंडमेंट लाकर यह कह देते, तो न स्पीकर साहब की यह हालत होती और न ही हमें बोलने की जरूरत पड़ती। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया है। हर विषय पर बोलना जरूरी नहीं है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : सर, मेरा एक क्लैरिफिकेशन है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं। इस विषय पर कोई डिबेट तो नहीं हो रही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हर विषय पर डिबेट करने की आदत न डालें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया था, उसके बारे में मैंने कुछ व्यवस्थाएँ दी थीं, मैंने आसन से उनके बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है और मंत्री जी ने भी उसको स्पष्ट कर दिया है। इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, Speaker, Sir. I rise to support the historic Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 which aims at extending the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under Article 334 of the Constitution for the next 10 years.

15.03 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

The reservation for SCs and STs in the Lok Sabha and in the State Assemblies was to expire by January, 2020. This new Bill will extend the reservation for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community for the next 10 years, that is till January, 2030. Our Government after coming to power has done a lot for the welfare and development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Narendra Modi-led Government has shown its tireless commitment for the welfare and upliftment of the SCs and the STs.

Today, we know where the SCs and the tribal people stand and what their situation is. Despite 70 years of independence, we have not been able to provide an equal or a level-playing field for the SCs and STs as that of the people belonging to the general category. If we see the Human Development Index of particularly those areas where the SCs and STs reside, we can clearly see that the areas where the tribals live or where the Scheduled Caste communities live, the Human Development Index is way much less than what it is in the general areas. Also, one programme which has recently been started by our Prime Minister Modi *ji* is about the development of the Aspirational

Districts. Most of the districts in the Aspirational Districts – there are around 110 districts – are tribal dominated. From this, we can definitely make out that the tribal areas and the areas of the Scheduled Caste people are the ones which are yet to be developed.

I come from a tribal area. Being a doctor, I would like to also speak about the health sector, particularly in the tribal areas. In most of the tribal areas, we see a very strange picture. We will see most of the children suffering from malnutrition, and girls and women suffering from anaemia. There is a high rate of maternal mortality. There is a high rate of neonatal mortality सर, मैं जिस ट्राइबल क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र की आरोग्य की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगी। कई साल पहले इन सभी ट्राइबल एरियाज में कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, किसी महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है तो उनके गांव, बस्ती तक किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं जा पाती थी। इसके कारण ट्राइबल एरियाज में बैम्बुलेंस का एक नया कंसेप्ट आया। जिसमें बांस के स्ट्रैचर बनाए जाते हैं। उस पर पेशेंट को डालकर कई किलोमीटर्स तक उसे उठाकर ले जाते हैं। बैम्बुलेंस का जो कल्चर ट्राइबल एरियाज में था, वह केवल हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ट्राइबल एरियाज में था। अगर आप देखेंगे कि जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वहां इसी तरह से पेशेंट्स को कई किलोमीटर्स तक उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाया जाता था।

मैं अपनी सरकार और खासकर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन सभी ट्राइबल एरियाज में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, उसको दूर करने का काम सरकार ने किया है। आज इन ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल बस्तियों में रोड्स बने हैं, जिनसे एम्बुलेंस उन लोगों के घर तक जा सकती है। जहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां अलग-अलग माध्यम से पेशेंट्स को लाने की व्यवस्था भी हो रही है। मेरे राज्य महाराष्ट्र के लिए हमारी केन्द्र सरकार ने, खासकर आर्टिकल

275(i) द्वारा ट्राइबल एरियाज के लिए जो फण्ड दिया जाता है, उसके माध्यम से एम्बुलेंस की सुविधा ट्राइबल एरियाज में शुरू की है, जो वहां अटल आरोग्य वाहिनी के नाम से प्रचलित है। इसी के साथ ट्राइबल और एस.सी. फैमिलीज, जिनमें ज्यादातर फैमिलीज लोअर सोशल इकोनोमिक ग्रुप को बिलोंग करती हैं, इसलिए इन फैमिलीज में अगर कोई बीमार होता है, तो उनके लिए हॉस्पिटल का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज आयुष्मान भारत जैसी योजना लाकर सही रूप से एस.सी./एस.टी. कम्युनिटीज को न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

Another important sector is education. While talking about education, I would also like to highlight some of the numbers, particularly about the literacy rate of our country, right from Independence to till date. I would like to mention that in 1961, the literacy rate of the general population was 27.86 per cent, that of the Scheduled Caste was 10.27 per cent and that of the Scheduled Tribe was 8.53 per cent. In 1971, it was 33.80 per cent for the general population; it was 14.67 per cent for the Scheduled Caste; and it was 11.30 per cent for the Scheduled Tribe. In 1991, the literacy rate of the general population was 52.2 per cent; it was 32.5 per cent for the Scheduled Caste; and it was 29.60 per cent for the Scheduled Tribe. In 2011, if we see the literacy rate, it was 73 per cent for the general population; it was 66 per cent for the SC; and it was 59 per cent for the ST. From these numbers, it is very clear that still the SC and ST communities in terms of education are way behind the general population.

While talking about education, I would also like to mention about the school drop-outs taking place in the Tribal areas. Our Government has now initiated a programme of Eklavya Model Residential Schools for opening new

English medium residential schools for Tribals in every block which has a population of at least 50 per cent Tribals or 20,000 Tribals residing there. Now, because of this residential school facility, a lot of Tribal children, who used to go from their house to the school and then after certain years used to drop out earlier, are now staying in those English medium residential schools. They are getting good quality education. Today, we are trying to mould these children into those children who can clear exams like IIT, who can clear exams like NEET and who can clear exams like UPSC. I can very proudly say that in one of the Eklavya Model Residential Schools in my constituency, one Tribal boy has got admission into the IIT in Assam. Being a Tribal, I am really proud that a Tribal boy from my constituency could qualify in the IIT Exam also.

While talking about education, I would also like to mention about the Skill Training Programme which is being initiated by our Government, particularly for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is not just only the skill training but after the skill training, the boy or the girl, who gets the skill training, is getting an opportunity to become entrepreneurs as well. There are programmes like MUDRA loan, there are programmes like Start-Up India, there are programmes like Stand-Up India where these boys and girls belonging to SC/ST categories are getting an opportunity to become entrepreneurs as well and provide jobs to more and more such boys and girls belonging to SCs/STs.

Sir, I would like to draw the attention of the House to the fact that there is a huge a backlog of vacancies of the SCs and STs in different sectors in the country. I would like to thank the Government that they have started carrying

out special drives for filling in these vacancies. The Railway Ministry has started a recruitment drive for the SCs, STs, women and the General category people.

With this I also would like to bring to the notice of the Government and to the hon. Minister some concerns which have come up while filling in these vacancies. Many candidates who apply in the tribal category are not originally tribals. They get jobs or they get admissions in the medical colleges and engineering colleges. Once they get admission there, if there is some complaint or if there is some enquiry into that, these people move to the court. The court after knowing that they have taken admission or have been studying for one year or have got jobs, gives directive to let them continue. This is actually creating problems and causing injustice to those who originally belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Through you, Sir, I would like to request the hon. Minister to bring in a strict legislation so that those candidates only belonging to SCs and STs category could apply for these jobs.

Sir, I come from the State of Maharashtra where there is a caste validity provision. If somebody has a caste certificate, only on the basis of that caste certificate that person cannot apply for a job or take admission. This caste validity is done through a proper scrutiny committee which enquires into each case individually. I would request the hon. Minister to bring in a legislation where in every State all over the country there should be a scrutiny committee which can look into who is originally a SC/ST candidate and then give caste

validity to that person so that only those who belong to original Scheduled Castes/ Scheduled Tribes would get justice.

Along with this, I would also like to request, through you, to the hon. Minister to bring in a legislation particularly for those who are taking admissions but do not belong to original SC/ST communities. There should be a strict penalty in that case and they should be removed immediately. There have been cases where people have got jobs particularly in banking and other sectors. Till they retire, they remain in service and there is no justice given to original SC/ST candidates and these bogus people continue. Therefore, I would request the hon. Minister to kindly look into this.

Sir, I can very proudly say that today in this Parliament we have 47 MPs from Scheduled Tribe community and 84 MPs from the Scheduled Caste community. In the State Assemblies, out of 4120, there are 614 candidates belonging to the Scheduled Castes and 554 candidates belonging to the Scheduled Tribes. These Members of Legislative Assemblies and Members of Parliament are actually the voice of SCs and STs of the country. There are many issues of the tribal areas. We need a representation at the State and the Central level. Today, the Government by bringing the One Hundred Twenty-Sixth Amendment to the Constitution has in a true sense given justice to the SC/ST communities of the country.

Sir, the Modi Government has continuously shown its commitment towards welfare and upliftment of STs and SCs. Before Modi Government came to power, the earlier Governments also had housing schemes,

electrification schemes, drinking water schemes, etc. But these schemes were never implemented in a true sense. There were housing schemes, but not many tribals and not many SCs could get houses. After Modi ji came to power, they brought in the Pradhan Mantri Awas Yojana, which in a fixed timeframe will be completed. Housing for All by 2022 Mission is being implemented by the Modi Government.

The Ayushman Bharat Yojana is a scheme for universal health coverage for all the poor and the under-privileged. The Saubhagya Yojana is to provide electrification to all houses. I can very proudly say that through this Saubhagya Yojana about 1,10,000 houses in my own constituency have been electrified by March 2019. Sir, these houses were unelectrified all these 70 years of Independence. Right now, after Modiji came to power, he brought in the Saubhagya Yojana and in a fixed timeframe, by March 2019, all these programmes of electrification were completed.

In the tribal areas, people live in hamlets. Along with this, there is drinking water issue. Most of the tribal families have to fetch water for drinking from a distance. Now, by bringing Har Ghar Jal drinking water scheme, every house is going to get pure potable drinking water. This is definitely going to help the tribal and the SC families which had to struggle for drinking water, particularly in the summer season, where especially the women had to walk for kilometres to bring water for their houses.

Also, I would like to congratulate the Government for increasing the budgetary allocation for the SCs and the STs. If you see, Sir, consistently over

the last five years, every year the budgetary allocation for the SCs and the STs has been increasing. In fact, in the last five years, I can very proudly say, it has almost doubled of what it was in the year 2014. Coming from a tribal area, I feel proud that my Government is working with a commitment towards the tribals and the SCs.

Sir, I would also like to urge upon the Government to look into the fact that in the States also, like the Central Government is giving budgetary allocation, there is a directive of the Central Government to the States that in every State, the budgetary allocation should be based on the percentage of the tribal and the SC population of that State. It is unfortunate that many States are not following that. So, I request the Central Government to also make a strict legislation that the States also follow the same rule as the Central Government is following.

Along with this, I would also like to highlight the fact as to why this political reservation for the SCs and the STs is important. The first thing is that the SCs and the STs will find a place in the Government as representatives of the SCs and the STs. Historically, both have been the disadvantaged groups who never had that representation earlier and now, they are here to express the agony and hardships of the tribals and the SCs.

Sir, I would also like to speak about one of my colleagues who just spoke from the opposition benches. I was listening to him very carefully and really disappointed to see that my friend from the opposition side had more concern about 296 people rather than the 30 crore SCs/STs of the country. So,

I would request my friend from the opposition that when we are talking of *sabka sath, sabka vikas, sabka vishwas,* then they should also have *vishwas* in our Government and should also think … (*Interruptions*)

Lastly, I would like to once again congratulate the Government for bringing in this Bill to extend reservation for next ten years and also taking into consideration the issues, the problems related to the SC and ST communities of the country.

Thank you very much.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I would have been very happy to support this Bill. Actually, this would have been one Bill which the Government has brought and we could have supported entirely, but then unfortunately, they made sure that there is something that we cannot accept. Hon. Minister is a very erudite lawyer and I hope that he can explain a few things to us. He says that this Bill does not mention the Anglo-Indian community, but it is there in the Statement of Objects and Reasons and also the annexure. If it is not included in the main Bill, then I would like to know why he is not saying that the reservation for the Anglo-Indian community will be extended, like he is explicitly saying that it will be extended for the SCs and the STs, which we welcome. Why is he not saying that it will be extended for the Anglo-Indian community also?

We all know that the Anglo-Indian community is shrinking. Even then, the number given by the Minister is highly exaggerated one because I am sure amongst us we would know around 50,000 Anglo-Indians in Tamil Nadu itself. As Shri Hibi Eden has just now mentioned more than three lakh Anglo-Indians live in this country. Their contribution to this nation in terms of sports, in Government Departments, especially in Railways, in arts, etc. is something we cannot forget. Just because they cannot elect a Member with a population of three lakh as they are spread out all over geographically, it is not fair to deny

them this representation. Not only that. They are taking away their right to be represented as MLAs in State Assemblies. Around 13 State Assemblies have MLAs who belong to the Anglo-Indian community. Five of them are from the South. The South Indian States have one each. Did you discuss with the State Governments? Have they accepted it? This Government is again and again interfering in the States' rights and it is taking away their rights in every single Bill. As I said, the States' rights are being taken away by this Government.

Just because you have a majority does not mean that you have to hurt the minority. Yesterday, you brought a Bill which would hurt the Muslims. Today, you are bringing a Bill which is going to hurt the Christians. So, I think majority is not the only factor on which we should run this country. More than that, it is the humaneness and the inclusiveness which are more important in democracy.

When it comes to the issue of Scheduled Caste and Scheduled Tribe reservation, we completely support that. We welcome that. Our intellectual revolutionary from Tamil Nadu, Periyar said, "All women and men should live with dignity". Have we achieved that dignity? After 70 years of political reservation, where are we? Still we build walls to keep the *Dalits* away. Even today, we cannot share a crematorium with them. Even the ashes cannot mingle with each other. We cannot share water, wells, and tanks. We cannot share living spaces with *Dalits*. They cannot walk on our streets. Is this what

we have achieved after 70 years of Independence? Aren't we all ashamed to say this in this august House? I think we have to hang our head in shame. You may see how many *Dalit* girls are insulted and raped. Do we raise our voices against these atrocities? Do we talk about that? Do we discuss that? In some ways, we come to accept it. Even the media does not report it. It is only what happens in the cities that get reported. We just ignore what happens to the *Dalits* in this country. The condition of Scheduled Tribes is so bad that we do not even think of them and we do not even acknowledge their existence in this country.

Many people proudly said here that in Parliament we have 15 per cent Scheduled Caste Members and 8.6 per cent Scheduled Tribe Members. But this reservation has been given based on the 2001 Census. I think it is high time we increased it based on the 2011 Census. We cannot just keep numbers which are long gone and decide reservations on that basis. When we are talking about reservations I would also like to remind the Minister about the Women Reservation Bill which does not seem to be happening at all. Women, whichever caste they may belong to, are the *Dalits* of this country.Ten Central Government Departments which employ more than 90 per cent of the people, around 8,223 posts for SCs have not been filled and for STs, 6,955 posts have not been filled. Is this the way we are going to make the wrongs into rights? Even the Central Government does not want to fill the posts which have to be

rightfully filled by SCs and STs. This information was given by hon. Minister, Shri Jitender Singh on the floor of the Parliament.

Sir, when we talk about that the people not being able to live in the same vicinity, not being able to walk in the same streets, proudly, I would like to talk about Tamil Nadu. When the DMK Party was in power, we built Samathuvapuram. It is a complex of houses where our leader, Dr. Kalaignar, when he was the Chief Minister, brought in people from different communities - from the upper castes to the OBCs, Dalits, SCs and STs. Everybody lived together in the same complex and I think it was a giant step, giant lift for humanity to include and do away with the caste system.

Sir, I would also like to talk about the scholarship benefits given to students. When we talk about empowering the SCs and STs, I think education plays a vital role in that. This Government has done away with scholarship benefits to SC and ST students who get into colleges through the management quota. It hurts the students to a very large extent. The Central Government is yet to release grants pertaining to around Rs.384 crore to the SC students of Tamil Nadu. Is this the way you are going to reach out to the Scheduled Castes of this country by not even giving them the Grants which you should give to them?According to one survey conducted by the IIM Bengaluru, out of 642 faculty members across 13 IIMs, four were from the SC community and one was from the ST category. The same thing is there when it comes to the IIT Madras. In the last ten years, out of 3,848 Ph.D. admissions, only 234 were from the SC and ST communities.

Sir, is this not the intellectual untouchability? Is this not what Rohith Vemula meant when he said that when equality is denied, everything is denied? Sir, this intellectual arrogance will not take this country anywhere. I think we have to work on helping them in an inclusive and wholesome way. Just bringing in reservation and continuing it – we welcome it – is not going to help. You have to empower them in all possible ways and treat them with dignity and respect and stop playing religion and communal politics.

Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Constitution (126th Amendment) Bill, 2019. I start my speech by paying homage to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, Dr. B. R. Ambedkar, Babu Jagjivan Ram and other leaders of the Scheduled Caste and oppressed communities of this country.

Sir, this Bill has two parts in which two of our speakers will speak. One part deals with the extension of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for another ten years from 2020. The second part deals with taking away the reservation given under Article 334 to the Anglo-Indian community.

I fully support the extension of reservation in Parliament and Assemblies to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are 20 crore Scheduled Caste and ten crore Scheduled Tribe people in the country. They must have their proper representation in all the legislative bodies. I must mention that in this context, still, injustice is being done to the people from Scheduled Castes. The *…*[*] is not sending Scheduled Castes, Scheduled Tribes Commission Bill to the West Bengal Assembly. The House was adjourned last week because of this. This is a great humiliation to SC and ST people. I would urge upon the *…** to change his ways.

Having said, let me concentrate because Shri Sunil Mondal from our Party will speak on the Scheduled Castes Scheduled Tribes reservation part for which extension is there and there is all round-support for the same. We

[*] Not recorded.

have not yet been able to remove the disparities that exist in the society. The hon. Member, Kanimozhi mentioned about the humiliation faced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country. Still, Scheduled Tribes in the jungles of Bastar are going to Maoists because they are not getting justice from our society. These are the matters which should be dealt with in great detail.

I totally object to the Government's efforts to obliterate the representation of one community and for this, the hon. Minister has taken recourse to false reports from the Registrar General of India saying that there are only 296 Anglo Indians in this country. You throw away that report of the Registrar General of India. It is totally incorrect. There are several lakhs of Anglo Indians in the country and they are spread all over the country. They are spread from Thiruvananthapuram to Dehradun and they live in as many as 22 of the 28 States and 9 Union Territories of India. The Anglo Indians have greatly contributed to the development of the country. Sir, you must read one book by John Masters, it is called Bhowani Junction, which is about the trials and tribulations of the Anglo-Indian community at the time of partition. They did not know which way they should go. But Anglo Indians led by Frank Anthony who was a Member of the Constituent Assembly pledged to remain in India because the Constituent Assembly gave them reservation of two seats in Parliament and one seat each in thirteen Legislative Assemblies.

The Law Minister at one stroke of pen wants to take away what was given by Dr. Ambedkar. What Dr. Ambedkar gave, Ravi Shankar Prasad ji

seeks to take away. It is very, very unfortunate. Sir, I may mention that the Government did not even once consult the representatives of the Anglo-Indian community regarding this step. The thirteen States are involved. Bengal has representation of one per cent in the West Bengal Assembly. They did not consult the West Bengal Government at all whether it is necessary to take away this thing.

Sir, if I may say, the Anglo Indians have played a great role in the Army, the Armed Forces, education, Indian Railways, police, customs, post and telegraph, nursing and other strategic services. We had General Rodrigues as the Chief of the Army Staff. Sir, you would know that not only in Army, but in Air Force also they have contributed. We had a Chief of Air Staff from the Anglo-Indian community. Sir, you may have heard of Leslie Claudius, four-time Olympian. He is from Calcutta and he was the Captain of the Indian Hockey Team in Rome Olympics.

Sir, the greatest contribution of the Anglo-Indians is in the field of education. There are hundreds of Anglo-Indian schools under the ICSE Board spread across the country. They are the most sought-after schools in the country. Even BJP leaders would like to put their children in the Anglo-Indian schools. These schools have spawned corporate leaders, politicians, bureaucrats, acclaimed professionals and academicians. People from all walks of life, hundreds of thousands of children, Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Parsis, besides the Christian children are nurtured into becoming caring, well-

rounded citizens of India in these schools. There are several lakhs of Anglo-Indians who are proud citizens of this great nation.

Sir, I would invite you to Bow Street in Kolkata, in Sudip Bandyopadhyay's Constituency. During Christmas, a thousand Anglo-Indians would gather there to celebrate Christmas. Bow Barracks is a heritage structure. Anjan Dutt made a film titled Bow Barracks Forever. Only in Bow Barracks, a thousand Anglo-Indians live. Yet, the Minister comes here and says that there are only 296 Anglo-Indians! The Minister is an honourable man; so are they all, all honourable men.

I come to speak against obliteration of a community which was given this representation at the time of Independence. At the time of the adoption of the Constitution, they adopted India as their homeland. There are two parts to the Bill. The first is the part relating to SCs and STs. But, why did you drop the part relating to Anglo-Indians. Do not obliterate a proud people. Maybe their only fault is that they are Christians and this Government in their rightful thinking, just like they brought the law yesterday, wants to go and tell the country, "See, we have Hindu consolidation. Christians are being deprived of their rights." This is not the way to go. The mosaic that is India consists of different religions.

Tagore, in his famous poem which became the National Anthem mentioned:

"Ohoroho tobo aobhano procharito,
Shuni tobo udaro bani;
Hindu Bouddho Shikh Joino Parosik
Musolmano Khrishtani"

Mind you, Muslims, Christians, Jains, Parsees and Buddhists are all part of the country.

Purobo poshchimo ase,
Tobo singhasono pashe,
Premoharo hoy gatha.

This is the latter part of Jana Gana Mana.

Sir, let us talk of taking everybody on the big pilgrimage that is India. Let the BJP change their worldview and take India as a *Bharat Teertha*, as a pilgrimage place of India. With this, I again support the extension of reservation to SCs and STs, and totally denounce the taking away of the representative character of the Anglo-Indians. Thank you for the time.

HON. CHAIRPERSON: The next speaker is Kumari Goddeti Madhavi, the second youngest Member of the House. She is 26 years old, she represents Araku Parliamentary Constituency from Andhra Pradesh which is an ST Constituency.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to put forth our party YSRCP's views on the Constitution (126^{th} Amendment) Bill, 2019. Sir, reservation of seats for SC and ST communities in Indian Parliament was envisaged to act upon one of the basic tenets on which our forefathers expounded. The SCs and STs have faced historic oppression and their voices have been suppressed for far too long. The special provisions need to be put in place to ensure that their place and representation is secured in the temple of democracy.

Article 334 of the Constitution lays down the provisions for the reservation of seats for SCs and STs in the Parliament. It mentions that such provision shall be stopped to have effect on the expiration of the period of 70 years from the commencement of the Constitution. The idea behind such a deadline, which can be extended by the Parliament, is to ensure that future parliamentarians can debate and deliberate about the utility of such reservations and consider reviewing the same. Today, we are fortunate to be given the responsibility of considering such extension of reservations as the deadline is 25^{th} January, 2020.

Sir, I would like to bring to your kind notice the deplorable conditions of tribal population in India. About 45 per cent of them live below the poverty line in rural areas and 24 per cent in urban areas. I am proud to be a part of the ST community, and my very presence here in this august House is due to the reservation policy introduced by the founding fathers of our Constitution. I can vouch for the fact that today, many communities do not have access to quality education and dignified livelihood opportunities. In spite of the various schemes under different Ministries, the conditions have not been improved adequately.

Sir, I represent the Araku constituency in Andhra Pradesh, which as I have mentioned above is a reserved seat. Apart from livelihood, education, access to drinking water and health issues, rural connectivity in my constituency needs to be improved drastically. Precious lives are lost due to lack of connectivity and the time taken for patients to reach a hospital. Lack of rural connectivity is also one of the major reasons for the fruits of development not reaching or filtering down to the people belonging to the tribal communities. In this regard, I would like to highlight two major points.

For the construction of rural roads, there is a point system which is followed, based on the number of habitations that the road connects. However, as all Members of this House would agree, especially in hilly and dense terrain areas, this point system for evaluation does not seek to achieve the objective of rural connectivity. So, through this august House, I request the Government

to exclude this point system, especially for reserved constituencies and construct roads that connect all habitations.

Secondly, more often than not, a lot of these development works need to be undertaken in forest areas. In that regard, the speedy clearance, especially environmental clearance is absolutely necessary.

In this regard, through you, Speaker Sir, once again, I would like to urge the Government and especially the Rural Development Ministry to pay special focus on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and ensure that rural connectivity is improved drastically and there is proper and full utilizations of the budget allocated to various schemes under the Ministry of Tribal Affairs. In conclusion, I would like to extend the support of YSRCP Party for this legislation which caters to the demand of the present scenario, and is bold enough to rethink the utility of provisions, as was constructed by our forefathers.

Thank you, Sir.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): सभापति जी, इस ऐतिहासिक बिल पर आज मुझे अपनी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक बिल है, जिसके द्वारा इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए इससे लाभ होने वाला है। उनके जो प्रतिनिधि आज इस संसद में आते हैं या किसी विधान सभा में जाते हैं, उससे उनकी समस्या सुलझाने के लिए इसका लाभ होता है।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले 24 सितंबर, 1932 में पूना पैक्ट के अंतर्गत डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी और उस समय के प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के बीच में यरवदा जेल में इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस समय 8 प्रोविंसेज़ में 147 सीट्स रिजर्व्ड की गई थीं। उस समय की असेंबली में हमें 147 जगह मिली थीं। उसके बाद कांस्टीट्यूशन में परम आदरणीय डॉ. अंबेडकर साहब ने हमें न्याय देने के उद्देश्य से, जितने भी देश के डिप्रेस्ड लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, अनूसूचित जनजाति के हैं, उनको इसका लाभ मिले, इसके लिए संवधिान में इसका प्रावधान किया गया । इस प्रावधान के अंतर्गत हमें हर 10 साल के बाद इसे रिन्यू करना पड़ता है। पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति की 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं और उसी तरह 47 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इसी तरह से सभी राज्यों की विधान सभाओं से अगर हम उसकी तुलना करें, तो 614 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 554 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आज रिजर्व्ड हैं।

आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हम देखेंगे तो एससी, एसटी की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा एससी और एसटी के लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं। आज सरकार कनेक्टिविटी के लिए काफी प्रयास कर रही है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, स्टेट हाईवेज़ हों, उनके द्वारा हम रास्ते बना रहे हैं। इसके लिए जो निधि आज हमें मिल रही है, मुझे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है। इस मामले में भी ध्यान देने की मैं मांग करता हूं।

अगर अनुसूचित जाति का हम विचार करें तो 1,242 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स हैं, उनका इसमें समावेश है, यानी वे इसमें इनक्लूडेड हैं। इसी तरह एसटी की भी 705 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स इस कैटेगरी में इन्क्लूडेड हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि जो यह एलोकेशन का मैटर है, हम किस तरह से इसके ऊपर सोचते हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि इनका पर्सेंटेज़ बढ़ता जा रहा है। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में विचार करेंगे, तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेशन में 13 पर्सेंट सीट्स शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 7 पर्सेंट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। आज शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 17 से 18 पर्सेंट है और एसटी की पॉपुलेशन 10 पर्सेंट है। इस मामले में सोचा जाए कि जिस तरह से पॉपुलेशन होगी, उसके अनुपात में लेजिस्लेशन में, असेंबली में सीटें रिजर्व्ड करने की आज सख्त जरूरत है।

मैं इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के ज्यादातर भाई-बहन को हम देखते हैं कि ये रूरल एरियाज़ में रहते हैं। उनमें एजुकेशन का स्तर अभी कुछ बढ़ने जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स में आज भी स्तर उतना बढ़ता हुए हमें दिखाई नहीं देता है। जब भी कोई वैकेंसी निकलती हैं, किसी पीएसयू में हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो वहां पर इंग्लिश न्यूज पेपर में और उसी एरिया के सबसे बड़े न्यूज पेपर में एडवरटाइजमेंट देने का हमारा प्रावधान होता है। मैं आदरणीय मंत्री जी से इस विषय पर रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वहां के जो लोकल न्यूज पेपर्स हैं, उन लोकल न्यूज पेपर्स के माध्यम से अगर हम एडवरटाइजमेंट देंगे, तो आज भी हमारे एससी, एसटी के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है।

आज भी पीएसयूज में देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स का बैकलॉग आज भी बड़े पैमाने पर है। इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एंग्लो इंडियन पॉपूलेशन के बारे में काफी अलग-अलग विचार हैं, लेकिन 296 का अथराइज्ड फिगर ही हमारे देश में है। इस मामले में भी हम

गंभीरता से सोंचगे। पिछले महाराष्ट्र असेम्बली में दो मेंबर हमें नहीं मिले, अभी भी हमारे पास मेंबर नहीं हैं जिससे वह जगह खाली रह जाती है। ऐसी जगह क्या किन्हीं दूसरे भाइयों को दी जा सकती है, इस पर हम गंभीरता से विचार करें, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। जय हिन्द, जय महाराष्ट्र।

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 334, खंड-क, में ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि दस वर्ष 25 जनवरी, 2020 से 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है। अनुच्छेद के खंड क और ख में 70 वर्ष के लिए लिखा गया है, उसे संशोधित करके 80 वर्ष करने का प्रवधान किया जा रहा है। सरकार द्वारा बिल लाया गया है, बिहार के सम्मानित नेता व मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार और हमारी पार्टी, जेडी(यू) इस बिल का समर्थन करती है। इस बिल में लिखे गए प्रावधान को दस साल बढ़ाने के प्रोविजन का पूरा सम्मान और समर्थन करती है।

पिछले 70 सालों से देश में आरक्षण का प्रावधान है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उसी समाज से आते थे। आरक्षण देते वक्त संविधान निर्माता ने उस समाज की पीड़ा को देखा और समझा। उन्होंने देखा कि समाज और देश में उनको किस प्रकार से हीन भावना से देखा जाता है। उस समाज को बराबरी का सम्मान दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया। उस समय इसे 70 साल तक लागू रखने का विचार किया गया और यह 70 सालों तक चला। आज लोक सभा में 84 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। देश भर की सभी विधान सभाओं में 614 सीटें अनुसूचित जाति और 554 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार पूरे हिन्दुस्तान की विधान सभा और लोक सभा में इस समाज के लोगों को आरक्षण दिया गया है, जिससे वह लोक सभा और विधान सभाओं में बोल सकें। संविधान में इस बात का प्रोविजन रखा गया है। आजादी के 72 साल बाद आज भी इस समाज को हीन भावना, छूत-अछूत की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। इसके साथ ही इस समाज को आगे ले जाने और उत्थान के लिए योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भी इस समाज को सम्मान देने का काम राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कर रही हैं। सुरक्षित सीटें, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजातियों के लिए हैं, खाली हैं, बैकलॉग चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द भरकर लोगों को आसन पर स्थापित करें ताकि वे अपने समाज के साथ न्याय कर सकें।

यह देखा गया है कि बैकलॉग्स के कारण समाज के दबे कुचले गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग उस स्थान पर पहुंचने से वंचित हो जाते हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्य मंत्री, बिहार में शोषित दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हक के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इनको संरक्षण देना, इनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इनका हक न मारा जाए, इस तरफ बिहार के मुख्य मंत्री जी का ध्यान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहता है। वे लगातार इस तरफ ध्यान देते रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से देश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के एक आह्वान पर सम्पन्न लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी, उसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सम्पन्न लोग उस स्थान तक पहुंच चुके हैं, जहां रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। वे अपने ही समाज के भाइयों के लिए रिजर्वेशन छोड़ने का प्रण लें ताकि उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके। एससी और एसटी समुदाय को संरक्षण प्राप्त हुआ है, इसका लाभ समुदाय को मिल भी रहा है और लोगों का उत्थान भी हो रहा है। मैं पुन: इस बिल का समर्थन करता हूं और हमारी पार्टी इस बिल के समर्थन में है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री महताब जी।

प्रो. सौगत राय : महताब जी अच्छा बोलते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: पहली बार दादा ने किसी की तारीफ की है। आपका अभिनंदन है।

प्रो. सौगत राय : मैं तो बराबर निशिकान्त जी की भी तारीफ करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir. This is a very important Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, important in the sense that it gives us the responsibility to be committed to make our society whole, to make our nation great, to bring the deprived sections of our society into the mainstream, and to provide them equal opportunity.

It was contemplated during the Constituent Assembly debate that adequate reservation should be provided to those people who have been deprived of opportunity, because of various reasons, for thousands of years. But the history goes beyond our Constituent Assembly debates. One falls back on the Poona Pact, an agreement which was signed in 1932 between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar at Yerwada Jail. Subsequently, Mahatma Gandhi undertook the Harijan Padyatra, especially in Odisha, for more than 28 days. That is the only place where Mahatma Gandhi walked on foot with his compatriots and also created an awakening for social intertwining of respective castes. That was also another method of bringing cohesiveness within the Hindu society.

What was happening then was, a major attempt was made by the British imperialism to divide the society because our society was caste-ridden. One constituency was for the Muslims. Another constituency was being created especially asking a specific section of the society that they are deprived, oppressed and that is the reason why they should also strive to have a specific constituency.

16.00 hrs

The Poona Pact made it cohesive so that everyone would come under one banner and one society. That is the reason why subsequently we had double membership from one constituency. We have progressed from double membership to specific reservation of respective seats and accordingly it has been divided since our Constitution came into existence … (*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: This will not go on record. Please go ahead with your submission.

… (Interruptions) *

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I still have a question to ask the hon. Minister of Law and Justice. When he introduced the Bill, I wanted to understand why he has only mentioned extension in the long line after Clauses (a) and (b), it says, "for the words '70 years' the words '80 years' in respect of Clause (a) and '70 years' in respect of Clause (b shall be substituted. One can understand, while going through the Bill, this extension is going to be done for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But when you are not extending the reservation for Anglo-Indians, should it be understood that reservation or nomination of Anglo-Indians is not getting extended? I think by Friday, this House is going to be adjourned *sine die* if you are not extending it by another 2-3 days' time. If that is so that we are adjourning the House *sine die* on Friday, are you going to bring another amendment to the Constitution to

* Not recorded.

provide for nomination of Anglo-Indians that is being provided for the last seven decades? I do not believe that, that is going to happen.

Here I would just like to repeat one issue that had been said earlier in this House, in early 1950s by a famous tribal or a Jharkhand leader of that day. He was Major Jaipal Singh. He said that civilisation first started from forest. It moved towards river valley and it flourished. Now the civilization is going back to forest. What did he mean by that? He said that urbanization is moving towards those areas which have large mines, adequate water and where new townships are being created. That is what he said that civilization is moving back and it will move further to the forest area.

Being a member of the previous Delimitation Committee, I came to understand - especially in our State and the neighbouring States of Odisha - that the population of tribals is shrinking in Scheduled Areas because a large number of people from other parts of the State and educated mass of people are being employed in those townships, steel plants and other industries. They are outnumbering the Scheduled Tribes of those areas. So, the demography of that area is getting changed. The reservation is also being denied to those people. It is because of urbanisation that the tribal people move out.

With new investment relating to construction of irrigation facility, dams and barrages, a large part of area gets inundated. With the result, they are forced to move out. So, that is the major reason why there is depletion of Scheduled Tribes in the Scheduled Areas, especially Scheduled Area 5 and

Scheduled Area 6. I believe the same issue will also be affecting the Andhra Pradesh and Telangana. Here is a case which I think this House should consider and the Government should also consider that how to protect the indigenous character of our people. How to protect the interests of the people belonging to the Scheduled Tribes? How to protect the political power that is being provided through the reservation to the Scheduled Tribes? That is what is necessary when we are deliberating and extending the period of reservation. It is necessary to extend this reservation for another 10 years, but it is also necessary to ensure that their numbers do not shrink.

Prof. Sougata Ray just now mentioned, while he was deliberating, that today we have a Scheduled Caste population of around 20 crores and a Scheduled Tribe population of around 10 crores. Here a change is happening. When we go through the National Register of Population, we find that at one point of time, during the 1970s, they were concentrated in certain areas. I could say about my State of Odisha. A large number of people belonging to the Scheduled Castes are engaged as agricultural workers. They do not have that much of land-holdings and they are mostly share-croppers. They have been victims of circumstances for years together. In my State, I would name one Schedule Caste community, namely, *Bhoi.* Some 1300 years ago, they were rulers of the State of Odisha. During that period, the maritime activities had flourished which had contacts with Indonesian islands. But they were defeated in different wars and were driven out from the urban areas of that age. Many of them went back to the forests.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have one more Member to speak from your Party. Please keep that in mind.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: They were pauperised and were unable to sustain themselves and subsequently today they are termed as people belonging to the Scheduled Castes. Their number also has increased. Here I am reminded of the affirmative action of the United States of America. The indigenous people of the United States were the actual owners of that country. They were denied justice. They fought against the Europeans of that time and they were deprived of the facilities that they were enjoying. After a civil Government came into existence in that country, they provided affirmative action. That is why we find a large number of African-Americans being in sporting arenas and also in other activities and Ms. Condoleezza Rice is one of the ladies who got the benefit of education. That is the reason why it is necessary that more attempts should be made to provide them with adequate educational facilities. It is only because of a deprivation of opportunity that people belonging to these Castes is suffering from poverty. It is because of deprivation from education that they suffer from poverty. If these two pillars can be strengthened, then the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community can come back to the mainstream and make this nation rich.

Sir, with these words, I support the Bill. I would like to end my speech with a word of caution that what does the Government propose to do relating to

the issue of the Anglo-Indians. Government should not say that it is under consideration. That is a typical bureaucratic usage. I would like to know if the Government is doing it or not doing it. That should be made clear.

Thank you.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 पर अपने विचार तथा बहुजन समाज पार्टी के विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । माननीय सभापति महोदय, सरकार का यह अच्छा कदम है । आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों के लिए हर दस साल के बाद समय-सीमा बढ़ती है । परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी कि हर दस साल के बाद इस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया जाएगा । परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को, चाहे इससे पहले की सरकारें रही हों, उन्होंने भी हर दस वर्ष पर इसे बढ़ाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजनीति में भागीदारी लेने का मौका देने का काम किया ।

जिस तरीके से सरकार आज इस बिल को लेकर आई है, मैं उसका स्वागत करता हूं । केंद्र सरकार द्वारा एससी, एसटी के आरक्षण को फिर से दस वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय का बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने स्वागत किया है । इसी कड़ी में हम भी सरकार के इस जनोपयोगी फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विनम्र अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा कि इस सार्थक कदम का उपयोग यदि एससी, एसटी वर्ग के आरक्षित खाली पड़े पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर एक निश्चित समय सीमा के अंदर भरने का काम करते, तो इस वर्ग के लोगों को न्याय भी मिलता । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में थी । आज के समय में सरकारी विभागों और प्राइवेट सैक्टर में बड़ी तादाद में भर्ती की जा रही है । जिस प्रकार संविधान में यह व्यवस्था थी कि सरकारी विभागों की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, ऐसे ही मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में भी एससी,

एसटी के लोगों को आरक्षण का पूरा-पूरा लाभ मिले, यह मांग भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि एससी, एसटी समाज के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं और यह मानते हैं कि यह समाज भी आपका एक अंग है, तो इस देश की चाहे वह आजादी की बात हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह समाज खड़ा रहना चाहता है ।

16.12 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

महोदया, इस समाज को भी आपका सहयोग चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि इस समाज को देश की मुख्यधारा से जोड़ें, तो इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ इस सरकार को दिलाना चाहिए । मैं एक बात और सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में जिस प्रकार से चाहे वह दलित हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, जो बलात्कार की घटनाएं देश और प्रदेश में हो रही हैं, चाहे वे मेरे उच्च जाति के भाई-बहन हों, चाहे हमारी बहन-बेटियां हों, उनके साथ यदि बलात्कार की घटना घटती है, तो उसका भी मैं विरोध करता हूं और यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ यह घटना घटती है, तो उसका भी मैं घोर विरोध और दुख प्रकट करता हूं । देश और प्रदेश में कहीं उच्च वर्ग की महिला के साथ, उच्च वर्ग के पुरुष के साथ कोई घटना घट जाती है, तो प्रदेश की सरकार उन्हें तुरंत न्याय दिलाने का काम करती है । उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में एप्पल कम्पनी के मैनेजर की हत्या हुई । यह बहुत दुख की घटना है, क्योंकि वह भी हमारे समाज का अंग है, वे भी हमारे भाई हैं और उनके साथ जो घटना घटी, उसके लिए भी मैं दुख प्रकट करता हूं । प्रदेश सरकार ने उनके परिवार में से उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देकर क्लास-वन आफिसर बनाने का काम किया । उसी तरह से अगर प्रदेश और देश में कहीं दलित समाज की महिला के साथ या उच्च जाति वर्ग की महिला के साथ बलात्कार होता है या पुरुष के साथ अत्याचार होता है, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि दलित समाज को भी भागीदारी मिले, उसे भी सरकारी

नौकरी मिले, ऐसी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं । महोदया, देश में 'सबका साथ-सबका विकास' की बात हमारी सरकार करती है ।

माननीय सभापति : गिरीश जी, अभी व्यवस्था की दृष्टि से हर पार्टी से दो सदस्यों को बोलना है । अभी 15-20 माननीय सदस्यों को अपनी बातें कहनी हैं । आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री गिरीश चन्द्र : महोदया, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । महोदया, मैं जानता हूं कि सरकार की मंशा अच्छी है और सरकार चाहती है कि यह समाज भी हमारी बराबरी में आए । मैं सरकार से चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में तो आप आरक्षण लाए हैं, लेकिन प्राइवेट सैक्टर की नौकरियों में आरक्षण देकर इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे । मैं आपको धन्यवाद करते हुए इस बिल पर अपना समर्थन प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Nama Nageswara Rao.

Before you start speaking, I must make it clear to the House that every speaker is going to get not more than three to four minutes, and everyone has to restrict oneself within that.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): माननीय सभापति महोदया, एससी एसटीज के बारे में यह बिल है । इसमें थोड़ा समय दे दें ।

HON. CHAIRPERSON: No, they will not have the second speaker if they exceed the time.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप ही लोगों ने बी.ए.सी. में तय किया है । सैकेंड स्पीकर को नहीं बुलाएंगे । आप पूरा समय ले लीजिए ।

…(व्यवधान)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO: Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019, regarding reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. टी.आर.एस. पार्टी की तरफ से इस बिल का हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं । मगर इसमें माननीय मंत्री जी को फर्दर क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा । आर्टिकल 334 में एससी एसटीज के साथ एंग्लो-इंडियन भी एड करके रखा है । उसके बारे में मंत्री जी क्लेरिफिकेशन दे दें । जो भी है, अभी भारत में लगभग 10 करोड़ एससीज हैं और लगभग 20 करोड़ एसटीज हैं । इंडियन पोपुलेशन में लगभग 25 करोड़ की इनकी पोपुलेशन है । जब हमें आज़ादी मिली तो संविधान के अनुसार उन लोगों को 70 साल तक रिजर्वेशन दिया है । अभी आप लोग फर्दर दस साल के लिए रिजर्वेशन देने के लिए यह बिल लेकर आए हैं जिसका हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है । आप जो रिजर्वेशन 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, उसका हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं । इसी तरीके से तेलंगाना असैम्बली का रिजोल्यूशन पास करके हमारे मुख्य मंत्री के.सी.आर साहब ने केन्द्रीय सरकार को भेजा है । वह भी शैड्यूल कास्ट्स के बारे में है । उस रिजोल्यूशन के प्वाइंट्स को मैं इधर बोलना चाहता हूं:

> "This House supports the policy of categorisation of the Scheduled Castes to ensure equitability, distribution of statutory benefits, as per their population and their relatively backwardness, and resolve to request the Government of India to bring necessary amendment to the Constitution of India to give effects of the same."

यह हम लोगों ने वर्ष 2014 में एससीज की सब कैटेगरीज के लिए तेलंगाना असेम्बली में रिजोल्यूशन पास करके इधर केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है । उसको तुरंत इधर से पास करवा दें । जो एससी एसटीज का रिजर्वेशन है, वह असैम्बली का और लोक सभा का है और साहब,

आप उस समय बाहर गये थे । राज्य सरकार के इश्यू को सब-कैटेगरी ऑफ एससीज के रिजर्वेशन के लिए असेम्बली में रिजोल्यूशन पास करवाकर आपके पास भेजा है । हमने वर्ष 2014 में उसको भेजा है । इस बीच में हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा है । आपको भी पत्र लिखा है । 6 साल से असेम्बली में रिजोल्यूशन पास करवाकर आपके पास भेजा हुआ है । आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा और उसके साथ ही दूसरे रिजर्वेशन ओबीसी और माइनॉरिटी के बारे में भी आपके पास भेजा है । जब आप एससी एसटी के लिए बिल इंट्रोड्यूस करें और जिस तरह से हमारी पार्टी इसको पूरा समर्थन कर रही है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिजोल्यूशन है, जिसे तेलंगाना असैम्बली ने पास करके इधर भेजा है, आप लोग भी उसी तरह से एक्ट करेंगे तो राज्य सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन काफी अच्छी तरह से आगे चलेगा । हमारी पार्टी इस बिल का पूरा समर्थन करती है । धन्यवाद ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity. I would actually like to speak very briefly due to paucity of time. I would like put my points in two parts.The first part is, of course, we support this Bill which talks about reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Assemblies. We support this reservation wholeheartedly. I come from a State which has always led from the front with social change, be it B.R. Ambedkar, be it Sahu Maharaj, be it Mahatma Jyotiba Phule. All Members have talked about the challenges faced by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Actually, the beginning or the sunrise of all these issues started in my State, Maharashtra and a direction was given to bring in social change in the country. So, we wholeheartedly support this Bill.

I do agree with the Minister that this needs to be extended. Inclusion is not bringing people into what already exists. It is making a new space, a better space for everybody and, I think, this whole House realises this that we do need to bring this inclusion. I would like to quote Dr. B.R. Ambedkar here:

> "There is no doubt in my opinion that unless you change your social order, you can achieve very little in the way of progress."

That has happened even in our State, be it MLAs, be it *Zilla Parishad* members, be it *Panchayat Samitis*, the SC/ST reservation has brought in a lot of new leadership. Without this reservation, they would probably have never got an opportunity to come and lead from the front.

But there is only one small issue I would like to bring to the notice of this House and I would like to take ideas and thoughts from everybody about which Mr. Mahtab also talked about. There was a survey about reservations and there is a reply given to an Unstarred Question No. 81 by the Minister of Tribal Affairs on 18.11.2019. The reply says that there is no such survey conducted regarding how reservation has impacted. This is official, I will put it on the Table. I do have concerns on this because the reservation is by rotation. A lot of new leaders do come, they do get an opportunity and once that reservation is removed, those ladies or gentlemen do not get opportunity and they get pushed back. So, is there some way where we can either educate them or bring them from the reserved category to the open category so that they can still work in an organisation and build the nation? I think there are lots of good leaders who come through reservation, but once the reservation goes away, they are lost in the crowd. So, is there something more we can do for such people? It is not something which specifically comes under this legislation. But since you are looking at this reservation, let us look at it in a holistic way where we can keep them included. The whole idea of this Bill is inclusion and I think that is what we need to put our minds to.

I will not repeat any of the points that others have made. We all have data, what is our education system and what challenges we face. But there is one point besides the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, which is of very serious concern to me. All the earlier speakers have mentioned about it. Of course, you being a very eminent lawyer, with your permission and

indulgence, I would like to use a quotation here. This is not for you, but, with your permission, I will quote:

“This is the skill in achieving one’s ends by deceit or by evasion.”

Deceit does not apply to the Minister. If you read the Bill, the Bill does not talk about the Anglo-Indians. But in the Annexure as well as the Statement of Objects and Reasons, it is mentioned. You do not put them on the list, but by not putting them on the list, it is understood. I think Mahtabji very aptly put it that they have been kept out very surreptitiously. It is my personal opinion. I am not a lawyer. I hope the Minister would throw some light on it.

I would like to ask just three quick questions to the hon. Minister. This Government talks with great pride about federalism. They say that they want to empower the States very much and they do not want to keep any power here. My straight question to the hon. Minister is this. Have you asked or consulted the States and also have you consulted the stakeholders? I know I am using a very harsh word. But when we are talking about democracy, does this not sound a little dictatorial that you are taking decisions for States without even consulting them? There are 13 States that need to be consulted. Have you asked them? If you have asked, what are their reservations or what are the ides or thoughts which they have given? If you could kindly put them on the Table of the House, it would be appreciated.

Secondly, I want to ask whether you have consulted the stakeholders. I come from the State of Maharashtra. A lot of people talked about schools. I think Professor Roy talked about the Anglo-Indian schools that they all run. My

own children go to that school. It is one of the top schools in the country and the earlier Chief Minister's daughter was also in that school. We take pride in it. We do not put them there because it is an Anglo-Indian school, but it is a very good school and they run many, many institutes like this all over India. I do not want to go into data because a lot of people have already given the data. So, firstly, why are we doing this? What about the cooperative federalism and what about the stakeholders? Also, one big question which comes to my mind is that yesterday the hon. Home Minister vociferously defended his pain and this Government's support for minorities in other countries which is a wonderful large-hearted attitude. I really respect it, appreciate it and compliment the Government for that. But now when it is our turn to protect our minorities, then you are taking such a harsh way. Is that not a contradiction? So, let us put it all on the Table because if you are reaching out to other people, I ask with full humility and humbly why are you leaving our people out? I am not going to get into the cards, whether it is Muslims, whether it is Christians, I am not going to get into that because for me, humans are humans. Caste is something, race is something that you practice on your own. He is a very eminent lawyer. I know he will always beat us at words, but I would like to request him to clarify this. I whole-heartedly support it and looking forward to put our minds together to see how much more we can empower the SCs and STs in reservation and representation. But definitely the Anglo-Indian issue must be addressed clearly by him to put it on record because if you do not include them, what Mahtab ji said is absolutely right, without saying no it amounts to your shutting

the door on them in a very simple way. So, please do not do that. Everybody has a right to reservation and let us not get into numbers. You could be very small, the smaller the people, the weaker the people, the bigger voice that you give to them is what the Home Minister said yesterday. So, I hope the hon. Minister takes one leaf from yesterday's Home Minister's vision and takes the similar view forward for the minorities in the State.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Madam Chairperson for giving me an opportunity to support this Bill on the one hand and oppose this Bill on the other hand. I support this Bill because of the extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament and State Legislative Assemblies for another ten years. While being jubilant about the extension of period, I am also compelled to ask a few questions directed to the conscience of the House. Why were the reservations granted in the first place? Even when the nation gained Independence from the British, the discrimination against the oppressed classes such as untouchability, harassment, humiliation and lack of access to prosperity and education plagued the nation's oppressed classes. Untouchability has been practiced for more than 3000 years. This tragic condition was left unresolved as caste system and Brahmanism ensured the condition remains deplorable. What happened even after 70 years of Independence despite the following galaxy of Acts in force? The safeguards provided to Scheduled Castes are grouped in the following broad heads: Social safeguards under Article 17, 23, 24 and 25 (2) (b), economic safeguards under Article 23, 24 and 46, educational and cultural safeguards under Article 15(4), political safeguards under Article 243, 330 and 332; service safeguards under Articles 16(4), 16(4A) and 335. The legislations that are in place are: The Protection of Civil Rights Act, 1955; The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Rules thereof; The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes

(Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015; Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016; Acts and regulations in force in different States to prevent alienation of land belonging to SCs/STs.

What is the present situation? I am asking the hon. Minister that as per the latest data available with the National Crime Records Bureau, over the decade, from 2006 to 2016, the crime rate against *Dalits* rose by 25 per cent. From 16.3 per cent crimes per 100,000 *Dalits* reported in 2006, it rose to 20.3 per cent. Similarly, cases pending police investigation for both marginalised groups, SCs and STs, have also risen by 99 per cent and 55 per cent respectively while the pendency in courts has also risen by 50 per cent and 28 per cent respectively. From, 2006 to 2016, the conviction rates for crimes against SCs and STs have fallen by two percentage points and seven percentage points respectively to 26 per cent and 21 per cent. This is a fact. This is the situation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community people in this country.

According to the DoPT Report, even after following the Reservation Policy for so many years, the total strength of the SCs and STs in Grade-I service has barely touched five per cent mark though they constitute 14 per cent and seven present of India's population respectively. Madam, the Government's share in recruitment is only 3.5 per cent of the total jobs available in the country. What is the present situation? The Government is going to privatise all the public sector undertakings. By doing so, who would

be the loser? The losers would be the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. It is because in the private sector, there is no reservation. For the contract labours and outsourcing jobs, there is no reservation. So, now, everybody can see the pathetic living conditions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe community people in the country.

Therefore, the Government should realise the real situation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in this country. Their living conditions are very bad. In regard to social security, the condition of *dalits* is very bad. So, we have to improve the conditions of people belonging to these castes. As there is no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the private sector, nobody from these communities is being given employment there. We see that the performance of the private sector is going up and that of the public sector is coming down. So, who will look after the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?

Madam, different organisations have long been demanding reservation for SCs and STs in the private sector jobs, but it has not been fulfilled yet. Hon. Minister of Law and Justice is present here. I would like to ask him. What is the reservation in the Supreme Court and High Courts? There is no reservation in the Supreme Court and High Courts.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am just concluding, Madam. I am supporting the extension of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people for another 10 years in State Assemblies and Parliament, but at the

same time, I would request the Government that they should take steps to improve the living conditions of the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes community in this country.

With these words, I conclude. Thank you.

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैडम चेयरपर्सन, आपने मुझे The Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं । मैं यशस्वी प्रधान मंत्री और देश के जन नायक श्री नरेन्द्र भाई मोदी तथा हमारे विद्वान विधि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वह इस बिल को लेकर सदन में उपस्थित हुए हैं । मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और अपेक्षा करता हूं कि पूरा सदन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करेगा । संविधान के आर्टिकल 334 के तहत शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स को पार्लियामेंट और विधान सभा में जो रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन को हर दस साल के टेन्योर से बढ़ाया जाता है । यह टेन्योर 25 जनवरी, 2020 को समाप्त होने वाला है, इसलिए हमारी सरकार इस बिल को लाई है । मैं पूरे देश के करीब 30 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पूरे समुदाय की ओर से सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं ।

सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, अभी हमारे साथी ने बताया कि 543 मैम्बर्स में से 84 शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं । इसी प्रकार से विधान सभाओं में भी 614 शेड्यूल्ड कास्ट्स और 554 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं । मगर संविधान के निर्माताओं ने जिस न्याय की परिकल्पना की थी, जिस सामाजिक न्याय की परिकल्पना की थी, 70 साल में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति में कुछ सुधार आया है, मगर ज्यादातर सुधार नहीं आया है । इसीलिए सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं । हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने जब इस बिल को सदन में रखा था तो उस वक्त उन्होंने जो शब्द बोले थे, मैं वे शब्द क्वोट करना चाहता हूं- This Constitutional (Amendment) Bill, will allow extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and assemblies for another 10 years. Our

Government is committed for the cause of SCs and STs. This is not a nomination. I again repeat, this is not a nomination but it is a representation. This is a question of merit.

मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं क्योंकि इसको लेकर सरकार सदन में आयी है । मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जब वर्ष 2014 में सरकार बनी थी, इसी सदन में प्रेज़ीडेंट के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए, अपने संसद के संबोधन में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और आदिवासियों के लिए समर्पित रहेगी । सरकार ने उसको करके दिखाया है । मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उनके हितों के लिए जो किया गया है, मैं वह कहना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार के अंगेस्ट में एक दुष्प्रचार चल रहा है । एक ऐसा दुष्प्रचार चल रहा है कि यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विरोधी है । एक और भी दुष्प्रचार चलता है कि यह सरकार संविधान को बदलना चाहती है । मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समर्पित है और इस बिल को लेकर आने से उसने यह साबित किया है । एट्रोसिटीज़ के बारे में हमारे मित्र सुरेश जी बात कह रहे थे । मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि एट्रोसिटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अंगेस्ट एससी एंड एसटी एक्ट 1989 में बना था । उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी और हमारे मंत्री रामविलास पासवान जी उस बिल को सदन में लेकर आए थे । इसके बाद कई सरकारें रहीं । इसमें 24 प्रकार के अलग-अलग गुनाहों के लिए प्रावधान किए गए थे । मगर वह एक्ट कमजोर था, उसमें टीथ नहीं थे । इस एक्ट को मजबूत करने का कार्य वर्ष 2016 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया । हमारी सरकार इस एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आयी और उसमें करीब 46 अलग-अलग गुनाहों को शामिल किया गया, इसको टीथ प्रदान किए गए थे, इसको मजबूत किया गया । यह काम हमारी नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट

आया और इस एक्ट को कमजोर करने का कार्य किया गया । इस एक्ट को फिर से मजबूत करने के लिए इसी सदन में नरेन्द्र मोदी जी सरकार इसको लेकर आयी और इसको पहले की तरह मजबूत किया । जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो डायलूट हुआ था, उसको पूरी तरह से हमारी सरकार ने कायम किया ।

महोदया, मैं पदोन्नति में आरक्षण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पदोन्नति में आरक्षण, नागराज केस के बाद पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी थी । सालों तक यह रोक रही थी । जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आयी तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया । जब तक संविधान पीठ के द्वारा उसके प्रति कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता है, तब तक पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए । उसके बाद संविधान पीठ ने फैसला दिया और आरक्षण पर जो रोक लगी थी, उसको हटा दिया । यह सरकार के हलफनामे और सरकार के प्रयत्नों से हुआ था । इसके बाद इस सरकार ने डीओपीटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें जो रास्ता बंद था, जो पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता बंद था, उस आरक्षण के रास्ते को खोलने का कार्य इस सरकार ने किया है ।

मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कमेटी का चेयरपर्सन हूं । मैं यह कह सकता हूं कि अभी-अभी डिफेंस में पिछले 11 सालों से 1,200 पद नहीं भरे गए थे । इस सरकार के नोटिफिकेशन के जरिए उनका प्रमोशन किया गया है । उनको डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर लिया गया है । इस सरकार के रहते हुए वह कार्य हुआ है । ऐसा ही सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट में 700 पदों पर प्रमोशन है, जो पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग है, बैंकों में भी इस सरकार का जो नोटिफिकेशन है, उसकी वजह से आज प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है । मैं इस सरकार की एक बात यूजीसी के बारे में कहूंगा । यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पहले एक ऐसा नियम था कि इसमें जो यूनिट थी, उस यूनिट को यूनिवर्सिटी से जाना जाता था । किसी ने उसको इलाहाबाद कोर्ट में चैलेंज किया और उसको यूनिट की जगह विभाग, यानी सब्जेक्ट में लाया गया था । जो 200 पाइंट का रोस्टर था, वह रोस्टर 13 पाइंट का बनकर समाप्त हुआ था । यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार थी । उन्होंने

उसको कोर्ट में चैलेंज किया था । सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजैक्ट कर दिया था । मगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने चुनाव के पहले ही अध्यादेश लाकर यूजीसी में 200 पाइंट रोस्टर को बरकरार रखने का कार्य किया है, वह हमारी सरकार ने किया है । मैं इसके लिए अपनी सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।…(व्यवधान) महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ।

कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम स्पीकर थे, वह यहां पर बोलने के लिए खड़े हुए थे । मुझे उनके बोलने पर बहुत पीड़ा हुई है । जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह बिल लेकर आए थे, उन्होंने अपने पूरे भाषण में सिर्फ एक ही वाक्य बोला है कि मैं एससी/एसटी बिल का समर्थन करता हूं । मगर उनका पूरा भाषण सिर्फ एंग्लो इंडियन पर रहा है । मैं उनकी कद्र करता हूं और हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी ने अभी-अभी बोला है कि it is under consideration. मगर कांग्रेस पार्टी के दिल में दलितों के प्रति क्या बात है, वह उनके पहले वक्ता के भाषण से पता चलता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं । उनको हर जगह पर कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का कार्य किया है । अगर उनको सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, तो वह हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है । दिल्ली में बाबा साहेब का कोई भी स्मारक नहीं था । दिल्ली में 15 जनपद पर करीबन 250 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल मेमोरियल बनाया गया है । वह हमारी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है । 26 अलीपुर रोड, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी । मैं आज हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं । उन्होंने अपनी सरकार में, वह निजी प्रापर्टी थी, उसको खरीदकर वहां पर एक स्मारक बनाने का संकल्प किया था ।…(व्यवधान)उसके बाद यूपीए वन आई, यूपीए टू आई, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ था । श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वहां पर बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया है । यह कार्य हमारी सरकार ने किया है ।…(व्यवधान)

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Thank you, Madam, Chairperson. I am supporting the first portion of the Bill that is, extending the period of reservation for 10 years, that is up to 2030, for the SC and ST community in employment, in the Parliament, in the Assemblies and in the local bodies. But I oppose the move to end reservation or representation of the Anglo-Indian community in the Parliament.

Since the Anglo-Indians did not have their own State, and they were too small or a geographically spread out minority to get elected – therefore they represent community interests in the Parliament or in the State Assemblies – they needed reserved seats. It is a kind of vendetta against a peace-loving and religious community with reasons unknown. The claim of Modi *ji*'s Government for this sinister move seems to be that the community is now well off and no special rights as envisaged in the Constitution need to be continued. This assumption is totally contrary to the objectives and the reality.

We know there are still some families living below the poverty line. The recent floods also sabotaged the dreams of many Anglo-Indian people residing in the coastal areas of Tamil Nadu and Kerala. So, I strongly register my request with the Government and the Minister and urge them to extend the reservation for another 10 years to the Anglo-Indian community also. Our hon. Minister very cleverly says that they have not mentioned a single word in this Bill regarding the Anglo-Indian people. But that itself shows that the reservation provided for them will automatically lapse. So, through you, Madam, I request

the hon. Minister to consider this. The Minister should add a provision in the same Bill to extend the reservation for another 10 years to the Anglo-Indian people. Thank you.

*__SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM) :__ Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. As per article 334 of the Constitution, the Committee of Constitution headed by Dr. B.R. Ambedkar provided reservation to the Scheduled castes and Tribes of the Republic of India, knowing their backwardness educationally, economically and lacking in employment opportunities, This Bill has been brought here to extend the reservation for another ten years from 25th January, 2020 onwards. I, on behalf of Communist Party of India, welcome this Bill. At the same time I want to request through this august House that the reservation given to Anglo-Indian community should also be restored. This Government and the Minister should take necessary action for restoring that reservation to that community. As per the Constitution this reservation has been extended for the upliftment of such persons in their life. It still remains a question whether they have been uplifted. Even today there are not so many employment opportunities available for them. At the time when PSUs are being privatized by way of disinvestment, social justice can be achieved only by giving reservation in private sector also. The Government should act in this regard. Persons belonging to Scheduled Caste should be educated to get upliftment in the society. Only then they can get equality of status in the society. It should be ensured that SCs and STs get additional education and employment opportunities. Even today, in some villages, people belonging to SCs are being ostracized. They do not have a graveyard. Even

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

they do not have a way to reach that graveyard. They are forced to walk through farm fields to reach graveyards. This is the pathetic situation that prevails in the country. This should be changed. In Tamil Nadu, When Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, he implemented a Scheme called Samathuvapuram, where people belonging to all communities lived together. He also implemented a scheme of making people of all castes to become priests of temples across the State of Tamil Nadu. Through these schemes social justice was achieved in Tamil Nadu. But whether there is social justice throughout the country. That is my question? Whether all people of all castes are getting equality or equal status in society?

That is my question. In several places, we see separate places earmarked for bathing for persons belonging to different castes. There are different places for lifting drinking water for different castes. Even today we face untouchability in different places of our country. We can protect equality of status only by stopping all these things. Equality should be provided so as to get benefit from the Constitution brought by Dr. B.R.Ambedkar. There should be social justice. People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be educated, and provided employment opportunities. Only when the dreams of Dr. Babasaheb Ambedkar will come true in providing equal status to all. I partly support the Bill and partly oppose the Bill. I conclude by saying that the Anglo-Indian community should continue to get reservation and the Government should ensure this. Thank you.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदया, धन्यवाद । आपने मुझे 126वें संविधान संशोधन विधेयक, जो इस उद्देश्य से लाया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए हमारे राज्यों की विधान सभाओं में और हमारे देश की लोक सभा में जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसकी अवधि को दस वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाए । इसके समर्थन में, मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ । इस बिल को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अपनी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ ।

आज के इस अवसर पर अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, मैं सबसे पहले छत्रपति शाहू जी महाराज का स्मरण करना चाहती हूँ, जिन्हें हम आरक्षण के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न-डे रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं और जिन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण की नींव रखी थी । 26 जुलाई, 1902 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने राज्य कोल्हापुर के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में वंचित वर्गों के लिए और विशेष तौर से अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज के लोगों के लिए उन्होंने 50 प्रतिशत की भागीदारी का प्रावधान किया था ।

मैं आज इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी स्मरण करना चाहती हूं, जिन्होंने इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आज़ादी से पहले एक पृथक निर्वाचन की बात की थी । बाद में हमारे देश और राज्यों की लेजिस्लेचर्स के अंदर उनके लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था । उस वक्त यह प्रावधान 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, क्योंकि हमारे तमाम संविधान निर्माताओं और बौद्धिक वर्गों के लोगों का यह मानना था कि दस वर्ष में अनुसूचित जाति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के सात दशक बाद भी, जिस तरीके का परिवर्तन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में आना चाहिए, वह नहीं आ पाया है । महोदया, आज भी हम अनुसूचित

जाति/जनजाति के लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पा रहे हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है । सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का जो बैकलॉग है, वह तमाम स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है ।

वर्ष 2018 में नेशनल क्राइम रिकाड्‌र्स ब्यूरो ने कुछ आँकड़े जारी किए । वर्ष 2007 से 2017 के बीच 10 वर्ष की अवधि में इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि देश के अंदर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है । यह वृद्धि 66 प्रतिशत की है । हर दिन देश के किसी कोने में इन वर्गों की हमारी बेटियों को कहीं न कहीं दुष्कर्म की घटना का शिकार होना पड़ता है । हमारे देश के अंदर जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर भी आज हम इतना स्वच्छ वातावरण कायम नहीं कर पाए हैं कि एससी/एसटी समाज के जो बच्चे इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं, अक्सर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमेशन के कारण उनके स्यूसाइड की, उनकी प्रताड़ना की खबरें अखबारों में प्रकाशित होती हैं । हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर ही कोई एससी/एसटी समाज का आदमी शायद ही हो । इसलिए हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी एससी/एसटी को बनने का मौका मिलेगा ।

इन वर्गों से आने वाले बच्चे इतने होनहार हैं कि अपने जीवन की तमाम चुनौतियों और विषमताओं के बावजूद आज तमाम राज्यों की नौकरियों में इन्हें जो कट ऑफ अंक है, वह सामान्य वर्ग के बच्चों से ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं । मैं दिल्ली राज्य का एक उदाहरण देना चाहूंगी । यहां सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति में पाया कि जो हमारे Scheduled कास्ट्स के बच्चे हैं, उनका कट ऑफ 85.4 था और जनरल कास्ट के बच्चों का कट ऑफ 80.9 परसेंट रहा, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । जाहिर तौर पर ऐसी परिस्थितियों में इनके साथ न्याय करने के लिए जरूरी है कि इन्हें राजनीतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए । देश की संसद में और विधान सभाओं में इनकी सीटों को आरक्षित करके

इनकी आवाज को मजबूती से हम सरकारों तक पहुँचाने का काम करें । इसलिए आज जो यह बिल लाया गया है, इससे 10 वर्षों के लिए इस आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिससे 131 लोक सभा की और 527 विधान सभाओं की सीटें पुन: आरक्षित हो जाएंगी । इस वर्ग के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है । इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन और स्वागत करती हूँ ।

मैं एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगी कि एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहती कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़े 296 हैं, लेकिन हमारे जो संसद सदस्य हैं, जो हमेशा जनता के बीच में काम करते रहते हैं, उनके अनुसार उनकी संख्या लाखों में है । मैं मेरी बहन सुप्रिया सुले जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वर्ग जितना छोटा होता है, उसकी आवाज उतनी मजबूत होनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जरूर आग्रह करूँगी कि एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी का जो प्रतिनिधित्व है, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान के लागू होने के साथ की गई थी, हमारी सरकार उसको भी आगे बढ़ाने पर विचार करे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ । भारत देश के संविधान के जनक डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के उपबंध में लोक सभा एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है । संसद द्वारा अगर इस आरक्षण का विस्तार नहीं किया गया, तो 25 जनवरी 2020 को यह आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी । इसलिए संविधान 126वाँ संशोधन विधेयक, 2019 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हित को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी के द्वारा लाया गया है, जिसका हम पूरे दिल से समर्थन करते हैं । आज लोक सभा की 543 सीटों में से 84 सीटें एस.सी. कम्युनिटी और 47 सीटें एस.टी. कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं । देश भर की सभी राज्य विधान सभाओं में 614 सीटें एस.सी. कम्युनिटी और 554 सीटें एस.टी. कम्युनिटी के लिए आरक्षित हैं ।

महोदया, आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, जो बहुत जरूरी हैं । एक लोक प्रतिनिधि लोक सभा या विधान सभा से चुनकर आते हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं देने का उन्हें अवसर मिलता है और इसीलिए यह बिल बहुत जरूरी है । आज हमारी सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति, प्रगति के लिए, जैसे घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए बनाई गई हैं । महोदया, भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण व्यवस्था है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ । इसके साथ-साथ मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिसके द्वारा सबसे ज्यादा महिला सांसदों को इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर मिला है । यह गर्व की बात है कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की महिलाएँ भी बड़ी संख्या में लोक सभा और विधान सभाओं में चुनकर आ रही हैं और काम कर रही हैं । मैं यही कहना चाहूँगी कि यह शान है, यह मान है, भारत का यह सम्मान है,

यही मेरा अभिमान है, यह मेरा संविधान है । इस संविधान के जनक डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो यह हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति, उन्नति के लिए आरक्षण दिया, उस आरक्षण को हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी और माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने 10 साल, यानी 25 जनवरी, 2030 तक इस बिल के माध्यम से बढ़ाया है । मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ ।

महोदया, मैं आपकी परमीशन से मराठी में दो लाइन कहना चाहूँगी । अंत में, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए तथा उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए और साथ ही उन सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए यह आरक्षण बहुत ही जरूरी है । मैं पुन: आपका धन्यवाद करती हूँ । धन्यवाद ।

<u>17.00 hrs</u>

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran, before you start I must announce that we have ten more Members to speak. We can allow only three minutes each. Do not make me ring the bell.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): This is a Constitutional Amendment.

HON. CHAIRPERSON: But that is the time that has been decided. That is why I chose to make an announcement before you start. So, only three minutes will be allowed for every Member hereafter. Every Party has taken more time than allotted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, you are giving me advance warning. I need not speak at all if you are so stringent.

HON. CHAIRPERSON: What do I do? It is your instructions only. The Business Advisory Committee has chosen to give certain time for discussing the Bill. What do I do?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Only for me such a stringent warning is being given even before I start. It is quite unfortunate. I rise to support the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019 partly. I fully support the extension of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for a further period of ten years. Even ten years is not sufficient as far as the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are concerned. Even after 70 years of our Independence and even after providing reservation for 70 years, the political participation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in

the mainstream has not been significant. So, definitely I support the Government in bringing such a legislation for extending the term of reservation to a further period of ten years, that is 80 years. I fully support it. At the same time, I strongly oppose the second part of the Bill. That is, taking away the reservation meant for the Anglo-Indians in the House of People as well as in the Legislative Assemblies. I will come to the factual position later.

I would like to take up legal drafting first. Kindly permit me to substantiate my point. Hon. Minister himself is an eminent lawyer. We all are aware of that fact. Hon. Minister, kindly see the legal drafting. Four articles are involved in this. They are articles 330, 331, 332 and 334. So, this is having impact on four articles of the Constitution. You kindly see how shabbily it has been drafted by the Legislative Department. You please see that. It will take a little bit of your time. Kindly bear with me Madam. It is highly technical. This shall not be allowed also. As far as legal drafting is concerned, it should be legible, specific and unambiguous. This is ambiguous, confusing and non-legible.

Madam, if you have a copy of the Bill, kindly see. You are also an eminent lawyer. In the Bill after clauses (a) and (b) it is mentioned, “shall cease to have effect on the expiration of a period of seventy years from the commencement of this Constitution”. That ‘seventy years’ is replaced by ‘eighty years’. I fully agree with that. But at the same time you are saying that it is not applicable to clause (b) but still that expression ‘seventy years’ remains. Where will it remain? Of course, I can very well understand the meaning of it.

But as far as the legislative drafting is concerned, there is no such provision. Clause (b) is there. In clause (b) there is no 'seventy years'. But you are saying that 'seventy years' will remain in clause (b). But at the same time it will be 'eighty years' as far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned.

Coming to the facts regarding the Anglo-Indian community in the country, my learned friend Shri Hibi Eden and almost all other hon. Members who spoke have already mentioned this point. The Government's stand is that this community is doing well and hence does not require reservation in the legislatures. This is against the facts reported in various studies and Reports of the Government. The Ministry of Minority Affairs had conducted a study in the year 2013 and that Report is there. I am not going to read the contents of the Report. It is observed that amongst the various challenges and problems being faced by the members of the Anglo-Indian community in India, the most significant ones are related to identity crisis, lack of employment, educational backwardness, lack of proper facilities and cultural erosion. These are the findings reported by the fact-finding mission appointed by the Ministry of Minority Affairs in the year 2013. That Report is before the Government. When such a Report is there, how can the Government say that the Anglo-Indian community's economic and social position has improved and, therefore, reservation in the House of People as well as in the Assemblies not required? There is no logical reasoning for this. As Madam Supriya Sule rightly

mentioned, yesterday we discussed about the exclusion of a particular community from the list of people who are entitled for the citizenship.

Today, we are giving extension of reservation for 10 years to SC and ST people. We fully agree with this. But at the same time, kindly review the position that reservation should also be extended to Anglo-India community in the House of People as well as in the State Assemblies. With these words, I conclude. Thank you very much, Madam.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Madam for this opportunity. On behalf of AIADMK Party, I welcome this Constitution (126th Amendment) Bill, 2019 which has been brought by the Government with a view to retaining the sensible and moderate spirit, as envisioned by Dr. B.R. Ambedkar, the Father of Indian Constitution. In my view, by significantly amending the Constitution Bill, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has proved that his NDA Government is not against the reservation policy and is always working for the poor and downtrodden people hailing from marginalised section of the society.

On the occasion of the World Human Rights Day, it is my pleasure to congratulate the hon. Minister of Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, who has tabled this Bill significantly to recognise and empower the civil and political rights of Scheduled communities both in Parliament and State Assemblies. While appreciating the efforts of the Government, I would like to take this opportunity to urge the Government to ensure the effective implementation of reservation quota in higher education, employment and faculties in the institutions of higher studies. In particular, faculty positions for reserved candidates in higher institutions like IIT, IIMs have not been filled adequately.

According to provisions in the Constitution, all Government institutions are mandated to provide 15 per cent reservation for Scheduled Castes, 7.5 per cent for Scheduled Tribes and 27 per cent for Other Backward Classes. As per the data provided by the Government, SCs, STs and OBCs together made up

just 9 per cent of total faculty in IITs and 6 per cent in IIMs. Such kind of discrimination prevails in other segments also like job opportunities, promotions, private sector etc.

Therefore, I request the hon. Minister that the Committee on Welfare of SC/ST consisting of Members of Lok Sabha and Rajya Sabha may be provided by respective departments about the steps taken to ensure reservation quota in education from the primary to higher level as well as in employment and promotion level. The reservation which has been successfully implemented in Lok Sabha and State Assemblies should also be followed in all fields so as to retain the strong structure of democracy of our country. With that hope, I support the Bill. Thank you, Madam.

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): सभापति महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज मुझे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान (126वां संशोधन) विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। महोदया, नि:संदेह दयनीय जीवनयापन करने वाले एससी/एसटी समुदाय के लिए यह विधेयक वरदान है। चूंकि यह सत्य है कि हमारे देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में 70 वर्ष के लिए, यानी 25 जनवरी, 2020 तक आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई थी। वैसे तो यह संवैधानिक परंपरा की तरह चली आ रही है, लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में इसका खास महत्व इसलिए है, क्योंकि लोग भाजपा को अक्सर एससी/एसटी विरोधी बताने का काम करते रहे हैं। यहां तक इस बिल के आने के पूर्व भी लोग चर्चा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एससी/एसटी के आरक्षण को खत्म करने जा रही है। आज का दिन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को मर्यादा और गौरवपूर्ण जीवनयापन का अधिकार है और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन यह बिल लाकर यह साबित कर दिया कि इस देश के प्रधान मंत्री किसी के अधिकारों को छीनने का काम नहीं करते हैं।

पिछले 70 वर्षों से मिल रहा आरक्षण समाप्त होने को था। धन्यवाद है माननीय प्रधान मंत्री जी का, धन्यवाद है माननीय कैबिनेट का, जिन्होंने उस दबे-कुचले, शोषित-वंचित समाज को ऊपर उठने का एक और अवसर दिया है। सरकार ने एससी, एसटी आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, वह न जाने कितने लाख परिवारों के लिए अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते हए कदम की तरह है। जनवरी, 2020 में खत्म हो रहे एससी, एसटी आरक्षण को वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। दलितों, पिछड़ों, शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले राजनैतिक परिवार से हूं और स्वयं वंचित समाज में आने वाले छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। समय-समय पर मुझे उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों के बीच में रहने, खाने-पीने और उनके सुख-दु:ख को नजदीक से देखने का अवसर मिला है। इस समुदाय और उनके हालातों को देखकर,

शिक्षा व्यवस्था को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर, सरकारी नौकरियों में भागीदारी को देखकर, उनकी महिलाओं की विपन्नता भरी सोच को देखकर लगता है कि वाकई अभी यह समुदाय बहुत पीछे है। भारत जैसे विकासशील देश में जब तक दबे-कुचले लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक उनकी सोच में बदलाव संभव नहीं है।

जब किसी के बारे में व्यक्तिगत, जातिगत, समुदाय को इंगित कर अपशब्द बोले जाएं या कटाक्ष किया जाए तो साधारण सी बात है कि ठेस लगेगी। यह सिर्फ ठेस लगने तक ही सीमित नहीं है। यह किसी समुदाय के विकास को रोकने का, उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का काम है। महोदया, मैं आभारी हूं भारत के बहुआयामी दूरदर्शी, 'सबका साथ, सबका विकास' जैसी सोच रखने वाले आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, जो सफलता के इस मार्ग को निरंतर करने की भूमिका में स्वयं ईश्वर का दूत बन कर आए हैं। यह बात केवल आरक्षण की ही नहीं, बल्कि यह मामला जाति-वर्ण से लगकर उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जाति आधारित समाज हमारे देश की नींव को खोखला करता है। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि भारत जाति-वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर सोचे और विकास के मार्ग पर चले। महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगी।

"शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाया संविधान ने
बुरे दिन को छोड़कर जीना सिखाया संविधान ने
दीपक जला समभाव का, सम्मान का, स्वाभिमान का
ऐसे अच्छे दिन का रास्ता दिखलाया संविधान ने।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Ravikumar, you have not given any notice that you will be speaking in Tamil. So, you may speak either in Hindi or English. You are allowed to speak in English or Hindi. You may also speak later if you want to speak in Tamil.

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Madam, I will speak in English. I want to raise some points. When the Government extends the benefits to the people belonging to SC and ST, the Government also has to increase the number of their representatives both in the State Assemblies and in the Lok Sabha. Reservation to SC/ST people is linked to the census figures. Reservation was to be given on the basis of the 2011 Census. However, the Government had decided that delimitation will be done in the year 2025. So, based on that decision of the Government, SC/ST people are denied their due share of about 16 seats in Lok Sabha for 20 years. This is a grave injustice. I, therefore, request the hon. Minister to conduct delimitation after every ten years.

I would also request the Government to extend reservation to SC/STs in the upper Houses of all legislatures. There is no reservation for SC/STs now in Rajya Sabha and in the Upper Houses of State legislatures. Only seven to eight per cent of the Members in Rajya Sabha are from SC/ST communities. Without reservation for them, we cannot achieve equality in Upper Houses. So, I request the Government to extend the reservation to Upper Houses also.

At this juncture, I want to mention that the reservation method we are now following is not the one proposed by Dr. Ambedkar. After the Poona Pact, the reservation system introduced by the Government was of Dual Member Constituencies. During the British Rule and for two elections

After Independence, we practised the system of Two-Member Constituencies. Only after the defeat of hon. V.V. Giri in the Parvathipuram Constituency in 1957, the then Congress Government introduced the present reservation method. I request the hon. Minister to reintroduce the Dual Member Constituency system.

Thank you.

*__SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA):__ Thank you respected Chairperson Madam for giving me the opportunity to speak on the Constitution (126th Amendment) Bill 2019. Our Hon. Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji is an experienced Minister and I have some requests to make to him. Efforts are being made for the last 70 years for the development of the SCs and STs, and it will continue probably for the next 70 years. Sir, kindly see to the fact that the funds which are allocated for their development are utilized properly, and if not, then some legal provisions should be in place to tackle the problem. This is my request to you. Dr. Babasaheb Ambedkar had a dream, an ideology. Whatever has been enshrined in the Constitution has still not become a reality. It is very unfortunate. There is a saying that the person whom you suppress will pull you down, the one whom you have left behind, will pull you back. If we are not able to ensure development of the SC-ST, OBC communities, the country will never progress. India will never be able to occupy the prime position in the world unless we are able to uplift their lot. I just want to tell you that education brings enlightenment which in turn leads to revolution. We need to spread education amongst these SC-ST communities. Hon. Minister Sir, if you really go into the conditions of the government schemes and programmes, you will feel sorry. The money which has been earmarked for paying stipend or scholarship to the SC-ST communities is highly inadequate; it is only a drop in the ocean. We can easily

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

enhance the amount of stipend for the SC-ST students and this is the need of the hour. We have to implement all good schemes which are there for these people. Do you realize what you say? You are only shouting I appeal to the Hon. Minister to enhance the amount of stipend.

HON. CHAIRPERSON: No five minutes, only three minutes.

[*]**SHRI SUNIL KUMAR MONDAL:** Moreover Sir, there is reservation facility in the Government sector but there is no reservation in the private sector. I request you to extend reservation to the private sector as well. The SC-ST students are almost always deprived. Kindly do something for them. Kindly help them in moving ahead. Thank you Sir.

[*] English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019. This Bill is a very important Bill as the speakers who have spoken before me have also mentioned. For thousands of years, the supressed, the down-trodden, and the impoverished have been given the rights of equal opportunity and also equal social standards through Article 334, as envisioned by the great Baba Saheb Ambedkar. It definitely needs an extension and I would like to thank the hon. Law Minister, Ravi Shankar Prasad Ji for doing the right thing by extending it for further ten years. But it is also a time to introspect. Have we done enough?

For the last 70 years, there have been reservations in areas like, education, employment, and also in the political sphere. But some problems are still prevailing and which we are still able to see in the society. One example that is very common is, during the times of delimitation, when certain areas become reserved for the SCs/STs, there are certain leaders who come up. But the same delimitation, when it happens again and the SC/ST reservation is taken away from there, those people cannot contest from there. That exposes the social divide that is still existing in the society of today. How do we cover this? That is a big question that we have to face today. And one of the important spheres for that is to provide proper jobs, provide good education and proper health care to the SC and ST communities, which already the hon. Members have also mentioned. So, definitely, the Central Government has to think about how to provide jobs.

Madam, right now, if you see, 98 per cent of the job sector is in the private sector in the country today. So, how do we extend the reservation towards the private sector is something that the Central Government has to think of. You have to bridge the gap and provide them equal opportunities in these spheres. Madam, in education sector also, there is a lot of difference when you compare the Government institutions and the private institutions. There is definitely a visible divide that is being seen in the quality of education. And when you want to bring the youth of the SCs and STs on par with people who are studying in private educations, then, definitely, there needs to be an improvement in the standards of the Government education and also in terms of health care that is being provided to them. So, definitely, equal opportunity comes with equal opportunities in jobs, equal opportunities in health care and education. That is very very important.

I want to mention one more thing to the hon. Minister regarding the Anglo-Indian issue that is being raised. Definitely, there seems to be a confusion what the Minister is saying and what the Bill says. There is a clear confusion there. On behalf of TDP, we would like to request that the reservation towards the Anglo-Indian should also be extended. It is the democratic obligation of each and every one of us, at least, in this House where we hear the voices of each and every minority of this country. Let it be one or one lakh people, definitely, there need to be a representation and let this reservation be continued.

Thank you very much.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to stand here to put forth our Party YSRCP's views on the Constitution (One Hundred and Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019. Madam, I feel proud today to stand here from Amalapuram constituency of Andhra Pradesh, which is a reserved constituency with more than 4 lakh major population of SCs and STs, where we can still see people who are socially and economically backward in all walks of life. The presence of such a reservation for the past 70 years has brought to the front the challenges faced by those backward communities and has helped Parliamentarians over the years in bringing sensitivity towards SCs and STs in different legislations. It is thus not a point of contention that the reservation of seats for SCs and STs has fulfilled a vital welfare objective in our democracy. That is why I am here today in this temple of democracy with the grace of Dr. B.R. Ambedkar.

17.26 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, the reservation for SCs and STs is often linked with economic reservations. This is only to mitigate the sufferings continued for ages socially, though the reservations are intended to improve the social stigma and social backwardness. No doubt the reservation as an act of affirmation has indeed helped the community in reaching certain positions in the Government in various departments. However, the backwardness is still continuing with reference to the age-old practices. The reservation should continue until the social inequality is totally removed from the society. Besides implementation of this reservation for SCs and STs, there are also instances where there has

been misuse of reservations in many sectors and institutions where officers with fake certificates are still serving. There should be strict laws in this regard. Moreover, funds like the SC-ST sub-plan fund are also being diverted unofficially. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the backlog posts pending throughout the county for many years. I would request him to issue directions to the concerned departments to fill up all the posts immediately. When such kinds of practices are eradicated, these communities would surely be empowered and the leaders will themselves ask for revocation of such reservation. Then we shall know it is the time. Till then, it is the duty of this House and the Government to extend such reservation for SCs and STs.

On a side note, I request everybody in this House to pay attention to the life-changing event in regard to backward classes and women in my State. The hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy has brought about a law providing 50 per cent reservation for SCs, STs, BCs and minorities in all the nominated posts as well as 50 per cent reservation for women of all communities in corporations, temple committees, agricultural market committees and all other nominated posts available at the State level. For the first time since the Independence, our leader is bringing the much-needed empowerment and equality with dignity to the SCs and STs. I request all the political parties in this House to bring about the same change in the entire country. In fact, for the first time in 70 years, we are seeing SCs, STs, BCs and minorities occupying political and non-political nominated positions which was never heard before, empowering the stature of the so-called backward classes.

On behalf of YSR Congress Party and on my own behalf, I appreciate the act of the Government for extending the reservation for the next 10 years. Finally, I want to conclude in Telugu: *Badugu balahina vargala asha jyoti Dr. B.R. Ambedkar vardhillali*. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं माननीय मंत्री जी को जवाब के लिए कहूंगा, इसलिए माननीय सदस्य अपनी बात केवल दो मिनट में खत्म करें।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Hon. Speaker Sir, I welcome the Constitution Amendment Bill brought before this august House to further extend the tenure of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Parliament of India and in the Legislative Assemblies in the States.

The Constitution of India mandates the special provision for reservation of SCs and STs in the Parliament of India and in the Legislative Assemblies in the States. When the Constitution was enacted in 1950, the reservations were to cease after ten years. However, having regard to the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Constitution has been amended from time to time, and the period of ten years has been extended to 20 years, then to 30 years, then to 40 years, and then to 50 years. It was later provided that reservation will cease after 60 years, i.e., after 2010 as per the 79th Amendment Act, 1999. Then, once again, the Constitution was amended vide the 95th Amendment Act, 2009, whereby the reservation will cease after 70 years. If the provisions would not extend further, SC and ST reservation for political representation in Parliament and State Assemblies will cease to exist on the 25th January, 2020. We all know the history of exploitation and struggle of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कई माननीय सदस्यगण सदन में खड़े रहते हैं। मैं आज फिर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको बात करनी है तो बैठकर बात कर लें, सदन में खड़े होकर बात न करें।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI: In terms of education, economic development, and mobility in other aspects, we have moved up. The economic and living conditions have experienced changes during the phase of accelerated growth but when it comes to elimination of caste-based discrimination, a lot of efforts are required to make it a reality. As Legislators and as people's representatives, it is also our moral duty to contribute towards creating a casteless society in India. Political representation is an important aspect of empowerment. The information that I have – please correct me if I am wrong – is that at present there are 84 Members from the Scheduled Caste and 47 from the Scheduled Tribe communities in Parliament; in the State Assemblies across India, there are only 614 SC Members and 554 ST Members. Therefore, in order to give a proper representation to this community, extending the provisions of reservation is a necessity. There are strong arguments suggesting that it is in the interest of society to improve the political participation of historically disadvantaged minority groups; this is not only necessary politically but also for economic development.

Our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaikji is consistently working to build an inclusive society. The welfare measures taken by him are benefiting more than 4.5 crore people in Odisha. Recently, our hon. Chief Minister has launched Mission Suvidya that will ensure the quality of amenities for scheduled category students residing in hostels of the Scheduled Tribes and Scheduled Caste Development Department. Coming back to the provisions of the Bill, I have already said that it was a necessity to extend the Constitutional

provisions. Since the Bill is not only in the larger interest of the SC and ST communities but also in the national interest, I on behalf of the Biju Janata Dal, support this Bill.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिला है, जबकि मैं सुबह से ही इंतजार कर रही थी । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 यहां पेश हुआ है, तहेदिल से मैं इसका समर्थन करती हूं। साथ ही, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जब अटल जी के शासन काल में समय वृद्धि के लिए यह बिल आया था, उस समय भी मैं इसमें वक्ता थी और उस समय भी मैंने अपनी बात रखी थी। इसलिए मेरा मन था कि जब इतना महत्वपूर्ण काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो उसमें क्यों न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग और इन क्षेत्रों की भी बात आए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह चाहती हूं कि यह समाज मुख्यधारा में जुड़े और इसे संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण लाभ मिले। कांग्रेस के लम्बे शासन काल में इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा गया है। वोट बैंक की राजनीति ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जल, जंगल और जमीन के अभावग्रस्त, रूखे-सूखे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में जब जर्जर देह लेकर एसटी का व्यक्ति काम करता है तो केवल कांग्रेस ने उसको वोट बैंक माना है। आज जब हमारा सम्मान बढ़ रहा है, जब संवैधानिक व्यवस्था में हमें अधिकार के लिए संरक्षित किया जा रहा है, तो मेरी दो पंक्तियां आपको जरूर सुननी पड़ेंगी। जिस समय ये पंक्तियां कही गईं, वह साठ से पहले का दशक था।

"क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे,
क्या देखे हैं तुमने उनकी आखों के खारे फव्वारे,
क्या देखा है, देखा है, फिर भी कहते हो नहीं हैं विप्लवकारी,
लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन देखा तुमने नर को,
उस दिन सोचा क्यों न लगा दें, आज आग हम दुनिया भर को।"

ये पंक्तियां उस समय की हैं लेकिन आज भी चरितार्थ हो रही हैं। जितने वक्ता बोले हैं, वे बड़े-बड़े घरानों के बोले हैं, लेकिन एससी, एसटी के पास बड़े-बड़े कलकारखाने नहीं हैं और न ही

उनके पास व्यवसाय का कोई प्रमुख साधन है। वे छोटे-छोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। दो परसेंट यदि हमारे लोग उच्च नौकरियों में आ गए, तो आंख की किरकिरी बन गए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहती हूं कि आजादी के बाद के इस लम्बे कार्यकाल में जिस तरह से यह काम हुआ, यह बहुत अच्छी बात है। मैंने उस समय भी दो पंक्तियां बोली थीं –

"अटका कहां स्वराज्य, कांग्रेस तू क्या कहती है
तू वैभव बन गई, वेदना एससी, एसटी क्यों सहती है।"

महोदय, यह बात मैंने उस समय भी कही थी और आज भी कहना चाहती हूं। वनवासी कल्याण परिषद् के माध्यम से, एकलव्य शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से वन उपजों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों ने, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने मिलकर हमारा उत्थान किया और उस उत्थान की वजह से ही आज हम इस स्थिति में हैं। पिछड़ों को ऊपर उठाना, भारत के मस्तक पर सुनहरा तिलक लगाना हमारी विचारधारा के लोगों का काम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं। हमें डर है राजस्थान के अंदर कुछ प्रांतों में, केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश आदि कुछ प्रांतों को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस द्वारा एक प्रचार क्रीमी लेयर का चलाया जा रहा है और कुछ प्रचार जातियों को अलग करने का चलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए Mina और Meena लेकिन हिंदी में 'मीना' ही लिखा जाता है। इस भ्रम को पैदा करके राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हमारी एसटी की बहुत सारी सीटें हासिल कर ली हैं। मैं इस भ्रम को दूर करने का भी आपसे निवेदन करना चाहूंगी। आप संवैधानिक व्यवस्था में इस शब्द को क्लीयर कर दें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अब जो हमारी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मैं पहली बार एक महिला भारतीय जनता पार्टी की 1999 में जीत कर आई थी। उस समय भी यह प्रचार किया गया कि यदि यह संसद में जाएगी, तो नि:संदेह आरक्षण को हटा देगी। आज जब मुझे दोबारा 15 साल बाद यहां आने का सम्मान दिया, तब भी यही प्रचार कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आपका संरक्षण चाहती हूं और यह भी कहूंगी कि मैं जिस जाति में पैदा हुई हूं, उस जाति के लिए

आज भी कांग्रेस में जहर घुला हुआ है और अभी भी वे कहते हैं कि यह तो थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी है, वहां जाकर हस्ताक्षर कर देगी, चाहे भील मीना लिखें, चौकीदार मीना लिखें, जमींदार मीना लिखें, पटेरिया मीना लिखें, चमरू मीना, खेतिहर मीना, डांग मीना लिखते हैं। जातियों के नाम तो आप भी लिखते हैं। आज जितने भी बोले होंगे, उनके घरों में एससी, एसटी के मजदूर काम करते होंगे, चाहे वह सफाई का काम है या मजदूरी का काम है। यहां बड़े-बड़े घरानों के बोलने वाले लोगों, इन जातियों के लोगों के घरातल को देखें। यदि हम इनसे जुड़े विवादों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा था

" मिटे विषम समरसता लय हो, भेदभाव का द्वंद विलय हो,

अरमानों के नए क्षितिज पर नए भारत का नया उदय हो। "

यह तभी होगा, जब आप स्वयं एससी और एसटी के संरक्षण में पूरी तरह से भावनाएं रखेंगे। आप केवल वोट बैंक के लिए भावनाएं मत रखिए। सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहती हूं।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि संविधान के 126वें संशोधन, 2019 के संदर्भ में मुझे अपने विचार सदन में रखने का मौका दिया है। संविधान के 126वें संशोधन में जनप्रतिनिधत्व के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े समाज के लोगों को जनप्रतिनिधित्व में बराबर की साझेदारी प्राप्त करते हुए अपने-अपने समाज के लोगों के जीवन स्तर सुधारने हेतु समय-समय पर अपने लोगों की आवाज बनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार का ध्यान दिलाते रहेंगे और अपने समाज के लोगों के हितों के लिए बनने वाले कानूनों के संदर्भ में भी अपने बहुमूल्य विचार सरकार के सम्मुख रख सकेंगे। यही कारण है कि आज मैं स्वयं भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट लालगंज से निर्वाचित होकर आई हूं। सबसे पहले हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है।

सरकार ने संविधान के 126वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण को पुन: बहाल करने का फैसला दिया है। इस फैसले से यह स्पष्ट है कि सरकार एससीएसटी जनप्रतिनिधियों की राजनैतिक रूप से उचित भागीदारी बनाए रखने के लिए एक सार्थक कदम उठा रही है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि यह जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में दिए जा रहे आरक्षण का लाभ एससीएसटी और पिछड़ों को तभी मिल पाएगा जब केन्द्र में राज्य की सरकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त विभागों एवं संस्थाओं को आरक्षण की सुविधा, रिक्त पदों, बैक-लॉग में विशेष अभियान चलाकर एक निश्चित समय-सीमा के अंदर पूरा कराया जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार अब तक 9000 के करीब रिक्त पद सभी सरकारी विभागों में खाली हैं। अगर इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द बैक-लॉग के माध्यम से भर दिया जाए तो एससीएसटी और ओबीसी के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ सार्थक रूप में

पहुंच पाएगा। साथ ही 70 साल से हमारे लोगों को जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वे भी मिल सकेंगी। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि निजी कंपनियों और निजी शिक्षण संस्थानों में अगर आरक्षण को लागू कर दिया जाए तो हमारे लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे। पदोन्नति पर आरक्षण प्राप्त होता था जिस पर रोक लग गई है। भारत सरकार पहल करके इस आरक्षण को भी बहाल करे तो मैं भारत सरकार और मंत्री जी की बहुत-बहुत आभारी रहूंगी। तभी इस वर्ग के लोगों को न्याय मिल सकेगा और सही मायने में सरकार की मंशा के अनुरूप एससी/एसटी के समाज को मुख्य धारा में लाने का काम हो पाएगा। धन्यवाद।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, this Bill has got two parts. One part is specifically for the extension of the SC/ST reservation and second part is about the Anglo-Indian. I support the first part unconditionally but I have serious reservation about the other part regarding Anglo-Indian. Sir, the idea of reservation is a noble path shown to us by the founding fathers of our Republic. We remember Mahatma Gandhi, Baba Saheb Ambedkar and Pandit Ji with gratitude. Let the present Government not try to get the credit of idea of reservation.

The hon. Minister is a learned lawyer and a very experienced Minister. When he presented the Bill, I am not saying that he misled the House but his explanation created some confusion. It is because he said that this Bill is for extension of reservation for SC/ST. But the Bill in the long line after Clauses (a) and (b), says, "for the words '70 years" the words '80 years' in respect of Clause (a) and '70 years' in respect of Clause (b) shall be substituted. It means that you are extending the reservation for SC/ST and you are cutting the reservation for the Anglo-Indian community.

At the outset, I wonder where the Government and the Ministers get their data from these days. Does it have a mechanism to assess the data including that of population of the country? I ask this question because today on the floor of this House I get an impression that only a few hundred Anglo-Indians exist in India. Fellow parliamentarian, Mr. Derek O' Brien asked for a separate head in the Census to track their lives and numbers. He said that there are five lakh Anglo-Indians across the world and two lakhs still reside in

India. This is as per submission in the Rajya Sabha. So, your explanation is not correct. I invite the hon. Minister to my constituency and also to the constituency of Mr. Hibi Eden. We can physically show him more than 10,000 Anglo-Indians. They come under the definition of our Constitution.

Mr. Hibi Eden and other people talked about the contribution of Anglo-Indian people. There are people like Mark Antony from our community who are there in every sphere. There is a foot baller, Mr. Michael; a cricketer – Mr. Roger Binny; and a billiard champion – Mr. John William. They are all from the Anglo-Indian community. Yesterday, the Government assured this House that they will take care of the minority population. But if the Government fails to take care of the interests of the microscopic Anglo-Indian community, then how will the Government protect the interests of the 20-crore strong other minority communities? There is an agenda of this Government and that agenda is not `Make in India' to make India a Hindu Rashtra. I oppose the second part of this Bill and I would like to invite the hon. Minister to my parliamentary constituency and we can show that the census figure with regard to Anglo-Indian community is wrong. Their population is two lakhs in this country.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी जो लोक सभा की हाउस कमेटी है, उन्होंने आज बालयोगी ऑडिटोरियम में `फिट इंडिया अभियान` का कार्यक्रम रखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम फिट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से फिट रहेंगे, अगर हम फिट तो इंडिया फिट। मैं चाहूंगा कि अगर सवा छः बजे तक सदन की कार्यवाही सम्पन्न हो जाएगी तो माननीय सांसद हाउस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे।

*__SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL):__ Sir, I am fortunate to participate in this discussion on 126th Constitution Amendment Bill, 2019. It is auspicious occasion that this Bill is being passed under you supervision. I also congratulate Hon. Minister for Law, Shri Ravi Shankar Prasad for introducing this Bill. Sir, it is appropriate to remember founding father of our Constitution Dr. BR Ambedkar on this occasion. It is a welcome step that through this Bill, reservation of constituencies for SCs and STs will be extended by 10 years upto Jan, 2030. Our party heartily supports this amendment. 84 constituencies for SCs and 47 constituencies for STs i.e. 131 constituencies in total will be reserved for SCs and STs for the next ten years. By extending this reservation we are paying our respects to Dr. BR Ambedkar.

Sir, it is a political need but these oppressed and weak sections of our society need to grow socially and economically. To ensure overall growth of weaker sections of our society there should be effective Government schemes.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पीच नहीं देना चाहता हूं। Sir, I am finding it a bit discordance in the Bill. दो मुद्दे हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मुद्दा है और एससी/एसटी के रिजर्वेशन को 10 सालों तक बढ़ाने का मुद्दा है। हम एससी/एसटी रिजर्वेशन को दस सालों तक बढ़ाने के लिए सहमत हैं। हम ने कह दिया है कि उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जहां एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सवाल आता है, तो इसमें हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को यह 'ना' होना चाहिए। मैं मंत्री जी से सिर्फ एश्योरैंस मांगना चाहता हूं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इससे हटा कर बात रखें, क्योंकि जब वोट होगा तो एक ही लेजिस्लैशन पर वोट होगा, तो हम कहां जाएंगे? हम लोग आपको एससी/एसटी के रिजर्वेशन को दस सालों तक एक्सटेंशन के लिए समर्थन देना चाहते हैं, वह ठीक है। जहां तक एंग्लो इंडियन का सवाल है, उस समय हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, उस समय हम क्या करें? इसलिए आपको कैटेगरिकली इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। पहले भी मैंने आपको कहा था कि अमेंडमेंट के जरिये आप सदन में इस विषय को निश्चित कीजिए। यही हमारा मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । माननीय मंत्री जी, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप सभी से इस विधेयक की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाने की इजाजत चाहता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां ।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मेरा एक ही आग्रह है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यहाँ पर आसन की व्यवस्था चलेगी, संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था नहीं चलेगी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय विधेयक की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है ।

…(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर बहुत ही व्यापक चर्चा हुई है। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने सार्थक विचार रखे हैं। लगभग दो दर्जन लोग इस पर बोले हैं। मैं सभी के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उत्तर के दौरान उचित समय पर उनके संदर्भ जरूर लूँगा । इस लोक सभा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आज तक के रिकॉर्ड में बहनें सबसे अधिक संख्या में हैं। जिस प्रभावी रूप से इस सदन की सम्माननीय बहनों और बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनका विशेष अभिनन्दन करूँगा।

माननीय सुप्रिया जी, कनिमोझी जी, जसकौर मीना जी और अनुप्रिया पटेल जी, ये सभी तो अनुभवी हैं, इसलिए ये सभी अच्छा बोलती हैं। आज मुझे इस सदन के नये सदस्यों का और विशेष रूप से आरक्षण से आये हुए सदस्यों की मैंने जो बुलंद आवाज़ देखी है, मुझे लगता है कि यह आरक्षण बिल्कुल सही है और इसको आगे चलना चाहिए। विशेष रूप से मैं डॉ. हिना गावीत, डॉ. भारती पवार, डॉ. संघमित्रा मौर्य, श्रीमती जी. माधवी जी, श्रीमती चिन्ता अनुराधा जी, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी और श्रीमती संगीता आज़ाद जी का मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ। श्रीमती जसकौर मीना जी ने एक बात उठाई, यह बात उधर से आती है या यह चुनाव के समय उठाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगी। यह आरक्षण कभी नहीं हटाया जाएगा। …(व्यवधान) सर, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ही बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी कांस्टिट्यूशनल कमीशन बना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बना है। …(व्यवधान) हम कमिटमेंट से काम करते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आपस में डिबेट क्यों करने लग जाते हैं? सदन के अंदर आपस में डिबेट न करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, किसी भी माननीय सदस्य का, जो बैठकर या खड़े होकर बोलते हैं, आप उनका जवाब मत दें। उनकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है।

…(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्मृति आ रही है और उनको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। वे बहुत ही महान् व्यक्ति थे। लोग कहते हैं कि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कुछ लोग कहते हैं, वे दलित वर्ग के थे, इसलिए वे उसके चेयरमैन थे। लेकिन आज मैं संविधान के एक छात्र के रूप में कहता हूँ कि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए थे, क्योंकि वे अपने समय के संविधान के सबसे योग्य जानकार थे, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन अम्बेडकर जी के साथ क्या हुआ? बाकी चर्चा तो बहुत हो चुकी है। वह देश के महान् रत्न, वर्ष 1956 में मरते हैं और आपकी सरकार ने उनको 'भारत रत्न' नहीं दिया। …(व्यवधान) यह आपने किया। …(व्यवधान) जब श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार थी तो उसमें बी.जे.पी. भी समर्थन कर रही थी और वामपंथी भी समर्थन कर रहे थे, तब 1990 में उनको भारत रत्न मिला, लेकिन आपने नहीं दिया था, यह बात भी रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। सरदार पटेल 1950 में मरे, जो भारत को बनाने और जोड़ने वाले थे, उनको भारत रत्न 1991 में मिला। कौन थे प्रधान मंत्री – नरसिम्हा राव। अगर परिवार के लोग प्रधान मंत्री होते तो उनका भी काम अटल बिहारी वाजपेयी को करना होता। …(व्यवधान)

अधीर बाबू, आप जानते हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूं। आप बैठ जाइए, आप संघर्ष के आदमी हैं। मैं मानता हूं कि 1947 से आपकी सरकार थी। रिजर्वेशन आया, लेकिन डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को आपने सम्मान नहीं दिया, यह स्वीकारना पड़ेगा और यह बात रिकॉर्ड पर जानी चाहिए। …(व्यवधान) अब मैं विषयवार उत्तर दे दूं। बार-बार यह कहा गया कि क्या आपने स्टेट्स से पूछा है? अगर आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन होता है, आप उसको देखें तो उस आर्टिकल 368 का एक प्रोविजन है, जिसे मैं इस सदन के सामने बहुत विनम्रता से पढ़ देना चाहता हूं। मुझे लगा था कि विद्वान लोग पढ़ कर आए होंगे।

"Provided that if such amendment seeks to make any change in

(d) the representation of States in Parliament, or …"

महोदय, इसमें पचास प्रतिशत स्टेट्स का कंसल्टेशन करना पड़ेगा। आज जब हम यहां आए हैं, आदरणीय सुप्रिया जी आप यहां इसे पास करेंगी, फिर राज्य सभा में जाएगा, उसके बाद 50 परसेंट स्टेट्स के लेजिस्लेचर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिर यह प्रभावी होगा। Therefore, there is a constitutional mechanism of consultation with the State Vidhan Sabha, and the whole political process. So, you need not worry about that. That is what our Government will do. सर, अम्बेडकर की बात चली तो मैं बोलना चाहता हूं। हमने सिर्फ यही नहीं कहा कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, जब हम लोगों की सरकार आई तो पंचतीर्थ में उनका सम्मान किया, जैसा कि किरीट जी ने बताया था, वह हमारी सरकार ने किया। जहां वह पढ़े, जहां दिल्ली में वह रहे, चाहे वे अन्य स्थान हों, मऊ से लेकर सभी जगहों पर अम्बेडकर को पूरा सम्मान एक राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में देने की बात की। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं कि एस.सी./एस.टी. को सम्मान मिलना चाहिए। मैं जब आज यहां खड़ा हूं तो मैंने अम्बेडकर की बात की है। उस वर्ग से जुड़े देश के बाकी महान लोगों ने संघर्ष किया था, चाहे बाबू जगजीवन राम हों, शाहू जी महाराज हों और बाकी सभी महान नेता हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। बिरसा मुंडा, जो अनुसूचित जनजाति के महान नेता थे और जयपाल सिंह, मैं इन सभी का सम्मान करता हूं। सभी की प्रेरणा से यह बात आगे बढ़ी है। मुझे एक बात और कहनी है। मैं यह बात बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार और पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तो हमने एक बहुत ही योग्य राजनेता, जो दलित समाज से आते थे, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया। यह भी हमने करके दिखाया।

18.00 hrs

महोदय, मुझे एक बात और कहनी है, यह विषय बार-बार आता है। मैं हमेशा और बार-बार सुप्रीम कोर्ट के और भारत के सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज़ को पत्र लिखता हूं कि जब आप जजों की अनुशंसा करते हैं तो इस बात की चिंता करें कि एससी, एसटी, महिलाओं, माइनोरिटीज़ और बैकवर्ड, सभी का नाम आना चाहिए, ताकि ज्यूडिशियरी में सभी का रिप्रेज़ेंटेशन हो। इसलिए हम ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसिस भी लाने जा रहे हैं, इस पर बातचीत चल रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उसमें भी हम एससी और एसटी को रिज़र्वेशन देंगे, ताकि वे लोग आगे बढ़ें। ऐसी हमारी कोशिश है। आज मैं बहुत विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम का हम पूरा सम्मान करते हैं और उसको हम करते हैं। लेकिन हमारा आग्रह था कि हाई कोर्ट के बहुत ही योग्य जज जो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, यह काम भी हमने करने की कोशिश की है, आगे और भी काम करेंगे। …(व्यवधान)

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने मुद्रा लोन दिया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 21.3 करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दिया गया है, उसमें से 55 percent beneficiaries are from SC, ST and OBC categories. यह हमने करके दिखाया है। उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ पुअर लोगों को हमने गैस कनेक्शन दिये हैं और उसके 50 percent beneficiaries are from SC and ST communities. आईटी विभाग, जो मेरा विभाग है, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर निकलता है। उसके तहत डिजिटल सर्विस देते हैं। उसके माध्यम से 3.80 लाख एससी-एसटी हैं, 27 हजार एससी इंटरप्रेनेयर्स हैं और 13 हजार एसटी इंटरप्रेनियर हैं। हम बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। …(व्यवधान) सर मुझे आज इस बात पर बहुत गर्व है कि एक संगठन दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स बना है। इन लोगों से मैं मिलता रहता हूं और सहयोग भी करता हूं। यह कौन लोग हैं? इसमें महाराष्ट्र के नागपुर के लोग हैं और बाकी देश से भी लोग हैं। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया है कि जिसका टर्नओवर सौ करोड़ रुपये के ऊपर होगा और जो दलित परिवार से

आता है, वही इसका मैम्बर बनेगा। आज मैं देख रहा हूं कि दलित इंटरप्रेनेयर्स आते हैं और जब मैं उनके साथ बैठक में बैठता हूं तो एक नये हिन्दुस्तान का आगाज़ होता दिखायी देता है। यह भी काम हो रहा है और आगे भी करने की जरूरत है, यह बात मैं कहना चाहता हूं।

सर, बैकलॉग के बारे में कहा गया। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इस पर मैं आपसे एग्री करता हूं। डॉ. किरीट पी. सोलंकी जी ने इस बात का विस्तार से जिक्र किया है, क्योंकि वह स्वयं एससी-एसटी संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं। कानून विभाग के मंत्री के तौर पर मैं भी इस बात को देखता हूं, काफी पदों को भरा गया है, और भरना चाहिए, ऐसी हम लोगों की कोशिश होगी। यह मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं। Sir, Kanimozhiji asked a question about a particular scholarship.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What about providing reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the private sector? What is your view on this? …(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, hon. Member Kanimozhiji asked a question about a particular scholarship relating to Grant-in-Aid in Tamil Nadu for the Management Quota. I would like to inform her that there was some ambiguity as regards the definition of the term ‘beneficiary’. Now, a transparent process has been assured, the ambiguity between the State Government and the Central Government on the issue of definition has been resolved and the Government of India is in the process of releasing Rs. 384 crore for 2018-19 and for 2019-20, no proposal has been received till date. Therefore, this is the up-to-date position as far as the scholarship part is concerned. I thought I must clarify this point.

सर, दलित समाज की बेटियों के साथ अत्याचार की बात की गयी। देश की बेटी कोई भी हो, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यह दुर्भाग्य की बात है। पार्टी से ऊपर उठकर हमें चिंता करने की जरूरत है। आज से तीन-चार दिन पहले जोधपुर में एक कार्यक्रम था, मेरे मित्र गजेन्द्र शेखावत जी मेरे साथ मंच पर थे और राजस्थान हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन था। वहां पर मेरे साथ महामहिम राष्ट्रपति जी थे और मुख्य न्यायाधीश जी भी थे। मैंने स्वंय आग्रह किया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार और प्रदेश सरकारों को मिलकर काम करना है। हमने वर्ष 2018 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हाउस से पास किया था, जिसमें यह कहा गया है कि पाक्सो और बलात्कार के केसेज़ में इन्वेस्टीगेशन दो महीने में पूरी होनी चाहिए और छः महीने में ट्रायल पूरा होना चाहिए। अगर किसी ने बच्चों के साथ बलात्कार किया है, तो उसके लिए फांसी की सजा है। आप उसको जानते हैं, वह कानून पारित किया गया है।

महोदय, मैंने स्वयं वहां पर कहा है और चीफ जस्टिस भी उससे एग्री हुए हैं। मैं कल भारत के सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं। उसका मसौदा तैयार हो गया है, जिसमें मैं उनसे यह आग्रह करने जा रहा हूं कि उनके अंतर्गत जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, आप इस बात की चिंता करें कि ऐसे इनवेस्टीगेशन दो महीने में पूरे होने चाहिए। मैं सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों को भी पत्र लिखने जा रहा हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके अंतर्गत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उनका ट्रायल छः महीने में पूरा हो जाए, मैं यह काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही साथ हम 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नए बना रहे हैं, जिसमें लगभग 450 पर सहमति हो गई है। 160 तैयार हो गए हैं और बाकी पर चर्चा चल रही है, अलग से 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। न्यायपूर्ण तरीके से जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके।

हमारी बहुत-सी माननीय सदस्या बहनों ने एक चिंता प्रकट की है। मैं उस चिंता के साथ हूं। यह नहीं होना चाहिए। चूंकि मैं कानून मंत्री भी हूं और यह विषय मेरे सामने आया है। मैं आज सदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि

आप इसको बिल्कुल कीजिए। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। हम लोगों की जिस तरह से कोशिश बन रही है और भारत के लोकतंत्र की तो यही मजबूती है कि जब कोई चुनौती आती है, तो उस चुनौती के साथ पूरा राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिक्स, ज्यूडिशरी, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट सबको साथ में खड़ा होना चाहिए। हम वह काम आगे से करेंगे, हम यह बात कहना चाहते हैं।

महोदय, क्रीमी लेयर की बात कही गई है। मैं बहुत ही विन्रमता से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। जो पूरा एससी/एसटी समाज है, उसमें क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पिछड़े हैं, वह जन्मजात तरीके से परेशान रहे हैं। इसलिए, वहां पर क्रीमी लेयर की बात करना गलत है। मैं इस सदन में अपने प्रधान मंत्री जी की ओर से और सरकार की ओर से बिल्कुल साफ करना चाहता हूं। यह जान-बूझकर राजनीतिक कारणों से चुनाव के पहले बात शुरू की जाती है। हम इसको ठीक नहीं मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड लेने की बात आई है, तो हमारी सरकार की ओर से यह साफ-साफ कहा गया है कि SCs and STs are, as a group, extremely deprived and discriminated. Therefore, the entire community has to be taken into account. Let us not segregate.

महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे स्वयं के क्रांतिकारी जीवन में कई पड़ाव हैं। मैं संघ का स्वंयसेवक था। मैं परिषद का कार्यकर्ता बना, मैं जेपी आंदोलन का सेनानी बना था। मैंने स्वंय भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है। कई बार दलित परिवारों पर जो हमले हुआ करते थे, मैं उसकी जांच में जाया करता था। उसके बाद उनकी पीड़ा, अंबेडकर जी की सोच के बारे में हमारी नई समझदारी बनी है। इसलिए, हम लोग प्रामाणिकता से यह मानते हैं कि इस बारे में कोई भी चर्चा करना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। हम इस पर कभी-भी एग्री नहीं करेंगे। रिज़र्वेशन की बात प्राइवेट सेक्टर के लिए कही गई है। I think this issue has been debated many times. We have been sensitizing the private sector. You know it very well. In the case of Corporate Social

Responsibility, we have insisted; in the case of employment, we have insisted. I know for sure that many private sector units, on their own volition, are doing good work in promoting the cause of Dalits. I specifically mentioned the case of Dalit Indian Chambers of Commerce & Industry. I know for sure that many big big companies are giving a preferential order to the products made by these Dalit entrepreneurs. This work is going on. Therefore, we have to do more and more to lead to more empowerment to them. …(*Interruptions*)As far as the budgeting is concerned, I can tell you that the Narendra Modi Government has enhanced the allocation to the SCs & STs development in a very phenomenal way. This I can assure you. I cannot go into the details. All are available for us.

महोदय, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, जो मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में की थी कि भारत का संविधान बनाने वालों ने पोलिटिकल…(व्यवधान) भारत का संविधान बनाने वालों ने पोलिटिकल रिज़र्वेशन सिर्फ एससी और एसटी को दिया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने बाकी को शैक्षणिक रिज़र्वेशन दिया था। आर्टिकल 16 में दिया है और आर्टिकल 15 में दिया है। लेकिन आर्टिकल – 330, 331, 332 और 333 में जो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन लोक सभा और विधान सभाओं में है, यह सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया। यह उस राज्य में जितनी पॉप्युलेशन है, उसके अनुसार दिया गया है, तो मैंने बताया कि लोक सभा में 84 सीटें एससी के लिए रिज़र्व्ड हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिज़र्व्ड हैं। यहां से किस तरह की लीडरशिप आ रही है, मैंने जान कर नाम लिया है। अच्छा बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस रिज़र्वेशन का लक्ष्य यह था कि रिज़र्व कैटेगरी को सदन में विधान सभा में, लोक सभा में आरक्षण दे कर हम इस वंचित समाज में जो वर्षों से डिपराइव्ड रहा है, एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करें। यह बहुत खुशी का अनुभव है कि 70 साल के बाद एक नई लीडरशिप आई है। मैं देखता हूँ

कि उनमें संघर्ष भी है, उनमें कमिटमेंट भी है। वे देश के बदलाव का काम भी करते हैं। यह देख कर अच्छा लगता है। इस बड़ी सामाजिक बदलाव के सोच के कारण हमें इस आरक्षण को दस साल के लिए और आगे बढ़ाना है। मुझे खुशी है कि सारे सदन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए हम उन सभी का अभिनंदन करते हैं। इसलिए हमें इस एससी एवं एसटी के रिज़र्वेशन के बारे में कहना है।

सर, अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूँ, जिस पर बहुत चर्चा हुई है – एंग्लो इंडियन को लेकर। सर, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी है। कुछ लोगों ने इधर से बोला, कुछ लोगों ने उधर से बोला। लेकिन हम इतने बड़े ऐतिहासिक संविधान संशोधन को ले कर आ रहे हैं और यह पूरी बहस एंग्लो-इंडियन में सिमट गई। 20 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 10 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। उनकी चिंता भी और प्रभावी रूप से होनी चाहिए। सिर्फ वह प्रॉफॉर्मा कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। "I support this Bill." सर, अब मैं उस बात पर आता हूँ कि मैंने कहा कि 296 एंग्लो इंडियन सैंसस के मुताबिक हैं। सर, इस पर मेरी बहुत खिंचाई भी हुई, कुछ लोगों ने पिटाई भी की। कुछ लोगों ने कहा कि मिसलीड कर रहे हैं। सर, मुझे एक बात बताई जाए, मैंने सदन में यह आंकड़ा रखा था और मैं फिर से आपके सामने उसको रखूंगा कि जब यही सैंसस यह कहे, सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि सन् 2011 के सैंसस के मुताबिक भारत में शेड्युल्ड कास्ट्स की संख्या 20 करोड़ 13 लाख 78,372 है और शेड्युल्ड ट्राइब्स की संख्या 10 करोड़ 45 लाख, 45,716 है। जब सैंसस सन् 2011 में यह कहे, तो सैंसस ठीक है। लेकिन जब सैंसस कहे कि 296 लोग एंग्लो-इंडियन हैं, तो वह गलत है। यह कौन सा तर्क है? यह मुझ समझ में नहीं आता है। सर, मुझे दूसरी बात और कहनी है कि मैं जब और विस्तार से चाहूंगा तो इस देश में जो क्रिश्चियंस हैं, मैं उसका एग्जैक्ट नंबर दे दूंगा, सन् 1951 में उनकी संख्या लगभग 80 लाख थी। आज वे भी बढ़ गए हैं और दो करोड़ हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैंसस, All India Census Act, 1948 के अंतर्गत काम करता है। उसका यह स्टैट्युटरी ऑब्लिगेशन है कि वह देश की जनता की गिनती करे कि कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने माइनॉरिटीज़ हैं, यह वे करते हैं।

रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने कहा था रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने हमें बताया है कि इस देश में 296 एंग्लो-इंडियंस हैं। …(व्यवधान) अच्छा ठीक है, बात हो गई है।

सर, मैं बहुत विनम्रता से यह बात कहना चाहता हूँ और फिर कहूंगा कि सैंसस बाकी के बारे में एक संख्या बताए तो सैंसस ठीक है, चूंकि एंग्लो-इंडियंस के बारे में उनके मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं है, इसलिए वह गलत है। यह ठीक नहीं है। सैंसस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है, यह मैं कहना चाहता हूँ। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब बात चली है कि Who are Anglo Indians? संविधान की धारा 366 में यह है। …(व्यवधान)

Sir, I am reading the Article 366(2) of our Constitution. Which has defined an 'Anglo Indian', which says:

> "In this Constitution, an Anglo Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India..."

तो एंग्लो-इंडियन वही हैं, जिनके पिता जी या परिवार के प्रोजेनिटर्स में से कोई व्यक्ति यूरोपियन डिसेंट का रहा हो। जब भारत आजाद हुआ तो संख्या बढ़ी होगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कई लोग विदेश चले गए, कई लोग बाकी समाज में समा गए। मैं स्वयं मुंबई के कई परिवारों को जानता हूँ जहां पत्नियां एंग्लो-इंडियंस हैं, लेकिन अपने को वे दूसरी शादी के बाद कहती हैं। इसलिए इस पर यह कर करके खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे खिलाफ कई बातें कही गईं। माननीय अधीर बाबू भी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कभी-कभी आप अधीर हो जाते हैं। …(व्यवधान) अच्छा सुनिए। मैं इस सदन के सामने एक संवदेनशील विषय को गम्भीरता से कहना चाहता हूँ। आर्टिकल 336 एंड आर्टिकल 337, आर्टिकल 336 था- Special provision for Anglo Indian community in certain services likes railway, customs, postal and telegraph of the Union shall be

made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947. लेकिन क्या लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद यह समाप्त हो जाएगा - provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution all such reservations shall cease. दूसरा है, आर्टिकल 337, इसमें क्या लिखा हुआ था कि एंग्लो इंडियन शैक्षिक संस्थानों को भारत सरकार ग्रांट देगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि दस साल के बाद यह ग्रांट सीज कर जाएगा। अधीर बाबू, आप शांत रहिए। आप सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ। देश पर 55 सालों तक आपने राज किया। संविधान आया 1950 में, आपको याद है ना। वर्ष 1950 के बाद, दस साल के बाद आपने रेलवे की पोस्ट्स, कस्टम की पोस्ट्स, टेलीग्राफ की पोस्ट्स को खत्म कर दिया। उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ग्रांट को खत्म कर दिया। आपकी सरकार ने किया, तब तो आपको जरा भी पीड़ा नहीं हुई। लेकिन आज जब उनकी संख्या 296 हो गई है, हमने सिर्फ यह कहा है, अभी विचार कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। यह कौन सी बात है भाई । आप बैठिए। …(व्यवधान) मैं कहाँ कर रहा हूँ। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपने खुद कहा था कि यह मैं नहीं लेना चाहता। आज एससी, एसटी लेंगे। …(व्यवधान) हम एससी, एसटी पर आपको समर्थन देने के लिए बैठे हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बिल को अलग से रखिए। …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : अच्छा आप बैठिए। मैं समझ गया। Sir, the simple point which I am trying to impress upon all my distinguished Members of the Opposition, who said that we are anti-minority, is this. They took the name of even the hon. Home Minister and referred to yesterday's debate. When you are alleging against me, you forget your own duty towards them that you completely obliterated, if I can use the word of Prof. Ray, their rights for posts of customs, telegraph and railways. You obliterated their right to get Government grants

for educational institutions. आपने वर्ष 1960 में सब खत्म कर दिया, तब वह ठीक था। …(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: This was in the Constitution.

श्री रवि शंकर प्रसाद : लेकिन एक बात माननीय अध्यक्ष जी हम साफ कहना चाहेंगे कि इस देश के एंग्लो इंडियन समाज के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कभी नकारते नहीं हैं। अच्छी बात है। उन्होंने अच्छा स्कूल चलाया है। अच्छे स्पोर्ट्समैन बने हैं। फ्रेंक एंथोनी तो बड़े वकील भी थे और लोक सभा के लम्बे समय तक मैम्बर भी थे। मेरे पास फ्रेंक एंथोनी का क्वोट है, जिसमें उन्होंने कहा कि: "This reservation or nomination for SC and ST should not continue beyond ten years." यह भी उनका क्वोट है। इसको सोचने की जरूरत है।

My very good friend Premachandranji, with his bright parliamentary career, today pointed out certain things in the field of law. Now, kindly, read with me this particular Bill today. What is the Bill? The Bill, in its Statement of Objects and Reasons, mentions the existing provision and in paragraph 2 it says what we are doing. We are going to extend this reservation for SC and ST categories for another ten years. Therefore, there is no confusion, no ambiguity and nothing of that sort. Then, you also challenged my drafting skill and that of my Department. Therefore, I would like to very gently remind you of our limited drafting ability. Kindly, go to the annexure. What does the annexure say? The annexure only quotes the existing Article 334. It is not a new provision. Therefore, we have quoted the existing Article 334. There is nothing more. In fact, I would have been accused of misleading the House had I not quoted the annexure, the existing Article 334. What are we doing? Kindly, turn to the Bill. In the Bill, in Article 334, we are extending Clause (a)

for 10 years more and we are keeping Clause (b) for 70 years. Why should we say this? It is because 70 years has not expired till now; 70 years will expire on 25th January, 2020.

This new provision will come into effect after 2020. …(*Interruptions*) Therefore, the Bill is straight; the Bill is unambiguous; the Bill is very categorial. We have clearly stated that हम इसका विचार कर रहे हैं। We will consider it. But, after all, this House will have to take a call one day that this nomination of two Members is extra. If you see Article 334, it is beyond the number of 81. Therefore, under 543 numbers – beyond that – two have to be added. I have already said and I hold very firmly, in many States there are three, there are four and there are five Anglo-Indians. Therefore, a call will have to be taken. We are considering it. Let us leave it there.

With these words, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि यह ऐतिहासिक बिल है। आज हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में एस.सी., एस.टी. और वंचित वर्गों के विकास के लिए समर्पित है। मैं आज बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जब वे पहली बार जनता के द्वारा प्रभावी रूप से जीतकर आए थे, वह बड़ा ही भावुक क्षण था, जब वे सदन के मुख्य पोर्टिको में उतरे, तो सबसे पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया, सदन को सम्मान दिया। उनका जो भाषण हुआ, हम सब लोग बड़े भावुक थे। ऐतिहासिक जीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए होगी, वंचितों के लिए होगी, मैं काम करूँगा। पिछले साढ़े पाँच सालों में हमने ऐसा काम किया, इसीलिए जनता ने हमें जिताया और अधिक बहुमत से जिताया, क्योंकि उनको यह विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ बातें कही नहीं जाती हैं, जमीन पर उतरती भी हैं, तो आगे भी मिलेंगी। अब हम जीतकर आए हैं, अब आप लोग 44 से 52 हुए हैं, थोड़ा और संयम रखिए। अपने भविष्य का इंतजार कीजिए, भविष्य बहुत लंबा है, लेकिन आज के दिन हम सब

लोग मिलकर इस ऐतिहासिक संशोधन को पास करें, यही मेरी विनम्र विनती है। महोदय, मैंने आपकी अनुमति ली, आपने मुझे इतना लंबा समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए विचार हेतु रखूं, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिस पर मतदान मत-विभाजन द्वारा होगा।

लॉबीज़ खाली कर दी जाएं-

अब प्रवेश-कक्ष (लॉबीज़) खाली हो गए हैं।

महासचिव।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान ऑटोमैटिक रिकॉर्ड मशीन वोट रिकार्डिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित बिन्दुओं की ओर एक बार और आकृष्ट किया जाता है। वैसे आप सभी इस प्रणाली से अवगत हैं, परन्तु प्रक्रिया के हिसाब से यदि दिन में पहली बार मतदान हो रहा है तो यह पढ़ना उपयुक्त होता है।

मतदान आरम्भ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उसी स्थान से प्रणाली का संचालन करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगे, तब मैं, महासचिव, मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी, जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिसप्ले बोर्डों के ऊपर लाल बल्ब जलेंगे और इसके साथ-साथ गोंग की ध्वनि भी सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात् ही दोनों बटन एक साथ दबाएंगे। इस बात को पुन: दोहराया जाता है कि गोंग की साउंड के बाद ही दोनों बटन दबाएं। पहला बटन है प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लगा 'वोट' बटन और दूसरा बटन है सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे तीन बटनों में से एक बटन। यदि आपको 'हाँ' कहना है तो हरा रंग (ग्रीन कलर), अगर 'नहीं' कहना है तो रेड कलर और यदि मतदान में भाग

नहीं लेना है तो येलो कलर का बटन दबाएं। गोंग की ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक, जो पहला गोंग साउण्ड है और दूसरा गोंग साउण्ड है, उसके सुनाई देने तक उसके बीच में दस सैकेंड का अंतर है और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब बुझने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है।

आप लोग कृपया नोट करें कि आपके मत दर्ज नहीं होंगे, यदि, नम्बर-1, पहली गोंग की ध्वनि सुनने से पहले आपने बटन दबा दिया हो। दूसरा, दूसरी गौंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन एक साथ प्रेस करके नहीं रखे गए हों। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिसप्ले बोर्डों पर अपना मत, अपना वोट देख सकते हैं। यदि मत रजिस्टर नहीं हुआ है तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No. 1 **AYES** **18.27 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Anand, Shri D.M.Kathir

Angadi, Shri Suresh C.

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Basavaraj, Shri G. S.

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath 'B.P. Saroj', Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

**Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

*Bista, Shri Raju

** Corrected through slip for 'Ayes'.

* Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Deol, Shri Sunny

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Veena

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

*Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Haridas, Kumari Ramya

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

* Voted through slip.

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush.M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

*Kumar, Shri Vijay

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

*Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shrimati Manjulata

Manickam Tagore, Shri B.

* Voted through slip.

Maran, Shri Dayanidhi

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Janardan

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Muraleedharan , Shri K.

Murmu, Kumari Chandrani

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Natarajan, Shri P.R.

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

*Paarivendhar, Dr. T. R.

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

* Voted through slip.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Pintu , Shri Sunil Kumar

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasad, Shri V. Srinivas

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

*Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raja, Shri A.

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

---

* Voted through slip.

Rao , Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Ravikumar, Dr. D.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Prof. Sougata

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Reddy, Shri Uttam Kumar

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

*Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Selvam, Shri,G.

Selvaraj, Shri M.

Sethi, Shrimati Sarmistha

---

* Voted through slip.

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanmuga Sundaram, Shri K.

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

**Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

** Corrected through slip for 'Ayes'.

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Sreekandan, Shri V. K.

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri Kodikunnil

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

*Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

* Voted through slip.

Vasanthakumar, Shri H.

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हां: 353

नहीं: 002

अनुपस्थित : 000

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of article 334

माननीय अध्यक्ष: खंड 2 में तीन माननीय सदस्यों के संशोधन हैं। अब मैं संशोधनों को मतदान के लिए रख रहा हूँ।

श्री सुरेश कोडिकुन्नील, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I beg to move:

Page 1, line 11, –

for "seventy years".

substitute "eighty-five years". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes : 353 + S/Shri Raju Bista, Ramesh Bind, Dharambir Singh, Rajendra Dhedya Gavit, Vijay Kumar, M.V.V. Satyanarayana, Khalilur Rahaman, Asit Kumar Mal, Dr. T.R. Paarivendhar and Shri Saptagiri Sankar Ulaka = 363

Noes: 002 - S/Shri Ramesh Bind and Dharambir Singh wrongly voted for Noes. Later on, they corrected through slip for Ayes =000

Abstain : 000

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I want …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

Page 1, line 11,--

for “seventy years”.
substitute “seventy-eight years”. (3)

This is with regard to Anglo-Indians. I have said that 70 years should be substituted with 78 years.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No. 2 **AYES** **18.35 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Angadi, Shri Suresh C.

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

*Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

* Voted through slip.

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Basavaraj, Shri G. S.

*Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

---

* Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Deol, Shri Sunny

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

*Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Veena

*Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

* Voted through slip.

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Haridas, Kumari Ramya

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

*Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

*Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

**Kamait, Shri Dileshwar

*Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

---

* Voted through slip.

** Corrected through slip for Ayes.

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

*Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

*Kumar, Shri Dhanush.M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

---

* Voted through slip.

*Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Vijay

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Ravindra

*Lal, Shri Akshaibar

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

*Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

* Voted through slip.

Mandal, Shrimati Manjulata

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Janardan

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Muraleedharan , Shri K.

Murmu, Kumari Chandrani

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Natarajan, Shri P.R.

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

*Paarivendhar, Dr. T. R.

*Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Parkash, Shri Som

*Parthiban, Shri S.R.

---

* Voted through slip.

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Pintu , Shri Sunil Kumar

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasad, Shri V. Srinivas

Premachandran, Shri N.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

*Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raja, Shri A.

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

---

* Voted through slip.

Rao , Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Ravikumar, Dr. D.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

*Ray, Prof. Sougata

Ray, Shrimati Sandhya

*Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

*Reddy, Shri Pocha Brahmananda

*Reddy, Shri Uttam Kumar

Rijiju, Shri Kiren

---

* Voted through slip.

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

*Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Selvam, Shri,G.

---

* Voted through slip.

*Selvaraj, Shri M.

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanmuga Sundaram, Shri K.

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

* Voted through slip.

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

*Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

* Voted through slip.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

*Sreekandan, Shri V. K.

*Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

---

* Voted through slip.

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri Kodikunnil

Suresh, Shri Nandigam

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

*Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Udasi, Shri S. C.

* Voted through slip.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

*Vasanthakumar, Shri H.

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Velusamy, Shri P.

*Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

---

* Voted through slip.

माननीय अध्यक्ष : शुद्धि के अध्यधीन,* मत विभाजन का परिणाम यह है**:**

हाँ : 331

नहीं : 001

अनुपस्थित : 000

प्रस्ताव, सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes : 331 + S/Shri Y. Devendrappa, B.N. Bachegowda, Satyadev Pachauri, Lallu Singh, Akshaibar Lal, P. Raveendranath Kumar, Dileshwar Kamait, Kishan Kapoor, Prof. Sougata Ray, S/Shri N. Reddepa, Sridhar Kotagiri, K. Subbarayan, S. Venkatesan, M. Selvaraj, Pocha Brahmananda Reddy, M.V.V. Satyanarayana, Khalilur Rahaman, Asit Kumar Mal, Dr. T.R. Paarivendhar, S/Shri Uttam Kumar Reddy, Benny Behanan, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, S/Shri V.K. Sreekandan, Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar, Dr. K. Jayakumar, Sushri S.Jothimani, S/Shri H. Vasanthakumar, Dhanush M. Kumar and S.R. Parthiban =360

Noes : 001 – Shri Dileshwar Kamait wrongly voted for Noes. Later on, he corrected through slip for Ayes =000

Abstain : 000+Nil =000

Clause 1 Short Title and Commencement

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी खण्ड 1 में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 1, lines 2 and 3,--

for "the Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Act, 2019".

substitute "the Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019". (1)

(Shri Ravi Shankar Prasad)

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली हैं।

प्रश्न यह है:

"खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No. 3 **AYES** **18.38 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Anand, Shri D.M.Kathir

Angadi, Shri Suresh C.

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Basavaraj, Shri G. S.

Behanan, Shri Benny

Beniwal, Shri Hanuman

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Deol, Shri Sunny

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Haridas, Kumari Ramya

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

*Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Saumitra

---

* Voted through slip.

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

Kumar, Shri Dhanush.M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Vijay

Kundariya, Shri Mohanbhai

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shrimati Manjulata

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Janardan

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Muraleedharan , Shri K.

Murmu, Kumari Chandrani

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

Naik, Shri Raja Amareshwara

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Natarajan, Shri P.R.

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Pintu , Shri Sunil Kumar

*Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasad, Shri V. Srinivas

Premachandran, Shri N.K.

* Voted through slip.

Raghavendra, Shri.B.Y.

*Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raja, Shri A.

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao , Shri Nama Nageswara

Rao, Shri Balli Durga Prasad

*Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

* Voted through slip.

Ravikumar, Dr. D.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Prof. Sougata

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Reddy, Shri Uttam Kumar

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

*Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Selvam, Shri,G.

Selvaraj, Shri M.

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanmuga Sundaram, Shri K.

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

---

* Voted through slip.

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri Kodikunnil

Suresh, Shri Nandigam

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

*Thakur , Shri Gopal Jee

---

* Voted through slip.

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthakumar, Shri H.

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Velusamy, Shri P.

*Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

---

* Voted through slip.

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 351

नहीं : 000

अनुपस्थित : 000

प्रस्ताव, सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

* The following Members also recorded their votes through slips.

Ayes : 351 + S/Shri Soyam Bapu Rao, Dileshwar Kamait, Gopal Jee Thakur, Shrimati Aparupa Poddar, S/Shri S. Venkatesan, M.V.V. Satyanarayana and Khalilur Rahaman =358

Noes : 000

Abstain : 000

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" कि अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बनें। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए। "

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली हैं।

प्रश्न यह है:

" कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए। "

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

DIVISION No. 4 **AYES** **18.40 hrs**

Agrawal, Shri Rajendra

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ali, Kunwar Danish

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Anand, Shri D.M.Kathir

Antony, Shri Anto

Anuradha, Shrimati Chinta

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Prof. S.P. Singh

Baghel, Shri Vijay

Baheria, Shri Subhash Chandra

Balyan, Dr. Sanjeev

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Basavaraj, Shri G. S.

Beniwal, Shri Hanuman

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharat, Shri Margani

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatia, Shri Sanjay

Bhatt, Adv. Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Bind, Shri Ramesh

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Bohra, Shri Ramcharan

Chahar, Shri Rajkumar

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

*Chandra Sekhar , Shri Bellana

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Chavda, Shri Vinod Lakhamshi

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Bhagirath

Choudhary, Shri Kailash

Choudhary, Shri Pradeep Kumar

Chouhan, Shri Nihal Chand

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai

Dadarao, Shri Danve Raosaheb

Damor, Shri Guman Singh

Delkar, Shri Mohanbhai Sanjibhai

Deol, Shri Sunny

---

* Voted through slip.

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna

Devendrappa, Shri Y.

Devi, Shrimati Veena

Dhanorkar,Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao

Diler, Shri Rajveer

Dubey, Dr. Nishikant

Dubey, Shri Vijay Kumar

Duggal, Sushri Sunita

Dwivedi, Shri Harish

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P, Shri Mohammed

Firojiya, Shri Anil

Gaddigoudar, Shri P. C.

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gao, Shri Tapir

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gavit, Shri Rajendra Dhedya

Geetha Viswanath, Shrimati Vanga

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Gaurav

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangam Lal

Gupta, Shri Sudheer

Haridas, Kumari Ramya

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadav, Dr. Umesh G.

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jagathrakshakan, Shri S.

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jayakumar, Dr. K.

Jigajinagi, Shri Ramesh Chandappa

Jolle, Shri Annasaheb Shankar

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

*Joshi, Shri C. P.

Joshi, Shri Pralhad

*Jothimani, Sushri S.

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kamait, Shri Dileshwar

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunanidhi, Shrimati Kanimozhi

Kashyap, Shri Dharmendra

Kashyap, Shri Suresh

Katara, Shri Kanakmal

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ram Shankar

Kaur, Shrimati Preneet

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khaleque, Shri Abdul

* Voted through slip.

Khan, Shri Saumitra

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kora, Shrimati Geeta

Kotagiri, Shri Sridhar

Kotak, Shri Manoj

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Bandi Sanjay

*Kumar, Shri Dhanush M.

Kumar, Shri Kaushlendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Vijay

Kundariya, Shri Mohanbhai

---

* Voted through slip.

Kuriakose, Adv. Dean

Kushwaha, Shri Ravindra

Lal, Shri Akshaibar

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Madhav, Shri Kuruva Gorantla

Madhavi, Kumari Goddeti

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majumdar, Dr. Sukanta

Mal, Shri Asit Kumar

Mallah, Shri Kripanath

Mandal, Shrimati Manjulata

Manickam Tagore, Shri B.

Maran, Shri Dayanidhi

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Janardan

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P. C.

Mohanty, Shri Anubhav

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Muniswamy, Shri S.

Munjapara , Dr. (Prof.) Mahendra

Muraleedharan , Shri K.

Murmu, Kumari Chandrani

Murmu, Shri Khagen

Nagar, Shri Rodmal

*Naik, Shri Raja Amareshwara

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Natarajan, Shri P.R.

---

* Voted through slip.

Nath, Shri Balak

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik

Nishad, Shri Ajay

Nishank, Dr.Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paarivendhar, Dr. T. R.

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Pal, Shri Krishan

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Shri Ritesh

Pandey, Shri Santosh

Parkash, Shri Som

Parthiban, Shri S.R.

Paswan, Shri Kamlesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Lalubhai B.

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri Prahalad Singh

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Sharda Anil

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patil, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb

Pawar, Dr. Bharati Pravin

Pintu , Shri Sunil Kumar

Poddar, Shrimati Aparupa

Pothuganti, Shri Ramulu

Prakash, Shri Jai

Pramanik, Shri Nisith

Prasad , Shri Chandeshwar

Prasad, Shri Ravi Shankar

Prasad, Shri V. Srinivas

Premachandran, Shri N.K.

Raghavendra, Shri.B.Y.

Rahaman, Shri Khalilur

Rai, Shri Nityanand

Raja, Shri A.

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Raghu Rama Krishna

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr. R. K.

Rao , Shri Nama Nageswara

*Rao, Shri Balli Durga Prasad

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh

* Voted through slip.

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathva, Shrimati Gitaben V.

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Ravikumar, Dr. D.

Rawat, Shri Ashok Kumar

Rawat, Shri Tirath Singh

Ray, Prof. Sougata

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri Magunta Sreenivasulu

Reddy, Shri Pocha Brahmananda

Reddy, Shri Uttam Kumar

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Roy, Shrimati Mala

Rudy , Shri Rajiv Pratap

Sagar, Shri Arun Kumar

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Saini, Shri Nayab Singh

Sao, Shri Arun

Sarangi, Shri Pratap Chandra

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Saruta, Shrimati Renuka Singh

*Satyanarayana, Shri M. V. V.

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Selvam, Shri,G.

Selvaraj, Shri M.

Sethi, Shrimati Sarmistha

Shah, Shri Amit

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi

Shanmuga Sundaram, Shri K.

Sharma, Dr. Arvind Kumar

Sharma, Dr. Mahesh

* Voted through slip.

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Ram Swaroop

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shrangare, Shri Sudhakar Tukaram

Shyal, Dr. Bharatiben D.

Siddeshwar, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Prathap

Singh, Dr. Amar

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Brijendra

Singh, Shri Chandan

Singh, Shri Dharambir

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri Pradeep Kumar

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Raj Nath

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shrimati Himadri

Singh, Shrimati Kavita

Singh ' Lalan', Shri Rajiv Ranjan

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Sreekandan, Shri V. K.

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suman, Dr. Alok Kumar

Suresh, Shri Kodikunnil

Suresh, Shri Nandigam

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A. Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teli, Shri Rameswar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Sadhvi Pragya Singh

Thakur, Shri Anurag Singh

Thakur , Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Thangapandian, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Dr. Ramapati Ram

Udasi, Shri S. C.

Uikey, Shri Durga Das

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Unnithan, Shri Rajmohan

Vaithilingam, Shri Ve.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthakumar, Shri H.

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Velusamy, Shri P.

[*]Venkatesan, Shri S.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Krishna Pal Singh

Yadav, Shri Ram Kripal

Yadav, Shri Shyam Singh

[*] Voted through slip.

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ : 352

नहीं : 000

अनुपस्थित : 000

प्रस्ताव, सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो गया है।

विधेयक, यथा संशोधित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हो गया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* The following Members also recorded their votes through slip.

Ayes : 352 + S/Shri Raja Amreshwara Naik, C.P. Joshi, Balli Durga Prasad Rao, S. Venkatesan, M.V.V. Satyanarayana, Bellana Chandra Sekhar, Sushri S. Jothimani and Shri Dhanush M. Kumar =360

Noes : 000

Abstain : 000

माननीय अध्यक्ष: अब लॉबीज खोल दी जाएं। सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven O'Clock on Wednesday, December 11, 2019/Agrahayan 20, 1941 (Saka)